द्वितीय माला, खण्ड २२—अंक १

१७ नवम्बर, १९५८ (सोमवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
8-5-92
Fumigated
On 15-11-83
Parliament Library

(खण्ड २२ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

234-A LSD

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खंड २२—अंक १ से १०—१७ नवम्बर से २६ नवम्बर, १९५८]

अंक १—सोमवार, १७ नवम्बर, १९५८

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १ से ८, ११ से १३ और १५ से १७	१—२४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९, १०, १४, १८ से २५ और २७ से ३२ .	२४—३२
अतारांकित प्रश्न सख्या १ से २० और २२ से ३९	३२—४८
श्री सामी वैंकटाचलम् चेट्टी का निधन	४८
स्थगन प्रस्ताव—	
१. पांडेचेरी में स्थिति ; और	४९—५०
२. पाकिस्तान से सम्बन्ध .	५०—५३
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—	
प्रक्रिया नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिया गया निदेश	५७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . .	५७—५८
गुड़गांव में विमान बल के सिगनल केन्द्र में अग्नि दुर्घटना के बारे म वक्तव्य	५८
समिति के लिये नि चिन	५९
केन्द्रीय नरतत्व विज्ञान सलाहकार बोर्ड	५९
दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना	५९
उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	५९—६९
खंड २ से १० और १	६९—७८
पारित करने का प्रस्ताव . .	७८
चाय (सीमा-शुल्क तथा उत्पादन-शुल्क में परिवर्तन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	७८—८९
कार्य मंत्रणा समिति—	
इकतीसवां प्रतिवेदन	८९
दैनिक संक्षेपिका .	९०—९८

पृष्ठ

अंक २—मंगलवार, १८ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३३, ३४, ३५, ३७ से ४४ . ९९—१२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६, ४५ से ६२ . १२१—२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ४० से ९२ १२८—५२

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५२–५३

प्राक्कलन समिति—

उन्तीसवां प्रतिवेदन . . १५३

तारांकित प्रश्न संख्या १३६० के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि १५३

कार्य मंत्रणा समिति—

इकत्तीसवां प्रतिवेदन . १५३

चाय (सीमा-शुल्क तथा उत्पादन-शुल्क में परिवर्तन) विधेयक—

विचार करने के लिये प्रस्ताव १५४—५६

खंड २, ३ और १ १५७–५८

पारित करने का प्रस्ताव . . . १५८

संघलोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियमों में रूपभेद सम्बन्धी प्रस्ताव १५८—७७

एक सदस्य को सजा . . . १७७

रेलवे यात्रा में जीवन की असुरक्षा के संबंध में चर्चा १७८—९३

दैनिक संक्षेपिका . . १९४—९८

अंक ३—बुधवार, १९ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३ से ७६ . १९९—२२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७ से १०० . . . . २२१—३२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३ से १४५ और १४७ से १५८ . . २३२—५९

	पृष्ठ
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२५६—६१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति उनतीसवां प्रतिवेदन	२६१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
वित्त मंत्रालय से फाइलों का गायब हो जाना	२६१—६२
आसाम तेल शोधन कारखाने के लिये भारत-रूमानियां करार के बारे में वक्तव्य	२६२—६५
आसाम राइफल्स (संशोधन) विधेयक—	
पुरस्थापित	२६५
विष (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	२६५—२६८
खंड २ से ४ और १	२६८—७०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	२७०
भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	२७०—८४
गंगा बांध परियोजना के बारे में प्रस्ताव	२८५—९८
दैनिक संक्षेपिका	२९९—३०५
अंक ४—बृहस्पतिवार, २० नवम्बर, १९५८	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०१, १०२, १०४, १०५, १०७, १०९ से ११५ और ११७ से १२१	३०७—३१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०३, १०६, १०८, ११६ और १२२ से १२९	३३१—३७
अतारांकित प्रश्न संख्या १५९ से १८२, १८४, १८६ से २०२ और २०४ से २१०	३३७—६०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३६०—६३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
पाकिस्तान की घटनायें	३६३—६५
सभा का कार्य	३६६
भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	३६६—८४
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बन्द किये जाने के बारे में चर्चा	३८४—४११
दैनिक संक्षेपिका	४१२—१७

पृष्ठ

अंक ५—शुक्रवार, २१ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३० से १४१ ... ४१९—४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४२ से १६५ . . ४४२—५१

अतारांकित प्रश्न संख्या २११ से २८१ . . ४५१—८१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ४८१—८२

प्राक्कलन समिति—

तीसवां प्रतिवेदन . . ४८२

सभा का कार्य ४८३

जानकारी का प्रश्न . . ४८३—८४

समिति के लिये निर्वाचन—

भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति . . ४८४

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . ४८५—९३

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार का प्रस्ताव . ४९३—५०१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

उनतीसवां प्रतिवेदन . . ५०१

बेरोजगारी की समस्या की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त करने के बारे में संकल्प—वापस लिया गया . . ५०१—२४

सैनिक व्यय के ढांचे की जांच करने के लिये एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प ५२४

दैनिक संक्षेपिका ५२४—३०

अंक ६—सोमवार, २४ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६६ से १७९ ५३१—५४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ ५५४—५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८० से २०७ और २१० से २१२ ५५६—७०

अतारांकित प्रश्न संख्या २८२ से ३७७ ५७०—६०८

पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . . ६०८—१०

प्राक्कलन समिति—

इकतीसवां प्रतिवेदन . . . ६१०

१९५५–५६ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) ६१०

१९५६–५७ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (रेलवे) . . ६१०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ब्रिटिश तेल वाहक जहाज स्टैनवाक जापान में विस्फोट . ६१०—१२

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, वापस लिया गया . ६१२

हिमाचल प्रदेश विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक पुर-स्थापित ६१३

हिमाचल प्रदेश विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण अध्यादेश संबंधी विवरण . . ६१३

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव . ६१३—३६

सभा का कार्य ६३६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ६३७—४४

अंक ७—मंगलवार, २५ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१३ से २२०, २२२, २२६, २२७ और २२९ . ६४५—६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२१, २२३ से २२५, २२८ और २३० से २६० . ६६९—८४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७८ से ४४१ . . . . ६८४—७०९

स्थगन प्रस्ताव—

रात की गाड़ी में हत्या ७०९–१०

सभा पटल पर रखे गये पत्र ७१०–११

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

तीसवां प्रतिवेदन ७११

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

लंका में भारतीय उद्भव के राज्यहीन व्यक्ति . . ७११—१३

	पृष्ठ
संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव	७१३—२२
हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड के बारे में चर्चा .	७२२—३७
दैनिक संक्षेपिका	७३८—४३
अंक ८—गुरुवार, २७ नवम्बर, १९५८	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २६१, २६३, २६५ से २७८ . .	७४५—६८
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २	७६८—७०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २६२, २६४, २७९ से २९० . .	७७०—७५
अतारांकित प्रश्न संख्या ४४२ से ४७९ . . .	७७५—९०
स्थगन प्रस्ताव—	
रात की गाड़ी में हत्या	७९०—९२
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	७९२—९३
राज्य सभा से सन्देश	७९३
सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—	
दसवां प्रतिवेदन . .	७९३
दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—	
(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन .	७९३
(२) संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य-सभा-पटल पर रखा गया .	७९३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम . . .	७९३—९४
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक— . .	७९४
पुरस्थापित	
विशेषाधिकार प्रस्ताव —	
केरल के मुख्य मंत्री का वक्तव्य . . .	७९५—८१४
संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . .	८१५—२७
दैनिक संक्षेपिका . .	८२८—३२

अंक ६—शुक्रवार, २८ नवम्बर, १६५८ पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६१ से ३०१ . ८३३—५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३०२ से ३२७ . . . ८५४—६४

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८० से ५२६, ५३१ और ५३२ ८६४—८४

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ८८५

अनुपस्थिति की अनुमति . . . ८८५

एक प्रश्न के उत्तर की कथित अशुद्धता का उल्लेख . ८८६—८७

जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति के बारे में प्रस्ताव ८८७—६६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति—

तीसवां प्रतिवेदन ८६६

विधेयक :

पुरस्थापित : . . . ६००—०३

(१) श्री नलदुर्गकर का व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा १०० का संशोधन) ६००

(२) श्री वाडीवा का हिन्दू दत्तकग्रहण तथा पोषण (संशोधन) विधेयक (धारा १८ का संशोधन) ६००

(३) श्री अ० मु० तारिक का दूकानदार (मूल्यों की पर्चियां लगाना) विधेयक ६००

(४) श्री राम कृष्ण का कारखाना (संशोधन) विधेयक (धारा ४५ और ४७ का संशोधन तथा नई धारा ४७क, ४७ख और ४७ग का रखा जाना) ६०१

(५) श्री राम कृष्ण का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा ३०, ७८, ८५ आदि का संशोधन) ६०१

(६) श्री राम कृष्ण का भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) विधेयक (धारा ८ का संशोधन) ६०१

(७) श्री राम कृष्ण का संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक (धारा ८ का संशोधन) . . . ६०२

(८) श्री राम कृष्ण का प्रबन्ध परिषद् विधेयक . . . ६०२

(९) श्री राम कृष्ण का समवाय (संशोधन) विधेयक (नई धारा ४३क और २५०क का रखा जाना तथा धारा २२४, २३७ आदि का संशोधन) . ६०२

पृष्ठ

(१०) श्री महन्ती का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा ७ का संशोधन) ९०३

मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक—

वापस लिया गया . . . ९०३

समवाय (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत हुआ . . . ९०३—२१

सिक्ख गुरुद्वारा विधेयक—

परिचालित करने का प्रस्ताव . . . . . ९२१—२२

दैनिक संक्षेपिका ९२३—२८

अंक १०—शनिवार, २९ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३२८ से ३३९ . . . ९२९—५२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . ९५२—५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३४० से ३६१ . . . . ९५६—८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३३ से ५४७, ५४९ से ५८१ और ५८३ से ५९४ . ९८०—१००६

लुनेज में तेल के कुएं के स्थान पर आग लगने के बारे में वक्तव्य . १००६—०७

सभा पटल पर रखे गये पत्र . १००७—०८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के बीच सीमा समायोजना सम्बंधी समझौते की कार्यान्विति १००८—१०

सभा का कार्य . . . . १०१०—११

जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति के बारे में प्रस्ताव . . १०११—२९

समवाय अधिनियम के कार्य-संचालन तथा प्रशासन सम्बंधी प्रतिवेदन के बारे में चर्चा . . १०२९—४७

दैनिक संक्षेपिका १०४८—५४

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अंजनप्पा, श्री ब० (नेल्लोर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
अागड़ी, श्री स० अ० (कोप्पल)
अग्रवाल, श्री मानकभाई (मन्दसौर)
अचमम्बा, डा० को (विजयवाड़ा)
अचल सिंह, सेठ (आगरा)
अचिंत राम, श्री (पटियाला)
अजित सिंह, श्री (भटिण्डा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
अनिरुद्ध सिंह, श्री (मधुबनी)
अब्दुर्रहमान, मौलवी (जम्मू तथा काश्मीर)
अब्दुल रशीद, बख्शी, (जम्मू तथा काश्मीर)
अब्दुल लतीफ, श्री (बिजनौर)
अब्दुल सलाम, श्री (त्रिरुचिरापल्ली)
अमजद अली, श्री (धुबरी)
अम्बलम्, श्री सुब्बया (रामनाथपुरम्)
अय्यंगार, श्री म० अनन्तशयनम् (चित्तूर)
अय्यर, श्री ईश्वर (त्रिवेन्द्रम)
अय्यांकण्णु, श्री (नागपट्टिनम--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
अरुमुगम्, श्री रा० सी० (श्री विल्लीपुत्तुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
अरुमुगम्, श्री स० र० (नामक्कल--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
अवस्थी, श्री जगदीश (बिल्हौर)
अशण्णा, श्री (आदिलाबाद)

आ

आचार, श्री क० र० (मंगलौर)
आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)
आसर, श्री प्रेमजी र० (रत्नागिरि)

इ

इकबाल, सिंह, सरदार (फीरोजपुर)
इलयापेरुमाल, श्री ल० (चिदाम्बरम्--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
इलियास, श्री मोहम्मद (हावड़ा)

ई

ईयाचरण, श्री इयानी (पालघाट)

उ

उइके, श्री मं० गा० (मंडला—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
उपाध्याय, पंडित मुनीश्वर दत्त (प्रतापगढ़)
उपाध्याय, श्री शिव दत्त (रीवा)
उमराव सिंह, श्री (घोसी)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नामनिर्देशित—आंग्ल भारतीय)

ओ

ओंकार लाल, श्री (कोटा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
ओझा, श्री घनश्याम लाल (झालावाड़)

क

कटकी, श्री लीलाधर (नौगांव)
कट्टी, श्री द० अ० (चिकोडी)
कनकसबै, श्री (चिदाम्बरम्)
कमल सिंह, श्री (बक्सर)
कयाल, श्री परेश नाथ (बसिरहाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
करमरकर, श्री द० प० (धारवाड़—उत्तर)
कर्णी सिंहजी, श्री (बीकानेर)
कानूनगो, श्री नित्यानन्द (कटक)
कामले, डा० देवराव नामदेवराव (नांदेड़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कामले, श्री बा० चं० (कोपरगांव)
कार, श्री प्रभात (हुगली)
कालिका सिंह, श्री (आजमगढ़)
कासलीवाल, श्री नेमीचन्द्र (कोटा)
किस्तैया, श्री सुरती (बस्तर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
कुन्हन, श्री (पालघाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कुमारन, श्री (चिरयिन्कील)
कुम्भार, श्री बनमाली (सम्बलपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कुरील, श्री बैजनाथ (रायबरेली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कृपालानी, आचार्य (सीतामढ़ी)
कृपालानी, श्रीमती सुचेता (नई दिल्ली)
कृष्ण, श्री मं० रं० (करीमनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कृष्ण चन्द्र, श्री (जलेसर)

क—(क्रमशः)

कृष्णप्पा, श्री मो० वें० (तमकुर)
कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (मद्रास दक्षिण)
कृष्णराव, श्री मं० वें० (मसुलीपट्टनम्)
कृष्णस्वामी, डा० (चिंगलपट)
कृष्णैया, श्री दू० बलराम (गुडिवाडा)
केंदरिया, श्री छगनलाल म० (मांडवी—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
केशव, श्री न० (बंगलौर नगर)
केसकर, डा० बा० वि० (मुसाफिरखाना)
केसर कुमारी देवी, श्रीमती (रायपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कोडियान, श्री (क्विलोन—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कोरटकर, श्री विनायकराव (हैदराबाद)
को कोट्टुकप्पल्ली, श्री जार्ज थामस (मवांत्तुपुजा)

ख

खां, श्री उस्मान अली (कुरनूल)
खां, श्री शाहनवाज (मेरठ)
खां, श्री सादत्त अली (वारंगल)
खाडिलकर, श्री र० के० (अहमदनगर)
खादीवाला, श्री कन्हैयालाल (इन्दौर)
खीमजी, श्री भवनजी अ० (कच्छ)
खुदाबख्श, श्री मुहम्मद (मुर्शिदाबाद)
खेडकर, श्री गोपाल राव (अकोला)
ख्वाजा, श्री जमाल (अलीगढ़)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (उन्नाव—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
गणपति, श्री (तिरुचिन्दूर)
गणपति, राम, श्री (जौनपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
गांधी, श्री फीरोज (रायबरेली)
गांधी, श्री मानिकलाल मगनलाल (पंच महल)
गायकवाड़, श्री भाऊराव कृष्णराव (नासिक)
गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव प्रतापसिंह राव (बड़ौदा)
गुप्त, श्री छेदा लाल (हरदोई)
गुप्त, श्री साधन (कलकत्ता–पूर्व)
गुह, श्री अरुण चन्द्र (बारसाट)
गोडसोरा, श्री शम्भूचरण (सिंहभूभ—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
गोपालन, श्री अ० क० (कासरगोड)
गोरे, श्री नारायण गणेश (पूना)
गोविन्द दास, सेठ (जबलपुर)

ग--(क्रमशः)

गोहेन, श्री चौखामून (नामनिर्देशित--आसाम आदिम जाति क्षेत्र)
गोहोकर, डा० देवराव यशवन्तराव (यवतमाल)
गौंडर, श्री षनमुध (तिंडीवनम्)
गौडंर, श्री दुरायस्वामी (तिरुपत्तूर)
गौंडर, श्री क० पेरियास्वामी (करूर)
गौतम, श्री (बालाघाट)

घ

घारे, श्री अंकुशराव वेंकटराव (जालना)
घोडासार, श्री फतहसिंहजी (कैरा)
घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)
घोष, श्री विमल कुमार (बैरकपुर)
घोष, श्री नलिनी रंजन (कूच बिहार)
घोष, श्री महेन्द्र कुमार (जमशेदपुर)
घोष, श्री सुबिमन (बर्दवान)
घोषाल, श्री अरविन्द (उलुबेरिया)

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बसिरहाट)
चतुर्वेदी, श्री रोहनलाल (एटा)
चन्दा, श्री अनिल कु० (वीरभूम)
चन्द्रशंकर, श्री (भड़ौच)
चंद्रामणि कालो, श्री (सुन्दरगढ़--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
चावन, श्री दा० रा० (कराड़)
चांडक, श्री बी० ल० (छिन्दवाड़ा)
चावदा, श्री अकबर भाई (बनस्कंठा)
चुनीलाल, श्री (अम्बाला--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
चेट्टियार, श्री रामनाथन् (पुदुकोटै)
चौधरी, श्री चन्द्रामणि लाल (हाजीपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
चौधरी, श्री त्रिदिव कुमार (बरहामपुर)
चौधरी, श्री सु० चं० (दुमका)

ज

जगजीवन राम, श्री (सहसराम--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
जयपाल सिंह, श्री (रांची-पश्चिम--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातिया)
जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर)
जाधव, श्री यादव नारायण (मालेगांव)
जीनचन्द्रन्, श्री (टेल्लीचेरी)
जेधे, श्री केशवराव मारुतिराव (बारामती)

ज--(क्रमशः)

जेना, श्री कान्हुचरण (बालासोर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
जैन, श्री अजित प्रसाद (सहारनपुर)
जैन, श्री मूल चन्द (कैथल)
जोगेन्द्र सिंह, सरदार (बहराइच)
जोगेन्द्र सेन, श्री (मंडी)
जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (शाहडोल)
जोशी, श्री लीलाधर (शाजापुर)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (अम्बाला)
ज्योतिषी, पंडित ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर)
झूलन सिंह, श्री (सीवन)

ट

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ठ

ठाकुर, श्री मोतीसिंह बहादुरसिंह (पाटन)

ड

डांगे, श्रीपाद अमृत (बम्बई नगर-मध्य)
डामर, श्री अमर सिंह (झाबुआ--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
डिन्डोड, श्री जाल्जीभाई कोयाभाई (दोहद--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

त

तंगामणि, श्री (मदुरै)
तारिक, श्री अली मुहम्मद (जम्मू तथा काश्मीर)
ताहिर, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
तिवारी, पंडित द्वारका नाथ (केसरिया)
तिवारी, पंडित बाबूलाल (निमाड़--खंडवा)
तिवारी, श्री द्वारिका नाथ (कचार)
तिवारी, श्री राम सहाय (खजुराहो)
तुलाराम, श्री (इटावा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
तेवर, श्री उ० मथुरमलिंग (श्री विल्लीपुत्तूर)
त्यागी, श्री महाबीर (देहरादून)
त्रिपाठी, श्री विश्वम्भर दयाल (उन्नाव)

थ

थामस, श्री अ० म० (एरणाकुलम्)

द

दलजीत सिंह,, श्री (कांगड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दातार, श्री ब० ना० (बेलगाम)
दामानी, श्री सू० र० (जालोर)
दास, श्री कमल कृष्ण (वीरभूम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री नयन तारा (मुंगेर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, डा० मन मोहन (आसनसोल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दासगुप्त, श्री विभूति भूषण (पुरुलिया)
दासप्पा, श्री (बंगलौर)
दिगे, श्री शंकरराव खांडेराव (कोल्हापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दिनेश सिंह, श्री (बांदा)
दुबे, श्री मूलचन्द (फर्रुखाबाद)
दुबलिश, श्री विष्णु शरण (सरधना)
देब, श्री दशरथ (त्रिपुरा)
देव, श्री नरसिंह मल्ल (मिदनापुर)
देव, श्री प्रताप केशरी (कालाहांडी)
देव, श्री प्र० गं० (अंगुल)
देशमुख, डा० पंजाबराव शा० (अमरावती)
देशमुख, श्री कृ० गु० (रामटेक)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
दोरा, श्री दि० स० (पार्वतीपुरम्)
दौलता, श्री प्रताप सिंह (झज्जर)
द्रोहड़, श्री शिवदीन (हरदोई—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
द्विवेदी, श्री म० ला० (हमीरपुर)
द्विवेदी, श्री सुरेन्द्रनाथ (केन्द्रपाड़ा)

ध

धनगर, श्री बन्शी दास (मैनपुरी)
धर्मलिंगम, श्री (थिरुवन्नामलाई)

न

नंजप्प, श्री (नीलगिरि)
नथवानी, श्री नरेन्द्र भाई (सोरठ)
नंदा, श्री गुलजारी लाल (सबरकांठा)
नरसिंहन्, श्री च० र० (कृष्णगिरि)

न—(क्रमश:)

नलदुर्गकर, श्री वैंकटराव श्रीनिवासराव (उस्मानाबाद)
नल्लाकोया, श्री कोयिलाट (नामनिर्देशित—लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप)
नाथ पाई, श्री (राजापुर)
नादर, श्री थानुलिंगम (नागरकोईल)
नायक, श्री मोहन (गंजम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नायडू, श्री गोविन्दराजुलू (तिरुवल्लूर)
नायडू, श्री मुतुकुमारसामी (कडलूर)
नायर, डा० सुशीला (झांसी)
नायर, श्री कुट्टिकृष्णन्, (कोजीकोड)
नायर, श्री च० कृष्णन् (बाह्य दिल्ली)
नायर, श्री वें० प० (क्विलोन)
नायर, श्री वासुदेवन् (तिरुवल्ला)
नारायणदीन, श्री (शाहजहांपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नारायणस्वामी, श्री (पेरियाकुलम्)
नास्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमण्ड हार्बर)
नेगी, श्री नेकराम (महासू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नेसवी, श्री ति० रु० (धारवाड़-दक्षिण)
नेहरू, श्री जवाहर लाल (फूलपुर)
नेहरू, श्रीमती उमा (सीतापुर)

प

पटनायक, श्री उमाचरण (गंजम)
पटेल, श्री नानूभाई निच्छाभाई (बलसार—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
पटेल, श्री पुरुषोत्तमदास र० (मेहसाना)
पटेल, श्री राजेश्वर (हाजीपुर)
पटेल, सुश्री मणिबेन वल्लभभाई (आनन्द)
पट्टाभिरामन्, श्री चे० रा० (कुम्बकोणम)
पद्मदेव, श्री (चम्बा)
पन्नालाल, श्री (फैजाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री करसन दास उ० (अहमदाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री दीनबन्धु (उदयपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
परागीलाल, श्री सीतापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
परूलकर, श्री शामराव विष्णु (थाना)
पलनियाण्डी, श्री (पेरम्बलूर)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ प्रसाद (सवाई माधोपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
पांगरकर, श्री नागराव क० (परभणी)
पांडे, श्री काशीनाथ (हाता)
पांडे, श्री च० द० (नैनीताल)
पांडे, श्री सरजू (रसरा)

प—(क्रमशः)

पाटिल, श्री उत्तमराव ल० (धूलिया)
पाटिल, श्री नाना (सतारा)
पाटिल, श्री बालासाहेब (मिराज)
पाटिल, श्री र० ढो० (भीर)
पाटिल, श्री स० का० (बम्बई नगर-दक्षिण)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (पुरी)
पादलू, श्री कनकपति वीरन्ना (गोलुगोंडा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
पार्वती कृष्णन्, श्रीमती (कोयम्बटूर)
पालचौधरी, श्रीमती इला (नवद्वीप)
पिल्ले, श्री एन्थनी (मद्रास-उत्तर)
पिल्ले, श्री पे० ति० थानू (तिरुनेलवेली)
पुन्नूस, श्री (अम्बल पुजा)
पोकर साहेब, श्री (मंजेरी)
प्रधान, श्री विजय चन्द्रसिंह (कालाहांडी—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

ब

बजाज, श्री कमलनयन (वर्धा)
बदन सिंह, चौ० (बिसौली)
बनर्जी, डा० रामगोति (बांकुरा)
बनर्जी, श्री पुनिल बिहारी (लखनऊ)
बनर्जी, श्री प्रमथनाथ (कण्टाई)
बनर्जी, श्री स० म० (कानपुर)
बरुआ, श्री प्रफुल्ल चन्द्र (शिवसागर)
बरुआ, श्री हेम (गोहाटी)
बर्मन, श्री उपेन्द्र नाथ (कूच बिहार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बलदेव सिंह, सरदार (होशियारपुर)
बसुमतारी, श्री धरनीधर (ग्वालपाड़ा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
बहादुर सिंह, श्री (लुधियाना—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बांगशी ठाकुर, श्री (त्रिपुरा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
बाकलीवाल, श्री मोहनलाल (दुर्ग)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (बीकानेर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बालकृष्णन्, श्री स० चि० (डिंडीगल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बाल्मीकी, श्री कन्हैयालाल (बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बासप्पा, श्री चि० र० (तिपतुर)
बिदारी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर-दक्षिण)
बिष्ट, श्री जंग बहादुर सिंह (अल्मोड़ा)

ब--(क्रमशः)

बीरबल सिंह, श्री (जौनपुर)
बैक, श्री इगनेस (लोहरदगा--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
बैरो, श्री (नामनिर्देशित--आंग्ल-भारतीय)
बोस, श्री प्रभात चन्द्र (धनबाद)
ब्रजराज सिंह, श्री (फिरोजाबाद)
'ब्रजेश' पंडित ब्रज नारायण (शिवपुरी)
ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया)
ब्रह्म प्रकाश, चौ० (दिल्ली सदर)

भ

भंजदेव, श्री लक्ष्मी नारायण (क्योंझर)
भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)
भगत, श्री ब० रा० (शाहबाद)
भगवती, श्री बि० (दरांग)
भटकर, श्री लक्ष्मण रावजी श्रवनजी (अकोला--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
भट्टाचार्य, श्री चपल कांत (पश्चिम दीनाजपुर)
भदौरिया, श्री अर्जुन सिंह (इटावा)
भरूचा, श्री नौशीर (पूर्व खानदेश)
भार्गव, पंडित ठाकुर दास (हिसार)
भार्गव, पंडित मुकट बिहारी लाल (अजमेर)
भोगजी भाई, श्री (बांसवाड़ा--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

म

मंजुला देवी, श्रीमती (ग्वालपाड़ा)
मंडल, डा० पशुपति (बांकुरा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
मंडल, श्री जियालाल (खगरिया)
मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)
मणियंगाडन, श्री मैत्यु (कोट्टयम्)
मतीन, काजी (गिरिडीह)
मतेरा, श्री लक्ष्मण महादु (थाना--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
मनायन, श्री (दार्जिलिंग)
मफीदा अहमद, श्रीमती (जोरहाट)
मल्होत्रा, श्री ठाकुर दास (जम्मू तथा काश्मीर)
मलिक, श्री वैष्णव चरण (केन्द्रपाड़ा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
मल्लय्या, श्री उ० श्रीनिवास (उदीपी)
मसानी, श्री मी० रु० (रांची-पूर्व)
मसुरिया दीन, श्री (फूलपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (ढेंकानाल)

म—(क्रमशः)

महागांवकर, श्री भाऊसाहेब रावसाहेब (कोल्हापुर)
महादेव प्रसाद, श्री (गोरखपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
महेन्द्र प्रताप, राजा (मथुरा)
माईति, श्री नि० वि० (घाटल)
माझी, श्री राम चन्द्र (मयूरभंज—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
माथुर, श्री मथुरा दास (नागौर)
माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (पाली)
माने, श्री गो० का० (बम्बई नगर-मध्य—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, पंडित गोविन्द (सुल्तानपुर)
मालवीय, श्री कन्हैयालाल भेरूलाल (शाजापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, श्री केशव देव (बस्ती)
मालवीय, श्री मोतीलाल (खजुराहो—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मिनिमाता अगमदास गुरु, श्रीमती (बलोदा बाजार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मिश्र, श्री भगवान दीन (केसरगंज)
मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेगू सराय)
मिश्र, श्री रघुबर दयाल (बुलन्दशहर)
मिश्र, श्री राजा राम (फैजाबाद)
मिश्र, श्री ललित नारायण (सहरसा)
मिश्र, श्री विभूति (बगहा)
मिश्र, श्री श्याम नन्दन (जयनगर)
मुकर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता—मध्य)
मुत्तकृष्णन्, श्री मु० (वेल्लोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मुनिस्वामी, श्री न० रा० (वेल्लोर)
मुरमू, श्री पाइका (राजमहल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (झुंझनू)
मुसाफिर, ज्ञानी गुरमुख सिंह (अमृतसर)
मुहम्मद अकबर, शेख (जम्मू तथा काश्मीर)
मुहीउद्दीन, श्री (सिकन्दराबाद)
मूर्ति, श्री ब० स० (काकिनादा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मूर्ति, श्री मि० सू० (गोलुगोंडा)
मेनन, डा० क० ब० (बडागरा)
मेनन, श्री वें० कृ० कृष्ण (बम्बई नगर—उत्तर)
मेनन, श्री नारायणन् कुट्टि (मुकन्दपुरम्)
मेलकोटे, डा० (रायचूर)
मेहता, श्री अशोक (मुजफ्फरपुर)
मेहता, श्रीमती कृष्णा (जम्मू तथा काश्मीर)
मेहता, श्री जसवन्त राज (जोधपुर)
मेहता, श्री बलवन्तराय गोपालजी (गोहिलवाड़)
मेहदी, श्री सै० अहमद (रामपुर)

म—(क्रमशः)

मोरे, श्री ज० घ० (शोलापुर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहीदीन, श्री गुलाम (डिंडीगल)

य

याज्ञिक, श्री इन्दूलाल कन्हैयालाल (अहमदाबाद)
यादव, श्री राम सेवक (बाराबंकी)

र

रंगा, श्री (तेनालि)
रंगाराव, श्री (करीम नगर)
रघुनाथ सिंहजी, श्री (बाड़मेर)
रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
रघुबीर सहाय, श्री (बदायूं)
रघुरामैया, श्री कोत्ता (गुण्टूर)
रणवीर सिंह, चौ० (रोहतक)
रहमान, श्री मु० हिफ़ज़ुर (अमरोहा)
राउत, श्री भोला (चम्पारन—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राउत, श्री राजाराम बालकृष्ण (कोलाबा)
राजबहादुर, श्री (भरतपुर)
राजय्या, श्री देवनपल्ली (नलगोंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राजू, श्री द० स० (राजामुंद्री)
राजू, श्री विजयराम (विशाखापटनम)
राजेन्द्र सिंह, श्री (छपरा)
राज्य लक्ष्मी, श्रीमती ललिता (हजारीबाग)
राधामोहन सिंह, श्री (बलिया)
राधा रमण, श्री (चांदनी चौक)
राने, श्री शिवराम रंगो (बुलडाना)
राम कृष्ण, श्री (महेन्द्र गढ़)
रामकृष्णन्, श्री पी० रा० (पोल्लाची)
रामगरीब, श्री (बस्ती—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रामधनी दास, श्री (नवादा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रामपुरे, श्री महादेवप्पा (गुलबर्गा)
रामम्, श्री उद्दाराजू (नरसापुर)
राम सुभग सिंह, डा० (सहसराम)
रामस्वामी, श्री क० स० (गोबी चट्टिपलयम्)
रामस्वामी, श्री पु० (महबूबनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रामस्वामी, श्री सें० ं० (सैलम)

र—(क्रमशः)

रामशंकर लाल, श्री (डुमरियागंज)
राम शरण, श्री (मुरादाबाद)
रामानन्द तीर्थ, स्वामी (औ ंगाबाद)
राय, श्री खुशवक्त (खेरी)
राय, श्री बीरेन (कलकत्ता—दक्षिण-पश्चिम)
राय, श्रीमती रेणुका (मालदा)
राय, श्री विश्व नाथ (सलेमपुर)
राव, श्री इ० मधुसूदन (महबूबाबाद)
राव, श्री त० ब० विट्ठल (खम्मम्)
राव, श्री तिरुमल (काकिनाडा)
राव, श्री देवुलपल्ली वेंकटेश्वर (नलगौंडा)
राव, श्री रा० जगन्नाथ (कोरापट)
राव, श्री बी० राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, श्री रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री हनुमन्त (मेदक)
रुंगसुंग सुइसा, श्री (बाह्यमनीपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
रूप नारायण, श्री (मिर्जापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रेड्डी, श्री क० च० (कोलार)
रेड्डी, श्री रो० नरपा (ओंगोल)
रेड्डी, श्री नागी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री बाली (मरकापुर)
रेड्डी, श्री राम कृष्ण (हिन्दूपुर)
रेड्डी, श्री रामी (कड़पा)
रेड्डी, श्री रे० लक्ष्मी नरसा (नेल्लोर)
रेड्डी, श्री विश्वनाथ (राजमपेट)

लक्ष्मण सिंह, श्री (नामनिर्देशित—अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह)
लक्ष्मीबाई, श्रीमती (विकाराबाद)
लच्छीराम, श्री (हमीरपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
लाश्कर, श्री निवारण चन्द्र (कचार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
लाहिरी, श्री जितेन्द्रनाथ (श्रीरामपुर)

व

वर्मा, श्री बि० बि० (चम्पारन)
वर्मा, श्री माणिक्य लाल (उदयपुर)
वर्मा श्री राम सिंह भाई (निमाड़)

व –(क्रमशः)

वर्मा, श्री राम जी (देवरिया)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (बलरामपुर)
वाडीवा, श्री ना० (छिन्दवाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वारियर, श्री कृ० की० (त्रिचूर)
वाल्वी, श्री लक्ष्मण वेदू (पश्चिमी खानदेश—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
वासनिक, श्री बालकृष्ण (भंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
विजय राजे, कुंवररानी (छतरा)
विल्सन, श्री जान न० (मिर्जापुर)
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (आजमगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वीरेन्द्र सिंह जी, श्री (रायपुर)
वेद कुमारी, कुमारी मोत्ते (एलुरु)
वेंकटा सुब्बैया, श्री पेन्देकान्ति (अडोनी)
वेरावन, श्री अ० (तंजोर)
वोडयार, श्री क० गु० (शिमोगा)
व्यास, श्री रमेश चन्द्र (भीलवाड़ा)
व्यास, श्री राधे लाल (उज्जैन)

श

शंकर देव, श्री (गुलबर्गा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शंकरपांडियन, श्री (टंकासी)
शंकरय्या, श्री (मैसूर)
शकुन्तला देवी, श्रीमती (बंका)
शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द्र (हापुड़)
शर्मा, श्री दीवान चन्द (गुरदासपुर)
शर्मा, श्री राधा चरण (ग्वालियर)
शर्मा, श्री हरिश चन्द्र (जयपुर)
शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (गुड़गांव)
शास्त्री, श्री लाल बहादुर (इलाहाबाद)
शास्त्री, पंडित ही० (सवाई माधोपुर)
शास्त्री, स्वामी रामानन्द (बाराबंकी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शाह, श्री मनुभाई (मध्य सौराष्ट्र)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टेहरी गढ़वाल)
शाह, श्रीमती जयाबेन वजुभाई (गिरनार)
शव, डा० गंगाधर (चित्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शवनजप्पा, श्री (मंडया)
शवराज, श्री (चिंगलपट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (बलौदा बाजार)
शोभा राम, श्री (अलवर)
श्री नारायण दास, श्री (दरभंगा)

स

संगण्णा, श्री तो० (कोरापट--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
संबंदम्, श्री (नागपट्टिनम)
सक्सेना, श्री शिब्बन लाल (महाराजगंज)
सतीश चन्द्र, श्री (बरेली)
सत्य नारायण, श्री बिद्दिका (पार्वतीपुरम्--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
सत्यभामा देवी, श्रीमती (नवादा)
सम्पत्, श्री (नामक्कल)
सरदार, श्री भोली (सहरसा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
सरहदी, श्री अजित सिंह (लुधियाना)
सहगल, सरदार अमर सिंह (जंजगीर)
सहोदरा बाई, श्रीमती (सागर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
साधू राम, श्री (जालन्धर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)
सामन्तसिंहार, डा० न० च० (भुवनेश्वर)
सालंके, श्री बाला साहेब (खेड़)
साहु, श्री भागवत (बालासोर)
साहू, श्री रामेश्वर (दरभंगा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
सिंह, श्री क० ना० (शहडोल--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
सिंह, श्री चन्डिकेश्वर शरण (सरगुजा)
सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (पपरी)
सिंह, श्री दिनेश प्रताप (गोंडा)
सिंह, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर)
सिंह, श्री त्रि० ना० (चन्दौली)
सिंह, श्री महेन्द्र नाथ (महाराजगंज)
सिंह, श्री लैसराम अचौ (आन्तरिक मनीपुर)
सिंह, श्री सत्यनारायण (समस्तीपुर)
सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद--बिहार)
सिंह, श्री हर प्रसाद (गाजीपुर)
सिंहासन सिंह, श्री (गोरखपुर)
सिदय्या, श्री (मैसूर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
सिद्धनंजप्पा, श्री (हसन)
सिन्धिया, श्रीमती विजय राजे (गुना)
सिन्हा, श्री कैलाशपति (नालन्दा)
सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)
सिन्हा, श्री सारंगधर (पटना)
सुगन्धि, श्री सु० मु० (बीजापुर--उत्तर)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
सुब्बारायन्, डा० (तिरुचेंगोड)
सुब्राह्मण्यम्, श्री टेकुर (बेल्लारी)

स—(क्रमशः)

सुमत प्रसाद, श्री (मुज्जफरनगर)
सुल्तान, श्रीमती मैमना (भोपाल)
सूपकार, श्री श्रद्धाकर (सम्बलपुर)
सूर्य प्रसाद, श्री (ग्वालियर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सेठ, श्री बिशन चन्द (शाहजहांपुर)
सेन, श्री अशोक कु० (कलकत्ता—उत्तर-पश्चिम)
सेन, श्री फनी गोपाल (पूर्निया)
सैलकू, श्री मारदी (पश्चिमी दीनाजपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
सैयद महमूद, डा० (गोपालगंज)
सोनावाने, श्री तयप्पा (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सोनुले, श्री हरिहरराव (नांदेड़)
सोमानी, श्री ग० ध० (दौसा)
सोरेन, श्री देवी (दुमका—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
स्नातक, श्री नरदेव (अलीगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
स्वर्ण सिंह, सरदार (जालंधर)
स्वामी, श्री (चांदा)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
हजारनवीस, श्री रा० मा० (भंडारा)
हजारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)
हरवानी, श्री अन्सार (फतेहपुर)
हाथी, श्री जयसुखलाल लालशंकर (हालर)
हाल्दर, श्री कन्सारी (डायमण्ड हार्बर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
हिनिटा, श्री हूवर (स्वायत्त जिले—रक्षित—अनसूचित आदिम जातियां)
हुक्म सिंह, सरदार (भटिण्डा)
हेडा, श्री ह० चं० (निजामाबाद)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार

उपाध्यक्ष

सरदार हुक्म सिंह

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री मोहम्मद इमाम
श्री चे० रा० पट्टाभिरामन
श्री जयपाल सिंह

सचिव

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर-एट-ला

कार्य मंत्रणा समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—**सभापति**
सरदार हुक्म सिंह
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री शिवराम रंगो राने
श्री श्रीनारायण दास
श्री ब० स० मूर्ति
श्रीमती सुचेता कृपालानी
श्री म० ला० द्विवेदी
श्री रघुबीर सहाय
श्री त० ब० विट्ठलराव
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी
श्री सुरेन्द्र महन्ती
श्री जयपाल सिंह
श्री विजयराम राजू

विशेषाधिकार समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**
श्री सत्य नारायण सिंह

234-A LSD—2.

विशेषाधिकार समिति—(क्रमशः)

श्री अशोक कुमार सेन
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय
डा० सुब्बारायन
श्री नेमीचन्द्र कासलीवाल
श्रीमती जयाबेन बजूभाई शाह
श्री ना० वाडीवा
श्री सारंगधर सिन्हा
श्री शिवराम रंगो राने
श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी
श्री इन्दुलाल कन्हैया लाल याज्ञिक
श्री विमल कुमार घोष
श्री श्रद्धाकर सूपकार
श्री हूवर हिनिटा

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

श्री मूलचन्द दुबे—**सभापति**
श्रीमती शकुन्तला देवी
श्री व० ना० स्वामी
श्री अय्याकण्णु
श्री राम कृष्ण
श्री अमल कृष्ण दास
श्री सूरती किस्तैया
श्री रूंग सुंग सुइसा
श्री बी० ल० चांडक
श्री क० र० आचार
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही
श्री करसनदास परमार
श्री यादव नारायण जाधव
श्री हरिश्चन्द्र शर्मा
श्री इगनेस बैक

प्राक्कलन समिति

श्री ब० गो० मेहता—**सभापति**
श्री श्रीपाद अमृत डांगे
सरदार जोगेन्द्रसिंह
डा० सुशीला नायर
श्री राधा चरण शर्मा
चौधरी रणवीर सिंह
श्री गोपालराव खेडकर

प्राक्कलन समिति—(क्रमशः)

श्रीमती सुचेता कृपालानी
श्री तिरुमल राव
श्री विश्वनाथ रेड्डी
श्री रामनाथन् चेट्टियार
श्री न० र० घोष
पंडित गोविंद मालवीय
श्री रेशम लाल जांगड़े
श्री मथुरा दास माथुर
श्री डोडा तिमैया
श्री म० ला० द्विवेदी
श्री र० के० खाडिलकर
श्री भा० कृ० गायकवाड़
श्री श्रद्धाकर सूपकार
श्री रोहन लाल चतुर्वेदी
श्रीमती मफीदा अहमद
काजी मतीन
श्री नरेन्द्रभाई नथवानी
श्री राजेश्वर पटेल
श्री विजयराम राजू
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री शंकर पांडियन
श्री झूलन सिंह
श्री रामजी वर्मा

आश्वासनों सम्बन्धी समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव—**सभापति**
श्री अनिरुद्ध सिंह
श्री मूल चन्द दुबे
श्री भक्त दर्शन
श्री चि० र० बासप्पा
श्री सुब्बया अम्बलम्
श्रीमती इला पालचौधरी
श्री नवल प्रभाकर
श्री जसवंत राज मेहता
श्री मोती लाल मालवीय
श्री कमल सिंह
श्री अटल बिहारी बाजपेयी
श्री रामजी वर्मा
श्री र० के० खाडिलकर
श्री वासुदेवन नायर

याचिका समिति

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन—**सभापति**
पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी
श्रीमती उमा नेहरू
पंडित द्वारिका नाथ तिवारी
श्रीमती कृष्णा मेहता
श्री अब्दुल सलाम
श्री जियालाल मंडल
श्री क० गु० वोडयार
श्री नानूभाई निन्छाभाई पटेल
श्री पेन्देकान्ति वेंकटासुब्बैया
श्री प्रताप सिंह दौलता
श्री द० रा० चावन
श्री बै० च० मलिक
श्री रामचन्द्र माझी
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**
सरदार अमर सिंह सहगल
श्री नरेन्द्र भाई नथवानी
श्रीमती इला पालचौधरी
श्री कृष्ण चन्द्र
श्री झूलन सिंह
श्री संबंदम्
श्री स० अ० अगाड़ी
श्री जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया
श्री सुन्दर लाल
श्री ईश्वर अय्यर
श्री बाला साहेब पाटिल
श्री प्रमथ नाथ बनर्जी
श्री श्रद्धाकर सूपकार
श्री शम्भूचरण गोडसोरा

लोक-लेखा समिति

लोक-सभा

श्री रंगा—**सभापति**
डा० राम सुभग सिंह
पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी
श्री रामेश्वर साहू
श्री तो० संगण्णा

लोक-लेखा समिति—(क्रमशः)

लोक-सभा—(क्रमशः)

श्री अ० चं० गुह
श्री न० रा० मुनिस्वामी
श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन
श्री रघुबर दयाल मिश्र
श्री दासप्पा
श्री अरविन्द घोषाल
श्री प्रभात कार
श्री जयपाल सिंह
श्री शिवराज
श्री खुशवक्त राय

राज्य-सभा

राजकुमारी अमृत कौर
श्री अमोलक चन्द
श्री टी० आर० देवगिरिकर
श्री एस० वेंकटरामन
श्री एम० गोविन्द रेड्डी
श्री रोहित मनुशंकर दवे
श्री एम० बसवपुनैय्या

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**
श्री फणि गोपाल सेन
श्री अजित सिंह सरहदी
श्री ठाकुर दास मलहोत्रा
श्री क० स० रामस्वामी
श्री सिंहासन सिंह
श्री जितेन्द्र नाथ लाहिरी
श्री बहादुर सिंह
श्री विश्वनाथ रेड्डी
श्री कन्हैया लाल भेरूलाल मालवीय
श्री अरविन्द घोषाल
श्री मोहम्मद इमाम
डा० कृष्णस्वामी
श्री ब्रजराज सिंह
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन

सामान्य प्रयोजन समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—**सभापति**
सरदार हुक्म सिंह

सामान्य प्रयोजन समिति—(क्रमशः)

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री ब० गो० मेहता
श्री रंगा
श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या
श्री मूलचन्द दुबे
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री श्रीपाद अमृत डांगे
आचार्य कृपालानी
श्री इन्दुलाल याज्ञिक
श्री जयपाल सिंह
श्री विजयराम राजू
श्री प्र० के० देव
श्री भा० कृ० गायकवाड़
डा० कृष्णस्वामी
श्री मोहम्मद इमाम
श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्

आवास समिति

श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या—**सभापति**
श्री रेशम लाल जांगड़े
श्री दिग्विजय नारायण सिंह
श्री राजेश्वर पटेल
श्री मणिकलाल मगनलाल गांधी
श्री मि० सू० मूर्ति
श्रीमती मैमूना सुलतान
श्री कमल कृष्ण दास
श्री बैरो
श्रीमती पार्वती कृष्णन
श्री खुशवक्त राय
श्री भाऊसाहेब रावसाहेब महागांवकर

संसद्-सदस्यों के वेतन और भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति

लोक-सभा

श्री सत्य नारायण सिंह—**सभापति**
श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या
श्री दीवन चन्द शर्मा

संसद्-सदस्यों के वेतन और भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति—(क्रमशः)

लोक-सभा—(क्रमशः)

श्री चपलकान्त भट्टाचार्य
श्री कन्हैयालाल खादीवाला
श्री रघुबर दयाल मिश्र
श्री दुरायस्वामी गौण्डर
श्री नारायण गणेश गोरे
श्रीमती पार्वती कृष्णन्
श्री उ० मयुरमलिंग तेवर

राज्य-सभा

श्रीमती अम्मु स्वामिनाथन्
श्री अमर नाथ अग्रवाल
श्री जसपत राय कपूर
डा० आर० पी० दुबे
श्री एम० एन० गोविन्दन नायर

नियम समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—**सभापति**
सरदार हुक्म सिंह
श्री सत्य नारायण सिंह
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्
श्री टेकुर सुब्रह्मण्यम
श्री राधे लाल व्यास
श्री तय्यपा हरि सानावने
श्री शिवराम रंगो राने
डा० सुशीला नायर
श्री तंगामणि
श्री पुरुषोत्तम दास पटेल
श्री अमजद अली
श्री मी० रु० मसानी
श्री भाऊराव कृष्णराव गायकवाड़

भारत सरकार

मंत्रि-मंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति विभाग के भारसाधक मंत्री——श्री जवाहरलाल नेहरू
गृह-कार्य मंत्री——श्री गोविन्द वल्लभ पन्त
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री——श्री लाल बहादुर शास्त्री
रेलवे मंत्री——श्री जगजीवन राम
वित्त मंत्री——श्री मोरारजी देसाई
श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री——श्री गुलजारी लाल नन्दा
परिवहन तथा संचार मंत्री——श्री स० का० पाटिल
विधि मंत्री——श्री अ० कु० सैन
इस्पात, खान और ईंधन मंत्री——सरदार स्वर्ण सिंह
सिंचाई और विद्युत् मंत्री——हाफिज मुहम्मद इब्राहीम
निर्माण, आवास और संभरण मंत्री——श्री क० च० रेड्डी
खाद्य तथा कृषि मंत्री——श्री अजित प्रसाद जैन
प्रतिरक्षा मंत्री ——श्री व० कृ० कृष्णमेनन

राज्य-मंत्री

संसद्-कार्य मंत्री ——श्री सत्य नारायण सिंह
सूचना और प्रसारण मंत्री——डा० बा० वि० केसकर
स्वास्थ्य मंत्री——श्री दी० प० करमरकर
सहकार मंत्री——डा० पंजाबराव शा० देशमुख
खान और तेल मंत्री——श्री केशव देव मालवीय
पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री——श्री मेहर चन्द खन्ना
वाणिज्य मंत्री——श्री नित्यानन्द कानूनगो
परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री——श्री राज बहादुर
गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री——श्री ब० ना० दातार
उद्योग मंत्री——श्री मनुभाई शाह
सामुदायिक विकास मंत्री——श्री सुरेन्द्र कुमार डे
शिक्षा मंत्री ——डा० का० ला० श्रीमाली
वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री——श्री हुमायन कबिर
राजस्व और असनिक व्यय मंत्री——डा० बे० गोपाल रेड्डी

उपमंत्री

प्रतिरक्षा उपमंत्री——सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया
श्रम उपमंत्री——श्री आबिद अली

उपमंत्री (क्रमशः)

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री—श्री अनिल कु० चन्दा
कृषि उपमंत्री—श्री मो० वें० कृष्णप्पा
सिंचाई और विद्युत उपमंत्री—श्री जयसुख लाल लालशंकर हाथी
वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री—श्री सतीश चन्द्र
योजना उपमंत्री—श्री श्याम नन्दन मिश्र
वित्त उपमंत्री—श्री ब० रा० भगत
वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री—डा० मनमोहन दास
रेलवे उपमंत्री—श्री शाहनवाज़ खां
रेलवे उपमंत्री—श्री सें० वें० रामस्वामी
वैदेशिक कार्य उपमंत्री—श्रीमती लक्ष्मी मेनन
गृह-कार्य उपमंत्री—श्रीमती वायलेट आल्वा
प्रतिरक्षा उपमंत्री—श्री कोत्ता रघुरामैया
असैनिक उड्डयन उपमंत्री—श्री मुहउद्दीन
खाद्य तथा कृषि उपमंत्री—श्री अ० म० थामस
पुनर्वास उपमंत्री—श्री पू० शे० नास्कर
विधि उपमंत्री—हजारनवीस
वित्त उपमंत्री—श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा

सभा सचिव

वैदेशिक-कार्यमंत्री के सभा सचिव—श्री सादत्त अली खां
वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव—श्री जो० ना० हजारिका
सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव—श्री जी० राजगोपालन
श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा सचिव—श्री ललित नारायण मिश्र
प्रतिरक्षा मंत्री के सभा सचिव—श्री फतेहसिंहराव प्रतापसिंहराव गायकवाड़
सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव—श्री आ० चं० जोशी
सामुदायिक विकास मंत्री के सभा सचिव—श्री ब० स० मूर्ति
इस्पात, खान और इंधन मंत्रो के सभा सचिव—श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा

लोक-सभा वाद-विवाद

खंड २२ दूसरी लोक-सभा के छठे सत्र का पहला दिन अंक १

लोक-सभा

सोमवार, १७ नवम्बर १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पूर्वी योरोप के देशों को शिष्ट मण्डल

+

*†१. श्री वि० चं० शुक्ल :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बहादुर सिंह :
श्री दामानी :
श्री वाजपेयी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय, जूट और नारियल जटा उद्योगों और राज्य व्यापार निगम के प्रतिनिधियों का जो शिष्टमण्डल निर्यात बाजार का सर्वेक्षण करने के लिये पूर्वी योरोप के देशों को गया था उसके सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले हैं ;

(ख) क्या शिष्टमण्डल ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ग) यदि हां, तो उसकी विशिष्ट बातें क्या हैं ; और

(घ) इस शिष्टमण्डल की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने वाली है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) से (घ). शिष्टमंडल ने अगस्त १९५८ में भारत लौटने के फौरन बाद अपना प्रतिवेदन दे दिया था । प्रतिवेदन की विशिष्ट बातों

†मूल अंग्रेजी में

और की गयी अथवा की जाने वाली कार्यवाही के व्यौरे का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १]**

†**श्री वि० चं० शुक्ल:** विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि इस व्यापार के विषय में पूर्वी जर्मनी से समझौता भी हो चुका है। क्या इस व्यापार समझौते के सम्बन्ध में स्विंग बैलेंस और रुपयों के रूप में नगद उधार की कोई व्यवस्था की गयी है और इस समझौते की विशिष्ट बातें क्या हैं?

†**श्री सतीश चन्द्र:** वैदेशिक व्यापार के महानिदेशक इस समझौते के लिये बातचीत करने गये थे, े अभी विदेश में ही हैं। वे अब अन्य देशों में गये हैं। हमें इस सम्बन्ध में जो भी जानकारी मिली थी वह एक विज्ञप्ति में प्रकाशित की जा चुकी है।

†**श्री वि० चं० शुक्ल:** विवरण से यह प्रकट होता है कि यह व्यापार समझौता करने के पहले रुपयों के खाते को लचकदार बनाना होगा और उसे लचकदार बनाने के लिये नगदी उधार और यह स्विंग बैलेंस व्यवस्था करनी पड़ेगी। समझौता करने से पहले यह व्यवस्था कर ली गयी है या यह बाद में की जायगी?

†**श्री सतीश चन्द्र:** यह बात समझौते में ही आ जायेगी। वैदेशिक व्यापार के महानिदेशक इन स्विंग बैलेंसों का सुझाव लेकर ही भारत से गये हैं और अब तक जो भी जानकारी मिली है उसके अनुसार इसके बारे में बातचीत हुई है और मेरे ख्याल से इस सम्बन्ध में कुछ व्यवस्था भी हो गयी है। हम उसका व्यौरा जल्द ही दे देंगे।

†**श्री दी० चं० शर्मा:** विवरण से यह प्रकट होता है कि राज्य व्यापार निगम के कार्य कलाप का विस्तार किया जायगा। क्या अस्थायी रूप से इस बात का निर्णय किया गया है कि इसमें से कितना व्यापार राज्य व्यापार निगम के जिम्मे होगा और कितना गैर-सरकारी व्यापारियों के हाथ में?

†**श्री सतीश चन्द्र:** सिफारिश में कहा गया है कि राज्य व्यापार निगम को उपभोक्ता के लिये अधिक उपयोगी बनाया जाना चाहिये और इसी दिशा में उसका अध्ययन किया जाना चाहिये। इसमें बिल्कुल वही बात नहीं कही गयी जिसका माननीय सदस्य जिक्र कर रहे हैं।

†**श्री बहादुर सिंह:** विवरण से पता चलता है कि पोलैण्ड, यूगोस्लाविया, बल्गेरिया और हंगरी में हमारा कोई वाणिज्यिक प्रतिनिधि नहीं है। इन देशों में अब तक कोई वाणिज्यिक प्रतिनिधि न भेजने का क्या कारण है?

†**श्री सतीश चन्द्र:** माननीय सदस्य विवरण में यह देखेंगे कि पोलैण्ड में एक वाणिज्यिक प्रतिनिधि नियुक्त किया जा चुका है; उन्होंने वारसा में अपना कार्यभार भी सम्भाल लिया है। शीघ्र ही बेलग्रेड में भी एक प्रतिनिधि की नियुक्ति की जायगी।

†**श्री वाजपेयी:** विवरण में कहा गया है कि कुछ देशों ने अपरम्परागत मदों में दिलचस्पी दिखायी है, बशर्ते कि रुपये उपलब्ध हों। क्या उन देशों में रुपया-निधि उपलब्ध होने की कुछ सम्भावना है?

†**श्री सतीश चन्द्र:** यह सारी बातचीत भारत में रुपया-निधि उपलब्ध करने की दृष्टि से चलायी जा रही है। लेकिन यह तभी सम्भव होगा। जब हम इन देशों से केवल आयात ही करें, और अब जो बातचीत चल रही है वह आयात और निर्यात के फलस्वरूप भुगतान शेष के सिद्धान्त पर आधारित है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री पाणिग्रही: इस विवरण से प्रगट होता है पूर्वी योरोप के देशों में लौह और मैंगनीज अयस्क की बड़ी मांग है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश में लौह और मैंगनीज अयस्क की बहुत सारी खानें हैं, क्या हम इन लौह और मैंगनीज अयस्कों के निर्यात की सम्भावनाओं का पता लगा रहे हैं ?

†श्री सतीश चन्द्र: इन में से कुछ देशों को तो हम पहले ही लौह और मैंगनीज अयस्कों का निर्यात कर रहे हैं। यदि अधिक निर्यात सम्भव हुआ और वहां इनकी और मांग रही, तो हम निश्चय इस बात का पता लगायेंगे बशर्ते कि जिन अन्य देशों को हम निर्यात कर रहे हैं उनके अलावा इन मांगों को पूरा कर पायें।

†श्री भा० कृ० गायकवाड़ : इस शिष्ट मण्डल के कौन-कौन सदस्य थे और सरकार ने इस दौरे पर कितना व्यय किया है ?

†श्री सतीश चन्द्र : इस शिष्टमण्डल में चाय उद्योग के चार प्रतिनिधि, जूट उद्योग के दो प्रतिनिधि तथा नारयिल जटा उद्योग का एक प्रतिनिधि था, राज्य व्यापार निगम का एक प्रतिनिधि था और मैं भी उसके साथ गया था। वास्तविक व्यय के आंकड़े तो मैं अभी नहीं बता सकता पर यह कुछ हजार रुपये है। यह संख्या कई हजार की है लेकिन एक लाख रुपये से कम है।

†श्री वि० चं० शुक्ल: विवरण में कहा गया है कि सरकार राज्य व्यापार निगम की भूमिका और उपभोक्ताओं के लिये उसकी उपयोगिता, उसकी भूमिका और उपयोगिता बढ़ाने की सम्भावनाओं का पता लगा रही है। सरकार इस पर किस दिशा में विचार कर रही है ?

†श्री सतीश चन्द्र: हमें कई बातों का सुझाव दिया गया था। जैसे क्योंकि राज्य व्यापार निगम निर्यात करने वाला है इसलिये उसे सामान के बढ़िया किस्म के होने और उसके निरीक्षण आदि की जिम्मेदारी लेनी चाहिये। यह काम इस समय साधारणतया राज्य व्यापार निगम के अभिकर्त्ता द्वारा किया जाता है। इन बातों पर हम यथासमय व्यौरे वार विचार करेंगे।

भारतीय खिलौने

†*२. श्री अ० मु० तारिक: क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भारतीय खिलौनों की मांग है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के खिलौनों की मांग है और किन-किन देशों में; और

(ग) क्या सरकार देश में खिलौना उद्योग को प्रोत्साहन देने और खिलौनों की बिक्री का केन्द्रीयकरण करने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) से (ग): एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) शिक्षात्मक, धातु के, लकड़ी के और अन्य प्रकार के खिलौनों के सम्बन्ध में अमरीका, कनाडा, सऊदी अरब, अदन, बाहरीन द्वीप समूह और स्विट्जरण्ड ने पूछताछ की है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देकर, कारीगरों को प्रशिक्षण देकर और गवेषणा तथा डिजायन केन्द्रों की स्थापना करके सरकार और अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड उत्पादन बिक्री आदि को विकसित करने के लिये विभिन्न प्रकार की कार्यवाहियां की हैं। बिक्री के लिये केन्द्रीय सरकार प्रदर्शनियां और प्रचार के अन्य तरीके आयोजित करती है। राज्य सरकारों को यह सलाह दी गयी है कि वे भारत भर में बनायी जाने वाली इन वस्तुओं को अपने मुख्य भण्डारों से बिक्री करें।

सेठ अचल सिंह: क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि १६५८ नुमाइश में हिन्दुस्तान के खिलौनों की नुमाइश लगायी गयी है या नहीं ?

श्री मनुभाई शाह : जहां और इंडस्ट्रीज की एग्जिबीशन लगायी गयी है वहां थोड़े से खिलौने जरूर रखे गये हैं लेकिन उनका अलग से कोई स्टाल नहीं बनाया गया है

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** विदेशों को इन वस्तुओं का कितने मूल्य का निर्यात होता है ?

†**श्री मनु भाई शाह :** जहां तक खिलौनों के पृथक् आंकड़ों का सम्बन्ध है, उनका वर्ष में १५–२० लाख रुपयों का निर्यात होता है ?

†**श्री सुब्बया अम्बलम :** क्या खिलौने बनाने वाले कुछ जापानी विशेषज्ञ इस देश में हमारे यहां के लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, और यदि हां, तो किस प्रकार का प्रशिक्षण किन-किन स्थानों पर दिया जाता है।

†**श्री मनुभाई शाह** · हमने चार विशेषज्ञ आमन्त्रित किये हैं। उनका अधिकांश कार्य-काल पूरा हो चुका है और वे चले गये हैं। हमने अपने खिलौनों को सुधारने में उनके विशेषज्ञान से बड़ा लाभ उठाया है। वास्तव में, इस समय आसाम में गौहाटी में चार विशेषज्ञ बेंत और बांस के विषय में फिर गये हैं और वे वहां खिलौने बनाने के सम्बन्ध में भी प्रशिक्षण देंगे।

श्री अ० मु० तारिक : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हुकूमत के पेशेनजर कोई ऐसी स्कीम है कि जिसके तहत हिन्दुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में खिलौने बनाने के जो कारखाने हैं उन को एक मरकज में जमा करके वसीय पैमाने पर खिलौने बनाने का काम किया जाये ?

श्री मनुभाई शाहः : ऐसी स्कीम तो जरूर है और १६ प्रोडक्शन कम-ट्रेनिंग सेंटर हिन्दुस्तान के अलग-अलग राज्यों में मौजूद हैं और हैंडीक्राफ्ट बोर्ड उनको और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जहां तक इसको एक मरकज के नीचे लाने का सवाल है, बोर्ड खुद ही मरकज का काम करता है और जैसा मैं ने स्टेटमेंट में बताया है हर राज्य को परामर्श दिया गया है कि वह अपने एम्पोरियम द्वारा इन चीजों को खुद तरक्की दें।

†**श्री तंगामणि** : इस चालू अवधि के लिये दस्तकारी बोर्ड ने राज्य-सरकारों को कितनी वित्तीय सहायता दी है ?

†**श्री मनुभाई शाहः** : पिछले वर्ष २,७८,५५८ रुपये।

भारत-पाकिस्तान प्रतिलिप्यधिकार करार

†*३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** २७ अगस्त, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि लेखकों, कवियों, संगीतकारों और फिल्म-निर्माताओं के प्रतिलिप्याधिकारों की रक्षा के लिये भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच एक करार पर हस्ताक्षर करने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : अभी पाकिस्तान के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या सरकार को लेखकों, कवियों और फिल्म निर्माताओं से यह अभ्यावेदन मिला है कि पाकिस्तान में उनके प्रतिलिप्याधिकार का अतिक्रमण किया गया है और क्या सरकार ने उनके अधिकारों की रक्षा के लिये कुछ कार्यवाही की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं समझता हूं कि भारत और पाकिस्तान दोनों की ओर से प्रतिलिप्याधिकार उल्लंघन की शिकायतें आई थीं। मलतः, पाकिस्तान सरकार ने हमें इस विषय पर पत्र भेजा था कि हम इस सम्बन्ध में एक करार कर लें । उस पर हमने कहा था कि हम इसके लिये तैयार हो जायेंगे लेकिन हम भारतीय प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के संसद् में पास हो जाने की प्रतीक्षा करते रहे । उसके पास होते ही हमने इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार को लिखा लेकिन उस पत्र का हमारे पास कोई उचित उत्तर नहीं आया है ।

†**श्री अन्सार हरवानी** : क्या सरकार को पता है कि साहित्य अकादमी मौलाना अबुल कलाम आजाद की जिन कृतियों को प्रकाशित करने वाली है वे पहले ही पाकिस्तान में मुक्त रूप से प्रकाशित की जा चुकी हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरा ख्याल है कि वह छप चुकी हैं ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या पाकिस्तान इस विषय के अन्तर्राष्ट्रीय समझौते में शामिल है।

†**श्री जवाहलाल नेहरू** : मुझे पता नहीं ।

पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के लिये दण्डकारण्य योजना

+

*†४. { **श्री बर्मन** :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री विमल घोष :
श्री पाणिग्रही :
श्री हाल्दर :
श्री प्र० के० देव :
श्री वि० च० प्रधान :
श्री वि० च० शुक्ल : }

क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री** १९ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २१९ और ४ सितम्बर १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४८२ के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य योजना के प्रशासन के लिये दण्डकारण्य विकास प्राधिकार की स्थापना में कितनी प्रगति हुई है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस योजना के अधीन भूमि को कृषि योग्य बनाने के काम में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) इस समय मार्गस्थ शिविरों में रहने वाले कितने विस्थापित व्यक्तियों ने दण्डकारण्य क्षेत्र में बसाये जाने की स्वीकृति दे दी है;

(घ) उनके पुनर्वास के लिये दण्डकारण्य क्षेत्र में क्या प्रबन्ध किया गया है; और

(ङ) इस योजना के अधीन अभी तक कितने व्यक्तियों को बसाया जा चुका है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) तब से दण्डकारण्य विकास प्राधिकार की स्थापना हो चुकी है।

(ख) फारसगांव नामक पहले गांव का निर्माण किया जा चुका है और लगभग २००/३०० एकड़ भूमि को कृषि योग्य बना लिया गया है। भूमि को कृषि योग्य बनाने वाले दलों का विभिन्न स्थानों से दण्डकारण्य क्षेत्र की ओर प्रस्थान शीघ्र ही आरम्भ होने वाला है।

(ग) इन की संख्या तो अभी नहीं मालूम, लेकिन कई आवेदन पत्र आ चुके हैं।

(घ) विस्थापित व्यक्तियों २०,०००/३०,००० परिवारों को रोजगार देने और फिर से बसाने की योजना बनायी गयी है। इसके लिये आवश्यक प्रबन्ध किया जा रहा है।

(ङ) कोई भी नहीं।

†**श्री बर्मन** : क्या शिविरों में रहने वाले शरणार्थियों को यह समझाने के लिये कोई कार्यवाही की गयी है कि दण्डकारण्य योजना से क्या-क्या लाभ हैं ताकि इस योजना के विरुद्ध होने वाले कितने भी प्रचार का असर उन पर न हो सके, और यदि हां तो क्या ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : हम ने हाल ही में इस योजना के बारे में अंग्रेजी और बंगला में एक व्यौरे वार पुस्तिका बंटवायी है और पश्चिमी बंगाल के शिविर सुपरिंटेंडेंटों की एक बैठक बुलायी थी जिसमें उन्हें यह समझाया गया था कि यह योजना क्या है और इसमें शरणार्थियों को क्या सुविधायें आदि प्राप्त होंगी। हम ने शिविर पुपरिंटेंडेंटों से यह अनुरोध किया था कि वे अपने अपने शिविरों में जाकर विस्थापित व्यक्तियों को ये बातें बतायें। हम कलकत्ते में भी एक प्रचार केन्द्र की स्थापना कर रहे हैं।

†**श्री बर्मन** : कुछ समय पहले यह प्रस्ताव किया गया था कि वास्तव में शिविरों में रहने वाले शरणार्थियों को अपने पड़ोसियों के साथ उस स्थान पर भेज दिया जाना चाहिए ताकि वे भूमि को कृषि योग्य बनाने में कार्य कर सकें और इस प्रकार वहां की भूमि से परिचित हो जायें, और यदि वे राजी हो जायें तो उन्हें सुविधायें दी जायें। क्या वे अब इन स्थानों पर चले गये हैं ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : हाल ही में पुनर्वास मंत्री ने कलकत्ते में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से एक भेंट में उन्हें यह बता दिया था कि उन्हें दिसम्बर में किसी समय दण्डकारण्य ले जाकर वह क्षेत्र दिखा दिया जायगा। उस समय हमें आशा थी कि विस्थापित व्यक्तियों का वहां जाना इस वर्ष के अन्त तक या जनवरी के आरम्भ में शुरू हो जायेगा।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच है कि कुछ हज़ार विस्थापित व्यक्ति दण्डकारण्य भेजे गये थे लेकिन उन्हें वहां रखने से इंकार कर दिया गया और उन्हें लौटना पड़ा ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : अभी कोई नहीं गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जयपाल सिंह** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों में आम तौर पर दण्डकारण्य में फिर से बसाये जाने के सम्बन्ध में प्रतिकूल भाव है, क्या सरकार ने इस बात के लिये कोई अवधि निर्धारित कर दी है जिसके बाद वे इस समस्या पर शरणार्थियों के हित में विचार नहीं करेंगे वरन उन आदिम जातियों को बसाने का प्रयास करेंगे जो न केवल उस क्षेत्र में वरन् अन्य क्षेत्रों में भी विस्थापित हो गयी हैं ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : पिछली जुलाई में यह निर्णय किया गया था कि पश्चिमी बंगाल के शिविरों को भंग कर २०-३० हजार परिवारों को दण्डकारण्य ले जाया जाये और उनका पुनर्वास करने के चरम उद्देश्य से उन्हें रोजगार दिया जाये । पश्चिम बंगाल सरकार के अनुसार पश्चिमी बंगाल में १०,००० परिवारों को फिर से बसाया जायेगा ।

†**श्री जयपाल सिंह** : उन्होंने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कार्य के लिये सुझाव था और मंत्री महोदय से सीधा उत्तर अपेक्षित नहीं है । वह अवधि निश्चित करने और उसके बाद आदिमजाति के लोगों को वहां भेजने के सुझाव पर विचार करेंगे ।

†**श्री पू० शे० नास्कर** : यह निश्चय किया गया है कि पश्चिमी बंगाल के सब शिविरों को ३१ जुलाई, १९५९ तक भंग कर दिया जाय ।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : मंत्री महोदय ने कहा है कि कई आवेदन पत्र आये हैं । उन्हें ठीक-ठीक कुल कितने आवेदन-पत्र मिले हैं और कितने शिविरों से उन्हें अनुकूल उत्तर मिले हैं ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : मैं प्राप्त आवेदन पत्रों की ठीक-ठीक संख्या तो नहीं बता सकता लेकिन ये कुछ शिविरों तक ही सीमित नहीं हैं । शिविरों के बाहर रहने वाले लोगों के आवेदन-पत्र भी आये हैं ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिमी बंगाल में ही २०,००० विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाने का निश्चय किया है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : जुलाई में जो बैठक हुई थी उसमें राज्य सरकार ने कहा था कि शिविरों के लगभग १०,००० विस्थापित व्यक्तियों के परिवा ों के पश्चिमी बंगाल में फिर से बसाये जाने की संभावना है ।

†**श्री विमल घोष** : क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने उस निर्णय पर फिर से विचार किया है और अब वह यह बताने की स्थिति में है कि अधिक विस्थापित व्यक्तियों के परिवारों को फिर से बसाया जा सकता है, और क्या इन विस्थापित व्यक्तियों को दण्डकारण्य ले जाने से पहले उनके प्रतिनिधियों को वहां ले जाकर उन्हें यह दिखा दिया जायेगा कि वहां पर किस तरह का विकास-कार्य हुआ है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : राज्य सरकार ने पहले कहा था कि पश्चिमी बंगाल में शिविरों के १०,००० से अधिक परिवारों को नहीं बसाया जा सकता । विस्थापित व्यक्तियों के प्रतिनिधियों को दण्डकारण्य ले जाने के विषय में, जैसा मैं पहले बता चुका हूं, पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री डा० राय

---

†मूल अंग्रेजी में

के वक्तव्य के अनुसार विधान सभा में विभिन्न दलों के नेताओं को दण्डकारण्य ले जाकर वहां सब चीजें दिखा दी जायेंगी।

†**श्री विमल घोष** : मेरा प्रश्न यह नहीं था।

†**सरदार हुक्म सिंह** : यदि पूर्वी पाकिस्तान से आये व्यक्ति काफी बड़ी संख्या में दण्डकारण्य में फिर से बसाये जाने के लिये राजी न हों तो क्या सरकार इस आशय के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को वहां पर बसाया जाय विशेष रूप से ऐसे लोगों को जिनकी जमीन अलाभकारी हैं अथवा जिन की जमीनों में पानी भर गया है?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : यह प्राथमिकता देने की बात है। पिछली बार यह प्रश्न कुछ अधिक परिष्कृत रूप में पूछा गया था। और माननीय प्रधान मंत्री ने यह उत्तर दिया था कि इन सब बातों पर उचित समय पर विचार किया जायेगा।

†**श्री प्र० के० देव** : पहाड़ियों की ढलान पर झूमी खेती या परिवर्त्तनीय खेती बंद हो जाने के कारण अनुसूचित आदिम जातियों के बहुत से लोग विस्थापित होते जा रहे हैं। क्या सरकार इन क्षेत्रों में इन विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसायेगी?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : झूमी खेती के स्थान पर उत्तल खेती[1] होने लगी है। इसलिये, क्या उन्हें किसी स्थान पर फिर से बसाया जाना जरूरी है? मैं यह प्रश्न नहीं समझ पाया। उनके सुधार और अच्छी खेती के ख्याल से यह परिवर्त्तन किया जा रहा है और वे जहां हैं वहीं ज्यादा बेहतर हालत में फिर से बस जायेंगे।

†**श्री प्र० के० देव** : क्या इन क्षेत्रों में उत्तल खेती के लिये कोई योजना है? ....

†**अध्यक्ष महोदय** : हम पुनर्वास से हटकर उत्तल खेती पर चले जा रहे हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती** : इस समय बडी संख्या में जो वृद्ध व्यक्ति, स्त्रियां और बच्चे स्थायी-दायित्व वाले शिवरों में हैं क्या उन्हें भी दण्डकारण्य भेजा जाने वाला है और क्या उनके पुनर्वास के कार्य को भी ३१ जुलाई, १९५९ को समाप्त हो चुका समझा जायगा?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वृद्ध स्त्री-पुरुष दोनों के लिये विशेष व्यवस्था की जायगी।

†**श्री मुहम्मद इलियास** : क्या सरकार विरोधी दलों के इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि शेष विस्थापित व्यक्तियों को दण्डकारण्य में भेजने के बजाय पश्चिमी बंगाल में ही फिर से बसा दिया जाय?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : विरोधी दलों ने हाल ही में राज्य सरकार से यह प्रस्ताव किया था। और मुख्य मंत्री डा० राय ने विस्थापित व्यक्तियों को पश्चिमी बंगाल में फिर से बसाने की संभावनाओं का ब्योरा देते हुए एक नया वक्तव्य दिया है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य ने वह वक्तव्य पढ़ा होगा।

डा० रा० बनर्जी : विस्थापित व्यक्तियों को पश्चिमी बंगाल में बसाने के फलस्वरूप पश्चिमी बंगाल के बहुत से लोग विस्थापित होते जा रहे हैं। क्या भारत सरकार पश्चिमी बंगाल के उन लोगों को फिर से बसाने के कार्य को प्राथमिकता देगी जो विस्थापित व्यक्तियों को वहां बड़ी संख्या में बसाने के फलस्वरूप विस्थापित हो गये हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Terrace Cultivation.

श्रम जीवी पत्रकारों के लिये मजूरी समिति

+

†*५. { **श्री राम कृष्ण :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २४ अगस्त, १९५८ के तारांकित **प्रश्न संख्या** १२५ के उत्तर **के संबंध** में यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) श्रमजीवी पत्रकारों को दी जाने वाली मजूरी की दरों के संबंध में केन्द्रीय सरकार से सिफारिशें करने के लिये जो विशेष समिति नियुक्त की गयी थी क्या उसने इस बीच अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री रामकृष्ण :** क्या अब तक इस समिति की कोई बैठक हुई है ?

†**श्री आबिद अली :** बम्बई और मद्रास में इस समिति की बैठकें हो चुकी हैं। अब कलकत्ते में बैठक होगी।

†**श्री राम कृष्ण :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अपना प्रतिवेदन देने में यह समिति काफी समय लगायेगी क्या सरकार श्रमजीवी पत्रकारों को अन्तरिम सहायता का भुगतान करने का सुझाव देने वाली है ?

†**श्री आबिद अली :** हमें इस वर्ष के अन्त तक समिति का प्रतिवेदन मिल जाने की आशा है।

श्री भक्त दर्शन : शुरू में यह मालूम पड़ा था कि समाचारपत्रों के मालिक इस नई कमेटी की नियुक्ति से असन्तुष्ट हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अब वे इस कार्य में पूरा सहयोग दे रहे हैं या कोई अड़चनें डाल रहे हैं ?

†**श्री आबिद अली :** पूरा सहयोग दे रहे हैं।

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या समिति अपने प्रतिवेदन को अंतिम रूप प्रदान करने से पहले अखबारों के मालिकों की भुगतान करने की क्षमता पर भी विचार करेगी ?

†**श्री आबिद अली :** जी हां।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** यह समिति अभी किन-किन राज्यों का दौरा करेगी और क्या यह समिति जहां भी जाती है वहां इस बात का ध्यान रखती है कि कई कर्मचारियों को नोटिस दिये जा रहे हैं और कई मालिक अपने अखबारों को बन्द कर देने के नोटिस लगा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आबिद अली** : मैं बता चुका हूं कि समिति बम्बई और मद्रास का दौरा कर चुकी है और अब उसकी बैठक कलकत्ते में होगी। प्रश्न के बाद वाले अंश के संबंध में यह है कि कुछ शिकायतें आई थीं और वे संबंधित राज्य सरकारों के पास भेज दी गयीं हैं --हां, जहां तक मद्रास के अखबारों के बन्द किये जाने का संबंध हैं, उसके नोटिस तो वापस भी लिये जा चुके हैं।

†**श्री स० म० बनर्जी** : मंत्री महोदय ने अभी बताया कि यह समिति भुगतान करने की क्षमता पर विचार करेगी। यही उन कारणों में से एक था जिन पर उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया था और पूरा पंचाट रद्द हो गया था। अब, जब क्षमता सरकार को मालूम है तो यह समिति फिर से इस बात पर विचार क्यों कर रही है ?

†**श्री आबिद अली** : समिति के लिये ब्यौरे की इन सभी बातों पर विचार करना बहुत आवश्यक है। साथ ही, जैसा पहले बताया जा चुका है, लेखे की जांच के लिये २० आयकर पदाधिकारी नियुक्त किये गये थे और इस विचार के समय समिति उनकी राय पर भी विचार करेगी।

†**श्री तंगामणि**: उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि मालिक अपनी उपलब्ध सामग्री लाकर सरकार की सहायता करने को राजी नहीं थे। क्या वे अब इस समिति की सहायता कर रहे हैं या वही पिछला बाधा डालने वाला रवैया ही अपनाये हुए हैं ?

†**श्री आबिद अली** : सभी अखबार-संस्थापनों ने, जिन में अखबारों और समाचार-समितियों के दोनों संघों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं, लिखित वक्तव्य दिये हैं--इन में से ८१ तो संस्थापनों ने दिये हैं और ३ समाचार समितियों के हैं। इसलिये यह स्पष्ट है कि वे समिति के साथ सहयोग कर रहे हैं।

†**श्री आसर** : क्या सरकार को यह पता है कि प्रतिवेदन देने में समिति जो अनुचित विलम्ब कर रही है उससे श्रमजीवी पत्रकारों में असन्तोष पैदा हो रहा है ?

†**श्री आबिद अली** : दो महीनों के भीतर समिति का प्रतिवेदन हमें मिल जायगा। श्रमजीवी पत्रकार समिति के कार्य की गति से संतुष्ट हैं।

†**श्री भक्त दर्शन** : माननीय मंत्री जी ने प्रारम्भ में बताया था कि इस कमेटी को अधिक से अधिक तीन महीने का समय दिया जायगा। मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन सी खास अड़चनें पड़ीं हैं जिन की वजह से इतनी देरी लग रही है ?

श्री आबिद अली : मैंने अर्ज किया है कि करीब ८४ तो स्टेटमेंट्स एम्पलायर्स की तरफ से आए हैं और एम्पलायीज की तरफ से भी आए हैं। सब मिला कर करीब १५० रिटन स्टेटमेंट्स मिले हैं। उनके हिसाब की जांच पड़ताल की भी बहुत जरूरत थी ; इसके बाद शहादतें ली गई और कमेटी उन मकानात पर जा रही है जिन का मैंने जिक्र किया है। जैसा मैंने कहा है वर्किंग जर्नलिस्ट्स को पूरे तरीके से एत्मीनान है कि यह कमेटी काफी फुर्ती से काम कर रही है।

†**श्री आचार** : मंत्री महोदय ने बताया कि समिति बम्बई और मद्रास का दौरा कर चुकी है और अब कलकत्ते में उसकी बैठक होगी। क्या समिति प्रत्येक राज्य के कम से कम एक महत्वपूर्ण केन्द्र में जाने वाली है।

†**श्री आबिद अली** : वह बम्बई जा चुके हैं और उन्होंने पश्चिमी क्षेत्र का काम पूरा कर लिया है। मद्रास जाकर उन्होंने दक्षिणी क्षेत्र का कार्य पूरा कर लिया है। अब वे कलकत्ते में हैं और फिर दिल्ली में भी बैठेंगी--इस प्रकार सभी क्षेत्रों का काम पूरा हो जायगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दुस्तान केबल्स (प्राइवेट) लिमिटेड

+

†*६. { **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री बर्मन :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान केबल्स (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा रूपनारायनपुर में १००० मील लम्बी केबल्स के वार्षिक निर्माण का लक्ष्य पूरा हो गया है ;

(ख) स्वदेशी और विदेशी केबल्स की तुलनात्मक स्थिति कैसी है ; और

(ग) इस्पात का फीता और तांबे के तार की वार्षिक आवश्यकता कितनी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) प्रारम्भ में विभिन्न साइज की ४६९ मील केबल्स का लक्ष्य निश्चित किया गया था । किन्तु अब हमारी उत्पादन क्षमता १००० मील तक पहुंच गई है और डाक तथा तार विभाग की आवश्यकता के अनुसार हम इस का निर्माण कर सकते हैं ।

(ख) स्वदेशी केबल्स की आयात किये गये केबल्स से तुलना सर्वथा अनुकूल है ।

(ग) प्रत्येक मील केबल्स के लिये इस्पात के फीते और तांबे के तार की एक-एक टन मात्रा आवश्यक है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : उत्पादित केबल की कितनी मात्रा डाक विभाग में प्रयुक्त की जाती है और सरकार के अन्य विभागों में उस की कितनी खपत होती है । क्या वह गैर-सरकारी पार्टियों को भी उपलब्ध है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह सर्वथा डाक तथा तार विभाग की आवश्यकतानुसार है किन्तु अब हम उत्पादन बढ़ाने का विचार कर रहे हैं ताकि इस का निर्यात किया जा सके ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच नहीं है कि इस्पात के फीते का भारत में निर्माण करने के लिये एक फैक्टरी प्रयत्न कर रही है ; यदि हां, तो सरकार इसे कितनी सहायता दे रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह इस फैक्टरी का कच्चा माल है । हम इसे पूरी सहायता दे रहे हैं । इस फैक्टरी द्वारा निर्मित इस्पात का फीता अत्यन्त संतोषजनक सिद्ध हुआ है और हम स्वदेशी उत्पादन के विस्तार का प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**श्री बर्मन** : हिन्दुस्तान केबल्स में आजकल किस प्रकार के केबल्स नहीं बनाये जा रहे हैं और इस में कितनी विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त है ? क्या इन केबल्स को भारत में बनाने की कोई परि-योजना है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : केबल की मांग अत्यन्त व्यापक है । सामान्य विद्युत् उद्योग में **पी वी सी** और **वी आई आर** केबल्स की आवश्यकता रहती है । २६०० लाख गज की सामर्थ्य है जो इस देश में पूर्णतः गैर-सरकारी उद्योगों द्वारा पूरी की जाती है । इस विशिष्ट फैक्टरी की स्थापना डाक तथा तार विभाग के लिये आवश्यक भारी किस्म की केबल्स की मांग पूरी करने के लिये की गई थी । हम देश की सम्पूर्ण मांग पूरी करने का प्रयत्न कर रहे हैं । लगभग ६ महीने की अवधि में हम

†मूल अंग्रेजी में

को-एक्सीयल' केबल्स भी बनाने की आशा रखते हैं जिस की आवश्यकता डाक तथा तार विभाग रहती है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या इस देश से इस के निर्यात की कोई संभावना है और यदि हां, तो यह कब तक हो सकेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं ने पहले ही कहा था कि हम निर्यात की संभावनायें ढूंढ रहे हैं। हमें आशा है कि इस की कीमत और किस्म कुछ प्रतियोगी होगी तथा हमें उस दिशा में सफलता प्राप्त हो सकती है ।

†**श्री बोस** : क्या हम डाक तथा तार विभाग की पूरी वार्षिक आवश्यकता संतुष्ट कर देते हैं अथवा कुछ मात्रा का आयात करना पड़ता है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : चालू वर्ष में लगभग १,१०,००,००० रुपये के मूल्य की केबल्स का उत्पादन किया गया है। रूपनारायन स्थित फैक्टरी में निर्मित होने वाली फैक्टरी की केबल्स की किस्म के आयात की अनुमति नहीं दी जाती है। कुछ को-एक्सीयल किस्म की केबल्स हैं जिन का आयात किया जाता है और उन की कीमत ४५ लाख से ५० लाख रुपये तक अलग अलग है । हम इस की आवश्यकता भी पूरी करना चाहते हैं ।

†**श्री विमल घोष** : मेरा अनुमान है कि डाक तथा तार विभाग फैक्टरी की पूर्ण उत्पादन क्षमता का उपयोग नहीं कर रहा है। अतः क्या सरकार ने अन्य देशों को निर्यात की संभावना मालूम की है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं ने इस प्रश्न का पहले ही उत्तर दे दिया है । यह फैक्टरी आरम्भ में डाक तथा तार विभाग की आवश्यकता पूर्ति के लिये बनाई गई थी । अब हम सब किस्म की केबल्स का उत्पादन कर रहे हैं और उस के निर्यात की संभावनायें खोज रहे हैं ।

रबड़ इंस्टीट्यूट और बोर्ड कार्यालय के लिये भवन

+

†*७. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने रबड़ रिसर्च इंस्टीट्यूट और बोर्ड कार्यालय के संयुक्त भवन के निर्माण की योजना प्रारम्भ कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भवन निर्माण आरम्भ हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो आज तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). निर्माण शीघ्र ही प्रारम्भ होने वाला है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या भवन निर्माण का कार्य सीधे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की देख रेख में होगा अथवा इसे गैर सरकारी ठेकेदार करेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

¹Co-axial Cables.

†श्री कानूनगो : इसे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग करेगा और निर्माण के लिये टेंडर आमंत्रित किये जायेंगे ?

†श्री सुबोध हंसदा : इस फैक्टरी के लिये कुल कितनी राशि नियत की गई है ?

†श्री कानूनगो : यह ९ लाख रुपये से कुछ अधिक है ।

†श्री सुबोध हंसदा : यह भवन कहां निर्मित किया जायेगा ?

†श्री कानूनगो : कोट्टयम ।

†श्री स० चं० सामन्त : सरकार के विभिन्न विभाग इसके निर्माण लागत को किस रूप में वहन करेंगे ?

†श्री कानूनगो : निर्माण व्यय वहन करने का कोई प्रश्न नहीं है । भवन का निर्माण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की देखरेख में किया जायेगा और विभाग को उन का सामान्य निरीक्षण व्यय मिल जायेगा और भवन की कुल लागत रबड़ बोर्ड देगा ।

विभाजन समिति

+

†*८. { श्री बहादुर सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम कृष्ण :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम पाकिस्तान और पंजाब सरकारों की विभाजन समिति की कोई बैठक अक्टूबर, १९५८ के दौरान शिमला में हुई थी ;

(ख) इस बैठक में किन-किन विषयों पर निर्णय किया गया था ;

(ग) क्या सम्पूर्ण कार्य-सूची का निबटारा हो गया था अथवा कुछ विषय भविष्य में निर्णय के लिये छोड़ दिये गये थे ; और

(घ) किन-किन विषयों पर निर्णय कर लिया गया है ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) से (ग). जी हां । पंजाब विभाजन समिति ने कुछ वित्तीय तथा उन अन्य विषयों पर विचार किया था जो अविभक्त पंजाब के विभाजन से उत्पन्न हुए थे और सम्पूर्ण कार्य-सूची पर चर्चा की गई थी ।

(घ) जिन मदों पर समझौता हुआ है वे इस प्रकार हैं : (१) अखंड पंजाब के पुलिस विभाग की आस्तियां; (२) लाहौर संग्रहालय की वस्तुओं का बंटवारा; (३) कुछ इमारतों के बारे में वित्तीय समायोजन; और (४) १९४७ के साम्प्रदायिक उपद्रवों में घायल हुए सरकारी कर्मचारियों अथवा मारे गये व्यक्तियों के आश्रितों को पेंशन अथवा अनदान की स्वीकृति ।

श्री बहादुर सिंह : विभाजन के समय छोड़ी गई अविभक्त सम्पदा का पंजाब में कुल कितना शेअर है जिसे पाकिस्तान भारत को देगा ?

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : कौन सी अविभक्त सम्पदा है? माननीय सदस्य गैर-सरकारी सम्पत्ति की ओर निर्देश कर रहे हैं अथवा सरकारी सम्पत्ति की ओर ?

†**श्री बहादुर सिंह** : विभाजन के समय में पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्ति की ओर निर्देश है।

†**अध्यक्ष महोदय** : लेकिन कैसी सम्पत्ति है—क्या सरकारी सम्पत्ति है ?

†**श्री बहादुर सिंह** : जी हां ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मोटे रूप में, विशेष क्षेत्र की सरकारी सम्पत्ति उसी क्षेत्र में चली गई । उस के विभाजन का कोई प्रश्न नहीं है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या लाहौर की पब्लिक लाइब्रेरी और ओल्ड रेकार्ड आफिस का भी लेखा रखा गया था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे उस के बारे में विशिष्ट ज्ञान नहीं है किन्तु जैसा मैं ने कहा था सामान्यतया यह किया गया कि जो भी सरकारी भवन अथवा सम्पदा किसी विशेष क्षेत्र में स्थित थी तो वह उस क्षेत्र की सरकार से सम्बन्धित मान ली गई । माननीय सदस्य यह अनुभव करेंगे कि भारत की समग्र सम्पत्ति और पाकिस्तान की समूची सम्पत्ति का लेखा-जोखा तैयार करना असम्भव है । यह बात दोनों देशों पर लागू होती है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : यह सम्पूर्ण सम्पत्ति का प्रश्न नहीं है। क्या बहुमूल्य पुस्तकों से युक्त 'पब्लिक लाइब्रेरी' का भी हिसाब किया गया था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन का कहना है कि उन्हें स्मरण नहीं है । क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि 'पब्लिक लाइब्रेरी' के सम्बन्ध में क्या किया गया था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : लाहौर की पब्लिक लाइब्रेरी ?

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : जी हां ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमारी स्थिति उसी धरातल पर है । मैं निश्चित उत्तर नहीं दे सकता हूं किन्तु मेरे सहयोगी के उत्तर में बताया गया है कि जिन विषयों के सम्बन्ध में विभाजन किया गया था उन में लाहौर संग्रहालय की वस्तुयें भी सम्मिलित हैं ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या लाहौर संग्रहालय और पब्लिक लाइब्रेरी का विभाजन की दृष्टि से जोखा किया गया था ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : श्रीमान्, मैं यह जानकारी दे दूं क्योंकि मैं उस समय विभाजन सम्बन्धी विषयों से सम्बन्धित था । "पब्लिक लाइब्रेरी" के सम्बन्ध में यथार्थ स्थिति यह है कि यह सरकारी सम्पत्ति नहीं थी और इसीलिये निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार इसका विभाजन नहीं हो सकता था । लाइब्रेरी के प्रबन्ध और देखभाल के लिये एक गैर-सरकारी संगठन बना हुआ था ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान

+

†*११. { श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री राम कृष्ण :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १४ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान की दर ६ ¼ से बढ़ा कर ८ ⅓ प्रतिशत करने का निर्णय कब क्रियान्वित किया जायेगा ;

(ख) क्या कोयला खानों की औद्योगिक समिति के छटे सैशन द्वारा कोयला खान सुरक्षा निधि योजना के अधीन आने वालों के लिये दर वृद्धि पर विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार का निर्णय किया गया है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) अंशदान की दर बढ़ाने के प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है । अतः अभी इसे क्रियान्वित करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(ख) समिति का छठा सैशन अभी नहीं हुआ है ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : तीन महीने पहले मन्त्री महोदय ने यह कहा था कि वह कर्मचारियों की कान्फ्रेंस आयोजित कर रहे हैं । क्या नियोजकों के सम्मेलन का आयोजन इस विषय पर चर्चा करने के लिये किया गया है और यदि हां, तो क्या कोई निर्णय किया गया है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नंदा)** : मैंने कहा था कि निस्सन्देह ही नियोजकों से परामर्श किया जायेगा किन्तु मैंने यह भी बताया था कि उस समय की स्थितियों में इस दिशा में कोई कार्यवाही करने का मेरा इरादा नहीं था ।

†**श्री राम कृष्ण** : भविष्य निधि की दर बढ़ाने से कुल कितना अतिरिक्त खर्चा होगा ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : आजकल कुल अंशदान २९.६४ करोड़ रुपये है और प्रस्तावित वृद्धि के परिणामस्वरूप ९.८८ करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय होगा ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव**: माननीय मन्त्री ने गत अगस्त में अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में यह कहा था :—

"इस विषय पर विचार करने के लिये हम उनके साथ कान्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं ।"

अब यह कहते हैं कि इसका आयोजन नहीं किया गया है और न ही इस दिशा में कोई कदम उठाने का विचार है ।

†**श्री नंदा** : मैं इस दिशा में कार्यवाही कर रहा हूं । कान्फ्रेंस का आयोजन किया जायेगा । मैंने उस समय केवल यह संकेत प्रकट किया था कि नियोजकों को उकसाने के लिये मैं उस समय शीघ्र कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता था । माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं यह बता दूं कि मैं शीघ्र ही इस प्रकार के सम्मेलन की आयोजना पर विचार कर रहा हूं । आगामी दो महीने की अवधि के आसपास यह कर दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री तंगामणि: इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुए कि सरकार और कर्मचारी दोनों ही सोलहवें श्रम सम्मेलन में दर बढ़ाने के लिये सहमत हो गये थे, मैं यह जानना चाहता हूं कि बम्बई में श्रम समिति की बैठक में इस पर विचार किया गया था और यदि नहीं, तो इस पर चर्चा क्यों नहीं की गई ?

†श्री नंदा : मीटिंग की कार्य सूची में यह विषय नहीं था। इसमें सन्देह नहीं है कि सरकार और कर्मचारी इन वार्ताओं में महत्वपूर्ण भागीदार हैं किन्तु नियोजकों पर भी विचार करना है। उस समय यह व्यक्त किया था कि इस प्रकार के विचार के लिये अनुकूल परिस्थिति नहीं है किन्तु जैसा मैंने अभी बताया है हम नियोजकों से परामर्श कर इस विषय पर विचार करेंगे।

†श्री मोहम्मद इलियास : कोयला सम्बन्धी औद्योगिक समिति के छटे सैशन की मीटिंग अभी तक आयोजित क्यों नहीं की गई जबकि पिछली मीटिंग को दो वर्ष से भी अधिक समय गुजर चुका है।

†श्री नंदा : यदि माननीय सदस्य के मस्तिष्क में भविष्य निधि का प्रश्न है तो इसका उत्तर यह है कि इस विशिष्ट उद्योग क्षेत्र सम्बन्धी वार्ता पर भी सामान्य चर्चा का प्रभाव पड़ेगा।

†श्री त० ब० विट्ठलराव : मैं जानना चाहता हूं कि जिन उद्योगों में उत्पादन, कीमत तथा अन्य बातें विनियमित हैं वहां इसे क्रियान्वित क्यों नहीं किया जाता है ?

†श्री नंदा : निस्सन्देह ही ऐसा किया जाना चाहिये।

†श्री बोस : माननीय मन्त्री ने कहा था कि उस समय की स्थिति के परिणामस्वरूप उन्होंने सुरक्षा निधि की दर बढ़ाने के लिये कोई कदम नहीं उठाया। क्या अब परिस्थिति बदल गई है और अब वह कार्यवाही करेंगे ?

†श्री नंदा : मैं इसका स्वीकारात्मक उत्तर दे दिया है।

†श्री स० म० बनर्जी: अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में माननीय मन्त्री ने बताया था कि नियोजकों ने इस वृद्धि पर कुछ आपत्ति उठाई है। किन्तु दर वृद्धि के लिये सहमत होने वाले नियोजकों से उद्योगों में उपरोक्त योजना क्रियान्वित करने के लिये क्या ठोस कदम उठाये गये हैं ?

†श्री नंदा : इसे इतनी सरलतापूर्वक नहीं किया जा सकता है।

†श्री स० म० बनर्जी: मेरा अभिप्राय सूती वस्त्र उद्योग अथवा किसी अन्य उद्योग से था। यह किन उद्योगों में किया गया है ?

†श्री नंदा : पहले तो दर वृद्धि पर निर्णय किया जायेगा और निर्णय बाद में होगा।

नमक का निर्यात

†*१२. श्री कोडियान : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों में नमक के निर्यात में कुछ कमी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है।

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) नमक का निर्यात मुख्यतः जापान को होता है किन्तु चालू वर्ष में उस देश को जाने वाले नमक के निर्यात में कमी का कारण यह है कि जापान ने भारत से नमक मंगाना इसलिये कम कर दिया है कि उसे अन्य स्रोतों से यह मिल रहा है और दूसरा कारण यह है कि उन्हें विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। निर्यात में कमी का एक और कारण यह है कि इण्डोनेशिया ने वहां उत्पादन में कमी के कारण १९५६ और १९५७ में भारत से नमक मंगाया था, अब इस वर्ष उन्होंने कुछ नमक नहीं मंगाया है।

(ग) नमक के निर्यात सम्बन्धी प्रश्न पर नमक आयुक्त, निर्यात संवर्द्धन निदेशालय, राज्य व्यापार निगम और जापान तथा अन्य देशों में हमारे दूतावास प्रयत्न कर रहे हैं ;

†**श्री कोडियान** : निर्यात के लिये कुल कितना नमक उपलब्ध होगा और क्या निर्यात के लिये अन्तिम लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : स्वदेशी उद्योग तेजी से बढ़ रहा है और हम हर वर्ष पांच लाख टन से अधिक नमक आसानी से निर्यात के लिये बचा सकते हैं।

†**श्री कोडियान** : क्या हाल के कुछ वर्षों में नमक के उत्पादन में कुछ प्रगति हुई है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, हां। १९४८ में २१ लाख टन था जो चालू वर्ष में बढ़ कर ४५ लाख टन हो गया है।

†**श्री पाणिग्रही** : जापान को निर्यात में कमी पर ध्यान देते हुए क्या भारत सरकार इस नमक को किन्हीं अन्य स्थानों में भेजने का विचार कर रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये हम प्रयत्न कर रहे हैं भारत के स्वतन्त्र होने के पश्चात् हम काफी तादाद में नमक विदेशों से मंगा रहे थे। तो इस उद्योग ने देश को नमक के सम्बन्ध में न केवल आत्मभरित कर दिया है किन्तु अब लगभग पांच लाख टन नमक निर्यात के लिये उपलब्ध है। हम अधिक निर्यात के लिये प्रयत्न कर रहे हैं किन्तु हमें यह बात नहीं भूलना चाहिये कि और देश भी अपना-अपना नमक उद्योग बढ़ाने की दिशा में प्रयत्नशील हैं।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : माननीय मन्त्री ने कहा था कि जापान को निर्यात किये जाने वाले नमक की मात्रा में कमी हो गई है क्योंकि जापान को अन्य देशों से नमक मिल रहा है। क्या सरकार ने कोई जांच की है कि जापानी उद्योगपतियों ने भारत को छोड़ कर अन्य संसाधनों से नमक खरीदना क्यों प्रारम्भ कर दिया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सभा को विदित है कि अनेक क्षेत्रों में चीन का नये रूप में प्रादुर्भाव हो रहा है—वह नमक के उत्पादन में भी प्रतिद्वंदी है। जापान कुछ नमक चीन से मंगा रहा है। इण्डोनेशिया दो वर्ष से हमसे नमक खरीद रहा है क्योंकि वहाँ नमक उद्योग कुण्ठित हो गया है। उन्होंने उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की है। इसीलिये उस देश के निर्यात में कमी हो गई है। फिर भी हम सम्पूर्ण सम्भावनाओं की खोज कर रहे हैं और हम आजकल जापानी उद्योग, विशेष रूप से रासायनिक उद्योग के साथ नमक का द्विपक्षीय विनियमन करने की बातचीत कर रहे हैं। कुछ रसायन हम उन देशों से मंगा रहे हैं।

†**श्री पाणिग्रही** : मेरा प्रश्न यह था कि इण्डोनेशिया और जापान में बाजार न रहने के कारण क्या भारत सरकार नमक के निर्यात के लिये अन्य देशों की खोज कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाई शाह : जी हां; ठीक यही बात है। विश्व में जहां भी नमक बेचा जाता है और विशेषरूप से पूर्वी यूरोपीय देशों में हम इसके लिये प्रयत्न कर रहे हैं।

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के लिये औद्योगिक योजनायें

†*१३. श्री त्रिदिव कुमार चौधरी : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो :

(क) पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार दिलाने की औद्योगिक योजनाएं और विशेषरूप से उन योजनाओं की क्रियान्विति के बारे में क्या प्रगति हुई जिनके लिए केन्द्रीय पुनर्वास मंत्रालय ने ऋण स्वीकार किये हैं (प्रत्येक योजना में नियोजित विस्थापित व्यक्तियों की संख्या); और

(ख) इन योजनाओं के अधीन स्वीकार किये गये और प्राप्त हुए ऋण क्या हैं ?

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) और (ख). इस मंत्रालय द्वारा ७ नवम्बर, १९५८ को जारी किये गये विस्तृत टिप्पण की प्रति लोक-सभा के पटल पर रखी जाती है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २]

†श्री त्रिदिव कुमार चौधरी : जिन औद्योगिक योजनाओं के लिये ऋण स्वीकार किये गये हैं उनमें विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार आशा के अनुसार क्यों नहीं मिला है इसकी व्याख्या करते हुए विवरण में कहा गया है कि प्रारम्भिक अवस्था में रोजगार पूर्ण सामर्थ्य तक नहीं पहुंच सकता है। मैं माननीय मंत्री का ध्यान विवरण के परिशिष्ट (क) की मद (५) की ओर आकर्षित करता हूं जिसके अनुसार एक चालू मिल ने स्वीकृत ऋण की लगभग सम्पूर्ण रकम ले ली है और उसमें ५०० व्यक्तियों को रोजगार मिलना चाहिये था जबकि ९९ व्यक्तियों को ही नियोजित किया गया है और मिल चल रहा है। क्या सरकार को कोई शिकायत मिली है कि जिन उद्योगपतियों और व्यावसायिक संस्थाओं को ऋण स्वीकार किये गये हैं वे जान बूझ कर विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार नहीं दे रहे हैं।

†श्री पू० शे० नास्कर : हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। लेकिन यदि माननीय सदस्य मुझे इस मामले का ब्यौरा बतायें तो मैं इसकी जांच करूंगा।

†श्री त्रिदिव कुमार चौधरी : मैं माननीय मंत्री का ध्यान विवरण के पृष्ठ ५ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें यह उल्लेख है कि सरकार ने पुनर्वास उद्योग निगम नामक एक उपक्रम स्थापित किया है जिसके लिये सरकार पूंजी देगी। श्री जी०डी० बिड़ला उसके चेयरमेन और चार अन्य उद्योगपति इससे सम्बद्ध होने के लिये सहमत हो गये हैं। इसमें यह नहीं बताया गया है कि इसमें कितनी पूंजी लगेगी। क्या मैं यह जान सकता हूं कि इसमें कितनी पूंजी रहेगी और अन्य उद्योगपति किन पदों पर काम करेंगे और उनके क्या नाम हैं ?

†श्री पू० शे० नास्कर : सदस्यों के रूप में आने वाले अन्य औद्योगिकों के नामों का अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : अधिकृत पूंजी १० करोड़ रुपये है और तात्कालिक पूंजी १ करोड़ रुपया रहेगी। जो औद्योगिक इसमें सम्मिलित हो रहे हैं वे भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किये गये गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र निगम के नामजद व्यक्ति मात्र हैं; वे अपनी पूंजी नहीं ला

†मूल अंग्रेजी में

रहे हैं अथवा इस तरह का अन्य कोई काम नहीं कर रहे हैं। किसी भी अन्य बोर्ड की भांति श्री बिड़ला को पुनर्वास उद्योग निगम का चेयरमैन बनने के लिये आमंत्रित किया गया है। इसमें बंगाल के चार स्थानीय औद्योगिक तथा अन्य सरकारी प्रतिनिधि रहेंगे। यह शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये पश्चिम बंगाल के विभिन्न भागों में उद्योगों की स्थापना करेगा।

†श्री प्रभात कार : मैं जानना चाहता हूं कि गायसपुर और ताहरपुर में, जहां उद्योगों की स्थापना सम्बन्धी योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा चुका है, उद्योग प्रारम्भ करने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाये गये हैं ?

†श्री पू० शं० नास्कर : गायसपुर में कताई मिल के लिये हम ने एक योजना स्वीकार की है और पश्चिम बंगाल सरकार ने उस विषय में उन पक्षों से बातचीत प्रारम्भ की है जिन्हें मिल स्थापित करने के लिये ऋण स्वीकृत किया गया है।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : विगत दो वर्षों में उद्योगों की स्थापना सर्वथा गैर-सरकारी क्षेत्र तक ही सीमित रही है। अब हम इन्हें सरकारी उद्योग क्षेत्र में सम्मिलित कर रहे हैं। समिति को पूरे रूप से गैर-सरकारी औद्योगिकों के हाथों में ही क्यों सौंपा जा रहा है ?

†श्री मनुभाई शाह : समिति के पूरे रूप से गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र में होने का कोई प्रश्न नहीं है। हम देश में उपलब्ध अनुभव का लाभ उठा रहे हैं और किसी भी सरकारी औद्योगिक योजना के समान इस में सरकार द्वारा नामनिर्देशित एवं गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र के विशेषज्ञों का मिला जुला बोर्ड है। माननीय सदस्या का जैसा विचार है उसी शीघ्रता की दृष्टि से ऐसा किया गया है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संसाधन

+

†*१५. { श्री मुरारका :
श्री हरिशचन्द्र माथुर :
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या योजना मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित बातें दिखाई गई हों :

(क) अब तक केन्द्र तथा राज्यों द्वारा अधिकतम सीमा तक संसाधन बढ़ाने के लिए निम्न प्रकार से क्या कार्यवाही की गई है :

(१) अतिरिक्त करारोपण;

(२) अल्प बचतों को इकट्ठा करने, और

(३) योजना तथा अनियोजित व्यय में मितव्ययिता;

(ख) प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत अब तक क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) प्रत्येक के लिए निर्धारित लक्ष्य, यदि कोई हों, तो ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्न में मांगी गई मई, ५८ तक उपलब्ध जानकारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मूल्यांकन और संभावनायें योजना आयोग के ज्ञापन में दो गई हैं। यह ज्ञापन पिछले सत्र में सभा पटल पर रखा गया था। योजना आयोग ने तब से केन्द्र और राज्यों की संसाधन सम्बन्धी स्थिति का पुनः अवलोकन किया है। इस पर्यालोकन के परिणाम शामिल कर एक दस्तावेज इस सत्र में संसद् के सम्मुख रखने का विचार है जिसमें प्रश्न में उठाई गई बातों पर प्राप्त नवीनतम उपलब्ध जानकारी शामिल की जायेगी।

†**श्री मुरारका** : क्या राष्ट्रीय विकास परिषद् की पिछली बैठक में आयोजित और अनायोजित व्यय में मितव्ययिता बरतने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी और यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकले ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद् की पिछली बैठक दोनों में ही आयोजित और अनायोजित व्यय में मितव्ययिता की आवश्यकता तथा मितव्ययिता के प्रश्न पर विशेष रूप से निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम पर चर्चा की गई थी।

†**श्री मुरारका** : क्या राष्ट्रीय विकास परिषद् ने सिद्धान्त रूप से इस बात को स्वीकार कर लिया है कि अतिरिक्त करारोपण के द्वारा अधिक संसाधन उपलब्ध किये जायेंगे और यदि हां, तो वह लक्ष्य क्या है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : जी नहीं, ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया था।

†**श्रीमती मफोदा अहमद** : अतिरिक्त करारोपण से कितनी आय होगी, इसका कोई अनुमान दिया जा सकता है और क्या द्वितीय योजना में जो उपबन्ध हैं यह आय उसके अनुसार होगी अथवा उससे कम होगी ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : अनुपाततः अतिरिक्त करारोपण से आय आशा से कम नहीं होगी, अपितु अधिक ही हो सकती है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह सच नहीं कि कुछ राज्यों ने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर ली है और फिर भी उनसे करारोपण में वृद्धि करने के लिये कहा जा रहा है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र**: कुछ राज्यों से और अधिक कर लगाने के लिये कहा गया है और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। मैं इस समय विस्तारपूर्वक नहीं बता सकता।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि योजना का भाग (ख) जिसमें पहले विभाजन किया गया था, राष्ट्रीय विकास परिषद् में इस पर बिल्कुल चर्चा हो नहीं की गई ? यदि ऐसा है, तो क्या इसका कारण यह है कि सितम्बर में योजना के मूल्यांकन के बारे में योजना के लिये संसाधन बढ़ाने के सम्बन्ध में उनको जो भार सौंपा गया था, उसे पूरा करने में वे असफल रहे ?

†**श्री नन्दा** : योजना के भाग (ख) पर विचार न करने का कोई प्रश्न नहीं है। योजना के भाग (क) को पूरा करने के लिए अत्यधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है और राज्यों ने केन्द्र की भांति ही इसे पूरा करना स्वीकार कर लिया है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह सच है कि संसाधनों के बारे में सभा पटल पर ज्ञापन रखने के एक सप्ताह के भीतर ही सरकार को पता लगा था कि उसके मूल्यांकन में बड़ी गलती थी ?

†मूल अंग्रेजी में

†श्री नन्दा : जी नहीं।

†श्री मुरारका : उपलब्ध संसाधनों के नवीनतम प्राप्त प्राक्कलनों के अनुसार राष्ट्रीय विकास परिषद् ने अन्तिम रूप से योजना का क्या आकार निर्धारित किया है ?

†श्री नन्दा : ४,५०० करोड़ रुपये।

†श्री त्यागी : क्या भारत में नये तेल क्षेत्र से होने वाले अत्यधिक राजस्व की संभावनाओं को योजना आयोग ने ध्यान में रखा है ?

†श्री नन्दा : इस को ध्यान में रखा गया था यद्यपि आगामी दो वर्षों में इस से हमें अधिक आय नहीं होगी ।

†श्री हेम बरुआ : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि करारोपण के द्वारा अतिरिक्त संसाधन उत्पन्न करने की राज्यों की क्षमता सीमित है और सरकार २५० करोड़ रुपये की वित्तीय संसाधनों की कमी को कैसे पूरा करने का विचार करती है ?

†श्री नन्दा : विभिन्न दिशाओं में किये गये प्रयत्नों से कितनी आय होगी इस के बारे में कोई संक्षिप्त हिसाब नहीं लगाया गया है ।

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् ने अपनी पिछली बैठक में इस बारे में कुछ नहीं कहा था ?

†श्री नन्दा : उस ने कोई स्पष्ट विचार नहीं दिया है ।

दक्षिणी प्रदेश के लिये मशीनें और सामान

+

†*१६. { श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योग सेवा संस्था, दक्षिण प्रदेश के लिये स्थानीय रूप से खरीदी गई और आयात की गई मशीनों और सामान का कहां तक उपयोग किया गया है ; और

(ख) अब तक कौन-कौन से केन्द्रों ने काम आरम्भ कर दिया है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३]

†श्री वारियर : विवरण से पता लगता है कि मद्रास प्रादेशिक संस्था के लिये ३ · १४ लाख रुपये की मशीनरी में से केवल ० · ८१ लाख रुपये के मूल्य की मशीनरी लगाई गई है । २ · ३३ लाख रुपये के मूल्य की मशीनरी बेकार पड़ी रहने का क्या कारण है ?

†श्री मनुभाई शाह : मशीनरी तो वहां पहले से ही मौजूद है । वह शीघ्र ही लग जायेगी और सारा व्यय इस वर्ष के अन्त तक कर दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री वासुदेवन नायर : विवरण में कहा गया है कि मुवत्तापुज़ा, एलोपी और अतिंगल इन तीन स्थानों के विस्तार केन्द्र इमारतों के बन जाते ही क्रमशः अपने-अपने स्थानों को स्थानान्तरित हो जायेंगे। क्या यह सच नहीं कि इन तीन क्षेत्रों के लिये योजनाओं पर अन्तिम रूप से विचार तक अभी पूरा नहीं हो सका है ? यदि हां, तो इस का कारण क्या है ?

†श्री मनुभाई शाह : यह सच नहीं है। ये विस्तार केन्द्र योजना के अंग हैं। किन्तु योजना का प्रत्येक वर्ष एक क्रमबद्ध कार्यक्रम होता है। पिछले वर्ष इसे शामिल किया गया था। वास्तव में सभी विस्तार केन्द्रों के बारे में पूरा काम हो चुका है। इमारतों के तैयार हो जाने पर वे अपने अपने स्थानों को स्थानान्तरित हो जायेंगे।

†श्री वासुदेवन नायर : यह सच नहीं है। भूमि अधिग्रहण पूरा नहीं हुआ है। मैं मुवतापुज़ा के बारे में जानता हूं। अभी तक स्थान का निर्णय नहीं किया गया है।

†श्री मनुभाई शाह : इन योजनाओं पर सहमति मिलते ही केरल सरकार ने स्थान का चुनाव कर लिया है और प्रगति यदि स्तुत्य नहीं तो कम से कम सन्तोषजनक अवश्य है। जैसा कि विवरण में बताया गया है, आठों सम्पदा और विस्तार केंन्द्र वहां पहुंच गये हैं।

†श्री तंगामणि : कोयम्बटूर विस्तार केन्द्र के लिये १ · १९ लाख रुपये के मूल्य की खरीदी गई मशीनें क्यों नहीं लगाई गई हैं ? २१ लाख रुपये के मूल्य की मशीनें खरीदी जाने पर भी केवल १४ लाख रुपये के मूल्य की मशीनें लगाई गई हैं, इस का क्या कारण है ?

†श्री मनुभाई शाह : सरकार की सामान्य नीति यह है। हम ने लगभग ६३ केन्द्रों के लिये सहमति दी है और इस वर्ष १ दिसम्बर से प्रत्येक राज्य लघु मात्रा उद्योग के क्षेत्र में एक बड़ी औद्योगिक सेवा संस्था बनाने जा रहा है। ६३ विस्तार केन्द्रों के लिये इकट्ठी मशीनें खरीदी गई हैं। कार्य क्रमबद्ध रूप से किया जा रहा है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि प्रबन्ध होते ही कोयम्बटूर केन्द्र भी शीघ्र ही स्थापित हो जायेगा।

यूनाइटेड प्रेस आफ इण्डिया

+

†*१७. श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री हेम राज :
श्री ले० अचौ सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड प्रेस आफ इण्डिया नामक समाचार एजेंसी ने वित्तीय सहायता के लिये सरकार से अपील की थी ;

(ख) क्या कथित एजेंसी ने काम करना बन्द कर दिया है ; और

(ग) क्या सरकार की कोई योजना उसे सहायता दे कर पुनः चलाने की है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) से (ग). कुछ समय पूर्व उस ने कार्य करना बन्द कर दिया था, यूनाइटेड प्रेस आफ इंडिया ने सरकार से कहा था कि टेलीप्रिंटर प्रभार के लिये डाक और तार विभाग को जो राशि देय है उस के भुगतान का समय बढ़ा दिया जाये। सरकार

†मूल अंग्रेजी में

ने एजेंसी के कार्य की पूरी तरह जांच-पड़ताल की और इस बात से सन्तुष्ट हो गई कि उस की वित्तीय स्थिति इतनी डांवाडोल है और उस पर इतना ऋण है कि उस की दशा सुधरने की बहुत कम आशा है। सुझाये गये उपायों से भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ।

तब से एजेंसी बन्द हो गई। सरकार की कोई निश्चित योजना यूनाइटेड प्रैस आफ इंडिया को पुनः चलाने अथवा उसी प्रकार की कोई दूसरी एजेंसी चलाने की नहीं है। वह कोई सुदृढ़ आधार वाली योजना को सहृदयतापूर्वक स्वीकार करने के लिये तैयार है जिस से कोई नई एजेंसी सद्भाव समाचार एजेंसी के रूप में काम कर सके।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : हाल के प्रैस सम्मेलन में प्रधान मंत्री के इस वक्तव्य से कि वर्तमान प्रबन्ध के रहते हुए सरकार यूनाइटेड प्रेस आफ इंडिया के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं रखती, क्या यदि कर्मचारी सहकारिता के आधार पर और प्रैस आयोग की सिफारिशों के अनुसार उसे चलाने के लिये तैयार हों, तो शीघ्र ही पर्याप्त सहायता दी जायेगी ?

†**डा० केसकर** : मैं अपने उत्तर के उत्तरार्द्ध में कह चुका हूं कि सरकार सद्भाव से इसी प्रकार की कोई समाचार समिति की स्थापना करने के प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिये तैयार है। वह सहकारिता के आधार पर अथवा कई समाचार पत्र मिल कर एक साथ चला सकते हैं। प्रधान मंत्री ने उस समय अपने उत्तर में यही कहा था।

†**श्री ले० अचौ सिंह** : टेलीप्रिंटर सेवा के लिये डाक और तार विभाग को एजेंसी द्वारा कितनी राशि का भुगतान करना है ?

†**डा० केसकर** : यूनाइटेड प्रैस आफ इंडिया पर डाक और तार विभाग का ३.७५ लाख रुपया बाकी है। उस पर कुल ऋण १२.४० लाख रुपये कूता गया है।

†**श्री खाडिलकर** : इस तथ्य को देखते हुए कि एक बड़ी समाचार समिति बन्द हो गई है और समाचार एजेंसी का एकाधिकार केवल एक एजेंसी के हाथ में आ जाता है और इस बात को भी देखते हुए कि प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया और यूनाइटेड प्रैस आफ इंडिया के बीच दरों में काफी विषमता है जिस का परिणाम यह निकला कि जिन समाचार पत्रों के सीमित साधन हैं, यूनाइटेड प्रैस आफ इंडिया के बन्द हो जाने से उन्हें हानि उठानी होगी, क्या सरकार, जैसाकि श्री मुकर्जी ने सुझाव दिया है, कर्मचारियों की सहकारिता के आधार पर उसे पुनः चलाने पर विचार करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह इस प्रश्न का पहले ही उत्तर दे चुके हैं।

†**डा० केसकर** : कठिनाई यह है कि सरकार के लिये यह संभव नहीं कि वह स्वतंत्र समाचार समितियों को पुनः चलाये अथवा उन की स्थापना करे। या तो वह स्वतंत्र होगी अथवा सरकार का विभाग होगी। यदि कोई उचित एजेंसी स्थापित की जाती है तो सारी सुविधायें दी जायेंगी।

†**श्री खाडिलकर** : ६०० कर्मचारि इस से प्रभावित हो रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने कहा है कि सरकार उसे लेने को तैयार नहीं है।

†**श्री नाथपाई** : एक ही एजेंसी द्वारा सभी महत्वपूर्ण मामलों पर राष्ट्र को समाचार देने से उत्पन्न होने वाले भय का पता सरकार को है, जिस से प्रगतिशील जनता की राय प्राप्त करना असंभव हो जायेगा, और जो प्रतिनिधिकारी सरकार की एकमात्र गारंटी है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इसका उत्तर देने की आवश्यकता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब्रज राज सिंह** : क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि हिन्दी में संवाद भेजने के लिये हिन्दुस्तान समाचार समिति ने उन सुविधाओं को सुलभ करने के लिये सरकार को कोई प्रार्थनापत्र दिया है जोकि दूसरी समाचार समितियों को मिल रही हैं, यदि हां, तो उस प्रार्थनापत्र पर सरकार का क्या दृष्टिकोण रहा ?

†**डा० केसकर** : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री जोकीम अल्वा** : क्या सरकार भारतीय पत्रकारिता के क्षेत्र में यूनाइटेड प्रैस द्वारा स्वतंत्रता युद्ध और रायटर तथा ब्रिटिश सरकार के एकाधिपत्य के विरुद्ध किये गये कार्य से अवगत है ? क्या सरकार नियम न होते हुए भी इस एजेंसी को कुछ सहायता देगी क्योंकि ४०० व्यक्ति बेकार हो गये हैं ?

†**डा० केसकर** : यूनाइटेड प्रैस आफ इंडिय ने जो कुछ किया है सरकार उस से परिचित है किन्तु किसी भी एजेंसी अथवा संगठन का निर्णय उस की बर्तमान स्थिति से किया जाना चाहिये उस ने भूतकाल में क्या किया है, इस से नहीं । हम ने इस मामले का पूरी तरह से पता लगा लिया है । इस की वित्तीय स्थिति इतनी खराब हो गई है कि जब तक उसे काफी सहायता न ी जाये तब तक उसमें सुधार होना असम्भव है ।

†**श्री नाथपाई** : उन से अधिक कुछ और चीज़ अधिक आवश्यक है ।

†**श्री अ० चं० गुह** : क्या यह सच है कि सरकार के सामने एक योजना रखी गई थी जिसने पश्चिमी बंगाल की सरकार अथवा पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री का समर्थन किया था ? वह योजना क्यों स्वीकार नहीं की गई ?

†**डा० केसकर** : किसी योजना को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना सरकार के हाथ में नहीं है । यह प्रस्ताव सरकार के सामने इसलिये रखा गया है कि वह इस पर किस प्रकार विचार करती है । हमने उन्हें बता दिया है कि हमारा प्रयत्न सही दिशा की ओर है किन्तु किसी समाचार एजेंसी को एक स्वतन्त्र रूप से कायम करने के लिये जितनी पूंजी का प्रस्ताव रखा गया था वह हमारे विचार से बहुत ही कम थी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल समाप्त हो गया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बंगाल देसी कपास का निर्यात

†*९. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने बंगाल देसी कपास का निर्यात करने की अनुमति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो किस किस्म की और कितनी मात्रा में निर्यात की अनुमति दी गई ; और

(ग) यह कपास किन-किन देशों को निर्यात की जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) से (ग). अन्य प्रकार की ¹/₈", अथवा उससे कम की रेशे वाली कपास के निर्यात के अतिरिक्त सरकार ने चालू कपास के सीज़न में जो सितम्बर, १९५८ से आरम्भ होता है, १,५०,००० बंगाल देशी कपास का निर्यात करने की अनुमति दे दी है। और अधिक कोटा देने का प्रश्न देश की आवश्यकता पूरी करने के पश्चात् कपास बचने पर निर्भर करता है। एक दो स्थानों को छोड़कर और सब के लिये निर्यात की अनुमति दे दी गई है। किस प्रकार की बंगाल देशी कपास का निर्यात किया जाये इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

उच्चतम न्यायालय तथा दिल्ली अदालतों की इमारतें

†*१०. **श्री वें० प० नायर** : क्या **निर्माण आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय की इमारत और दिल्ली अदालतों की इमारत का निर्माण, जो तीस हजारी में बनी है, पूर्णरूपेण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया है अथवा उनका कुछ हिस्सा गैर-सरकारी ठेकेदारों द्वारा बनाया गया है ; और

(ख) गैर सरकारी ठेकेदारों द्वारा यदि कुछ भाग हो, तो कितने मूल्य का काम उन्हें दिया गया था ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) इमारतों का निर्माण गैर-सरकारी ठकेदारों द्वारा कराया गया है ;

(ख) गैर-सरकारी ठकेदारों द्वारा अब तक कुल निम्न मूल्य का काम किया गया है;

(१) उच्चतम न्यायालय—लगभग ६७ लाख रुपये।

(२) दिल्ली ज़िला अदालत तीस हज़ारी—लगभग ८७ लाख रुपये।

लोक सहकार सम्बन्धी राष्ट्रीय मंत्रणा समिति

†*१४. **श्री दामानी** : क्या **योजना** मंत्री लोक सहकार सम्बन्धी राष्ट्रीय मंत्रणा समिति के कार्यकलापों का विस्तार मंडल बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख कर यह बताने की कृपा करेंगे कि लोक सहकार प्राप्त करने में इससे कहां तक सफलता मिली है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४]**

तिहाड़ गांव का नये ढंग का बनाया जाना

†*१८. **श्री वाजपेयी** : क्या **निर्माण आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नजफगढ़ रोड पर तिहाड़ गांव को नये नमूने का बनाने का काम आरम्भ हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति की गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). जी नहीं जब तक कि वहां के निवासी गांव खाली न कर दें और प्राक्कलन की अन्तिम जांच पर मंजूरी न मिल जाये जिसकी जांच हो रही है यह काम आरम्भ नहीं किया जा सकता।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

बंगलौर में आकाशवाणी केन्द्र

†*१९. { **श्री मोहम्मद इमाम :**
श्री वोडयार :
श्री आचार : }

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलौर का आकाशवाणी केन्द्र केवल मीडियम वेव पर चलता है और इस के केन्द्रों पर इसकी आवाज़ साफ नहीं सुनाई देती ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस केन्द्र पर शार्ट वेव ट्रांसमिटर लगाने पर विचार करेंगी ; और

(ग) इस समय देश में शार्ट और मीडियम वेव के कितने ट्रांसमिटर काम कर रहे हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) यद्यपि बंगलौर केन्द्र मीडियम वेव का केन्द्र है, उसका ट्रांसमिटर ५० किलोवाट होने के कारण शक्तिशाली भी है और वहां की आवाज़ भी ठीक आती है। सम्भव है कि मैसूर राज्य के संरूप होने के कारण कुछ बाहर पड़ने वाले हिस्सों में, साफ आवाज न आती हो।

(ख) बंगलौर में शार्टवेव ट्रांसमीटर लगाने का कोई विचार नहीं है।

(ग) इस समय देश में २३ शार्टवेव और ३१ मिडियम वेव ट्रांसमीटर काम कर रहे हैं।

भारत से पाकिस्तानियों का निकाला जाना

†*२०. { **श्री राम सुभग सिंह :**
श्रीमती इलापालचौधरी :
श्री वाजपेयी :
श्री राम कृष्ण :
श्री रघुनाथ सिंह :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री विमल घोष :
श्री सरजू पांडे :
श्री वि० दास गुप्त :
श्री र० चं० व्यास :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री रामी रेड्डी :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री आसर :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री उ० चं० पटनायक :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री स० म० बनर्जी : }

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग २०० भारतीय राष्ट्रजन खुलना (पूर्वी पाकिस्तान) से भारत को निकाल दिये गये है ;

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस देश निकाले के कारण ज्ञात है ;

(ग) क्या निकाले गये व्यक्ति पूर्वी पाकिस्तान में नौकर थे ; और

(घ) भारत सरकार द्वारा इन मामलों में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी हां ।

(ख) पाकिस्तान का कहना यह है कि ये लोग गैर-कानूनी ढंग से पाकिस्तान में घुस आये थे और पारपत्र अथवा वीसा के बिना वहां रह रहे थे । हमारी जांच से पता लगा है कि उन्होंने अपने पारपत्र अपनी वीसा फिर से बनवाने के लिये जमा कर दिये थे जिन्हें पाकिस्तान की इस सामान्य नीति पर पाकिस्तान से निकाल दिया गया कि वे अपने उद्योगों में भारतीयों के स्थान पर पाकिस्तानी रखना है ।

(ग) जी हां ।

(घ) हमारे ढाका स्थिति स्थानापन्न उप-उच्चायुक्त ने इस सूचना के मिलते ही पाकिस्तान सरकार के सामने इस प्रश्न को रखा । भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान के उच्चायुक्त के पास इसका विरोध किया है ।

भारत में प्लाईवुड की आवश्यकता

†*२१. **श्री झूलन सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्लाईवुड की आवश्यकता में आत्म-निर्भरता संबंधी अथवा अन्यथा क्या स्थिति है ; और

(ख) देश में प्लाईवुड हित के पिछले सम्मेलन में की गई सिफारिशें सरकार द्वारा कहां तक स्वीकार और कार्यान्वित की गई हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनु भाईशाह)** : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(क) प्लाईवुड कारखानों की कुल अधिष्ठापित क्षमता हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये पर्याप्त है ।

(ख) विचार है कि यह प्रश्न नई दिल्ली में १२-६-५७ को वीनर तथा प्लाईवुड के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हुई बैठक के सम्बन्ध में है । निम्न सिफारिशें कार्यान्वित की जा चुकी हैं :

(१) निर्यात के आर्डरों के अतिरिक्त श्रम की देरियों की क्षमता बढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई है । यदि कारखाने में पर्याप्त उपकरण हों तो वाणिज्यिक प्लाईवुड की क्षमता में विस्तार करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

(२) संश्लिष्ट रेज़ीन पर शुल्क में छूट देना स्वीकार कर लिया गया है ।

(३) देश से निर्यात की गई प्लाईवुड की मात्रा पर ऐच्छिक प्लाईवुड उपकर से छूट स्वीकार कर ली गई है ।

(४) ब्रिटेन में प्लाईवुड के विभिन्न ग्रेडों के बाजार मूल्य एकत्र किये जा रहे हैं और प्वाईवुड संस्थाओं को उसके सदस्यों की जानकारी के लिये भेजे जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(५) रेलवे बोर्ड ने सभी रेलों को उन कारखानों के बारे में जो यथाशक्य निर्यात के लिए काम कर रहे हैं, वेनीर एवं प्लाईवुड के लाने और ले जाने के लिए सुविधा देने के बारे में आवश्यक निदेश जारी कर दिये हैं।

(६) दक्षिण भारत प्लाईवुड निर्माता एसोसियेशन द्वारा चायपेटियों वाली प्लाईवुड के निर्यात की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल लंका को भेजने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

(७) इस समय अन्य सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

मैसूर में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

†*२२. **श्री अगाड़ी** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री १२ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों का मैसूर राज्य के पेरियापटना तालुक में पुनर्वास करने के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस मामले में मैसूर सरकार ने क्या सहायता दी है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) वह योजना समाप्त कर दी गई है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अन्तरिक्ष[1]

†*२३. { **श्री वि० च० शुक्ल** : **श्री दी० चं० शर्मा** : **श्री राम कृष्ण** :

क्या **प्रधान मंत्री** १९ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तरिक्ष पर अधिकार की प्रभुता के मामले का अध्ययन सरकार द्वारा किया जा चुका है; और

(ख) इस विषय में सरकार संयुक्त राष्ट्र संगठन अथवा अन्य संस्थाओं में क्या कार्यवाही करना चाहती हैं

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) और (ख). यह एक नवीन विषय है और इसके बारे में बहुत कुछ मालूम नहीं है। हाल ही के वर्षों में भौतिक संसार सम्बन्ध ज्ञान में बहुत वृद्धि हुई है और इसके कारण पुरानी धारणायें बदल गई हैं। अतः इस विषय के अध्ययन के पूरा हो जाने का तो प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। यह तो चलता ही रहेगा। संयुक्त राष्ट्र की महा सभा के चालू सत्र में भी इस विषय सम्बन्धी एक मद पर चर्चा होने वाली है। इस अवस्था में यह बताना कठिन है कि सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करेगी। यह तो उन सुझावों पर निर्भर करता है जो परीक्षण के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Future Space.

बटाला में औद्योगिक बस्ती

†*२४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १८ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १५१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बटाला जिला गुरदासपुर में औद्योगिक बस्ती की इमारतों का निर्माण पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो इमारतों का निर्माण कब पूरा हुआ था; और

(ग) वहां कौन से उद्योग चालू किये गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

राज्य में रोजगार सम्बन्धी स्थानीय जानकारी[1]

†*२५. **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री बर्मन :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों में रोजगार सम्बन्धी स्थानीय जानकारी यूनिट स्थापित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रत्येक यूनिट को एक विशेष रूप से प्रशिक्षित रोजगार पदाधिकारी के अधीन रखा गया है;

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन विशेषज्ञ श्री जे० एच० डीवे विभिन्न राज्यों में इस योजना को कार्यान्वित कराने के लिए कब तक भारत में रहेंगे; और

(घ) इस योजना के कार्यान्वित करने के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां, जम्मू तथा काश्मीर के अतिरिक्त।

(ख) जी हां।

(ग) वह फरवरी, १९५८ में चले गये।

(घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५**]

द्वितीय पंच वर्षीय योजना के लक्ष्य

†*२७. **श्री व० पें० नायर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में द्वितीय पंच वर्षीय योजना में निर्धारित (१) कृषि (२) उद्योग (३) समाज सेवाओं सम्बन्धी योजनाओं के कितने प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिये हैं; और

(ख) नवीनतम जानकारी के आधार पर भारत में कुल कितने प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]State Employment Market Information

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : मई, १९५८ योजना आयोग ने राज्य विकास योजनाओं की जो समीक्षा तैयार की थी कृपया उसे देखें। इस समीक्षा में प्रत्येक राज्य के योजना के पहले दो वर्षों के बारे में जानकारी दी गई है और तृतीय वर्ष के लक्ष्य बताये गये हैं। सामूहिक रूप से देश के लक्ष्यों की पूर्ति के बारे में जानकारी योजना आयोग के द्वितीय पंच वर्षीय योजना के मूल्यांकन तथा सम्भावनाओं सम्बन्धी प्रतिवेदन से प्राप्त होती है।

अखिल भारतीय श्रमजीवी वर्ग आवश्यक सर्वेक्षण

†*२८. **श्री त० व० विट्ठल राव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १४ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा अखिल भारतीय श्रमजीवी वर्ग परिवार आयव्ययक सर्वेक्षण में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) वह कब समाप्त होगा ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) सर्वेक्षण अगस्त, १९५८ में आरम्भ हुआ था और इस प्रयोजनार्थ चुने गये ५० केन्द्रों में अब भी हो रहा है। कुल २३,००० परिवारों में से अब तक ४,००० परिवारों का सर्वेक्षण किया जा चुका है।

(ख) लगभग सितम्बर, १९५९ तक।

लंका में भारतीय

†*२९. { **श्री राम कृष्ण** :
श्री दामानी :

क्या **प्रधान मंत्री** १४ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में कोई जानकारी एकत्र की गई है कि लंका में भारतीय राष्ट्रजनों की सम्पत्ति की कितनी हानि हुई;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की जानकारी एकत्र की गई है;

(ग) भारतीय राष्ट्रजनों की सम्पत्ति को जो हानि पहुंची क्या उसका प्रतिकर मांगने के लिए कोई निश्चय किया गया है; और

(घ) क्या यह सच है कि इन दंगों के बाद लंका से भारतीय प्रव्रजकों की संख्या बढ़ गई है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी हां।

(ख) अब तक ४७० भारतीय राष्ट्रजनों ने दंगों में लूट मार और आग लगते हुई सम्पत्ति की क्षति की सूचना उच्च आयुक्त को दी है। इनमें लगभग ५० लाख रुपये की हानि हुई है। उच्च आयुक्त के पास इन आंकड़ों की जांच करने का कोई साधन नहीं है।

(ग) जी नहीं। अभी भारत सरकार इस पर विचार कर रही है।

(घ) उन भारतीय राष्ट्रजनों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है जिन्होंने लंका को सदा के लिए छोड़ दिया है: दंगों से पूर्व साप्ताहिक औसत २४२ थी। दंगों के बाद वह औसत २४७ व्यक्ति हो गई।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रादेशिक निबटारा आयुक्तों का सम्मेलन

†*३०. **श्री वि० च० शुक्ल** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री २२ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर में हुए प्रादेशिक निबटारा आयुक्तों के सम्मेलन में व्यक्त किये गये विचारों पर सरकार ने कोई निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उनका व्योरा क्या है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) और (ख). अधिकतर सिफारिशों पर निर्णय किये जा चुके हैं। अन्य कुछ सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है। एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें वे म ें बताई गई हैं जिन पर निर्णय किया जा चुका है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६]**

अम्बर चरखा

†*३१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में अम्बर चरखे के प्रयोग का प्रोत्साहन करने के लिए अब तक कुल कितना खर्च किया गया है;

(ख) इन चरखों से कितने धागे का उत्पादन होने की आशा है;

(ग) वास्तव में कितने धागे का उत्पादन हुआ है;

(घ) कितना अम्बर धागा बुनकरों के पास बेचा जा चुका है; और

(ङ) कितना धागा अनबिका पड़ा हुआ है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ङ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) १९५८-५९ में ३१-१०-५८ तक ४७.९० लाख रुपये अनुदान के और १७८.१५ लाख रुपये ऋण के रूप में खर्च किये गये हैं ।

(ख) १९५८-५९ में ७० लाख पौंड धागा तैयार होने की आशा है ।

(ग) प्राप्त सूचना से पता चलता है कि चालू वर्ष में (३० सितम्बर, १९५८ तक) १४.३ लाख पौंड धागा तैयार हुआ है । सभी शाखाओं से जानकारी प्राप्त नहीं हुई है अतः यह जानकारी अधूरी है ।

(घ) जितना धागा तैयार हुआ था वह सब कपड़ा बनाने के लिये बुनकरों को दे दिया गया है।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बीमा योजना की संविहित दर

†*३२. **श्री राम कृष्ण** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १७ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १३२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य कर्मचारी बीमा योजना के अन्तर्गत नियोजकों पर लागू करने के लिये संविहित दर बढ़ाने का निर्णय कर लिया है ; और

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारत सेवक समाज

†**१. श्री वि० च० शुक्ल** : क्या **योजना** मंत्री ४ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन योजनाओं के संचालन के बारे में, जिन के लिये १९५७-५८ के दौरान में सहायक अनुदान स्वीकृत किये गये थे, भारत सेवक समाज से प्राप्त हुए प्रगति प्रतिवेदनों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) १९५८-५९ से पूर्व प्रत्येक वर्ष भारत सेवक समाज के प्रत्येक यूनिट को कुल कितने-कितने अनुदान दिये गये थे ; और

(ग) दिये गये अनुदानों में से वास्तव में कुल कितने अनुदान खर्च किये गये और किन-किन योजनाओं पर खर्च किये गये ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) से (ग). योजना आयोग द्वारा दिये गये सहायक अनुदानों का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७]**

बिना बिके जूतों का स्टाक

†**२. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १२ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (प्राइवेट) लिमिटेड के पास पड़े बिना बिके जूतों के स्टाक का निबटारा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) इस सौदे में सरकार को कितनी हानि पहुंची ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) इन जूतों का निबटारा करने के लिये रूस और पूर्वी योरुप के कुछ देशों के प्राधिकारियों से बातचीत चल रही है ।

(ख) अभी यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । इस सौदे में कोई घाटा होने का खतरा नहीं है ।

व्यावसायिक प्रशिक्षण

३. श्री पद्म देव : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह एक ऐसा विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा रेंगे जिस में यह बताया गया हो कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में चालू वर्ष में अब तक कितने लुहार, बढ़ई, बुनकर, चमार और दर्जी प्रशिक्षित किये गये हैं ;

(ख) उन में से कितनों को सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं और अभी कितने बेरोजगार हैं ; और

(ग) बेरोजगार व्यक्तियों को काम दिलाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) हिमाचल प्रदेश में दस्तकारी प्रशिक्षण योजना के अधीन १० व्यक्तियों को "बढ़ई का काम" और २६ को "कटाई व सिलाई का काम" सिखाया गया। लुहारी के काम में किसी को भी प्रशिक्षित नहीं किया गया। उल्लेख किये गये बाकी काम नहीं सिखाये जाते।

(ख) जिन लोगों को सरकारी नौकरियां मिल गई हैं उन के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। जुलाई १९५८ में हिमाचल प्रदेश के नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में दर्ज भूतपूर्व प्रशिक्षणार्थियों की संख्या नीचे लिखे अनुसार थी :—

व्यवसाय	चालू रजिस्टरों में दर्ज नामों की संख्या
लुहारी का काम	५
बढ़ई का काम	५
दर्जी का काम	६

(ग) हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने अधीन सभी सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश दे दिया है कि वे दस्तकारी प्रशिक्षण पाने वालों के नाम, नौकरी सम्बन्धी सहायता के लिये, पास के नियोजनकार्यालयों में दर्ज कराने का इन्तजाम करें।

घोड़े

†४. { **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५, १९५५-५६, १९५६-५७ और १९५७-५८ में घुड़दौड़ तथा अन्य प्रयोजनों से कितने घोड़ों का आयात किया गया ; और

(ख) प्रत्येक वर्ष इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). घुड़दौड़ तथा अन्य प्रयोजनों से आयात किये जाने वाले घोड़ों के आंकड़े अलग-अलग नहीं रखे जाते हैं। १९५४-५५ से १९५७-५८ तक आयात किये गये घोड़ों की संख्या और मूल्य निम्नलिखित है :

	संख्या	मूल्य (हजार रुपय में)
१९५४-५५	१९९	१,०९४
१९५५-५६	१४६	१,१९१
१९५६-५७	१८८	१,३१८
१९५७-५८	५८	३१९

†मूल अंग्रेजी में

लंदन स्थित भारतीय उच्च-आयुक्त कार्यालय

†५. { श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७-५८ में लन्दन स्थित भारतीय उच्च आयुक्त के कार्यालय में कितना खर्च हुआ ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : १,७८,५३,४९९ रुपये । ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

१. वैदेशिक-कार्य मंत्रालय

	रुपये
केन्द्रीय विभाग विधि-मंत्रणाकार विभाग सूचना सेवा डब्लिन दूतावास	६४,६१,३३३
२. निर्माण, आवास तथा संभरण **मंत्रालय**	६९,२१,५३३
३. रेलवे मंत्रालय	९७,३६०
४. वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय .	६,९९,५२०
५. प्रतिरक्षा मंत्रालय . .	२८,४८,४२७
६. शिक्षा तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय	४,६५,९०७
७. स्वास्थ्य मंत्रालय . . .	९१,१८६
८. परिवहन तथा संचार मंत्रालय	२,६८,२००
कुल	१,७८,५३,४९९

१९५७-५८ में पूर्वगामी वर्ष से २०,००,९७७ रुपये अधिक खर्च हुआ। यह मुख्यतः (क) ब्रिटिश कोष द्वारा समय-समय पर निश्चित की जाने वाली दरों के अनुसार उन कर्मचारियों, जो स्थानीय तौर पर भर्ती किये गये थे, के वेतन बढ़ जाने और (ख) वस्तुओं के मूल्य बाढ़ जाने के कारण हुआ जिस से आकस्मिक खर्च बढ़ गया ।

यदि मितव्ययिता के कुछ उपायों द्वारा ११,१८,००० रुपये का खर्च कम न किया गया होता तो खर्च और भी अधिक हो जाता ।

हथकरघे के कपड़े का बिना बिका स्टाक

†६. **श्री पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के गैर-सरकारी और सहकारिता क्षेत्रों में हथकरघे के कपड़े का कितना बिना बिका स्टाक पड़ा हुआ है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या राज्य में हथकरघे के कपड़े के इस बिना बिके स्टाक का निबटान करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जून, १९५८ की समाप्ति तक सहकारिता क्षेत्र में बिना बिका १२.९२ लाख गज़ कपड़ा पड़ा हुआ था जिस का मूल्य ९.०५ लाख रुपये था। सहकारिता क्षेत्र से बाहर के स्टाक के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) १-१०-५८ से १५-११-५८ तक ६ नये पैसे प्रति रुपये का अतिरिक्त अवहार स्वीकृत किया गया था।

उड़ीसा में पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति

†७. **श्री पाणिग्रही** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ अक्तूबर, १९५८ तक पूर्वी पाकिस्तान से आये कितने विस्थापित व्यक्ति उड़ीसा में बसाये गये ;

(ख) उड़ीसा में किन-किन बस्तियों में उन्हें बसाया गया है ; और

(ग) इस समय उड़ीसा की प्रत्येक बस्ती में कितने विस्थापित व्यक्ति बसाये गये हैं ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) ३१ अक्तूबर, १९५८ तक उड़ीसा में १८७६ परिवार बसाये गये थे।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८]**

अभ्रक

†८. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८ में किन किन देशों को अभ्रक का निर्यात किया गया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : एक विवरण, जिसमें उन मुख्य देशों के नाम बतलाये गये हैं जिन्हें १९५८ में अभ्रक का निर्यात किया गया, सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

१. अमरीका

२. ब्रिटेन

३. पश्चिम जर्मनी

४. नार्वे

५. फ्रांस

६. जापान

७. इटली

---

†मूल अंग्रेज़ी में

८. ग्रास्ट्रेलिया

९. कनाडा

१०. स्वीडन

११. बेल्जियम

१२. स्विटज़रलैंड

१३. चेकोस्लोवाकिया

१४. नैदरलैण्डस

१५. पोलैण्ड

टैक्निकल प्रशिक्षण

†९. **श्री राम कृष्ण** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में टैक्नीशियनों के प्रशिक्षण का लक्ष्य बढ़ाने का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कहां तक ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री ग्राबिद ग्रली)**: (क) ग्रौर (ख) : वित्तीय लक्ष्य में वृद्धि ही नहीं की गई है परन्तु संख्या में ६ हज़ार की वृद्धि करने का सुझाव दिया गया है ।

हथकरघा उद्योग के लिये सूत

†१०. **श्री प्र० के० देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में उड़ीसा के हथकरघा उद्योग में कुल कितने सूत की खपत हुई ग्रौर उसका कुल मूल्य क्या था; ग्रौर

(ख) उपरोक्त ग्रवधि में उड़ीसा में हथकरघा, उद्योग में जो कुल उत्पादन हुग्रा उसका मूल्य क्या था ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) १९५७-५८ में सहकारिता क्षेत्र में सूत की ११,००० गांठों की खपत हुई जिनका मूल्य १,१०,००,००० रुपये है ।

(ख) सहकारिता क्षेत्र में लगभग १७८.१४ लाख पये । सहकारिता के क्षेत्र से बाहर की जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

उड़ीसा के लोक नृत्य

†* ११. **श्री प्र० के० देव** : क्या **सूचना ग्रौर प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के लोक नृत्यों के बारे में कोई प्रलेखीय चित्र तैयार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार का है ;

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो क्या ऐसा कोई प्रलेखीय चित्र तैयार करने का कोई विचार है ।

---

†मूल ग्रंग्रेजी में

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). केवल उड़ीसा के लोक नृत्य के बारे में अभी तक कोई प्रलेखीय चित्र तैयार नहीं किया गया है। भारत के लोक नृत्य पर एक रंगीन चित्र, जिसका नाम "धर्ती की झंकार" है और जो तैयार हो चुका है और शीघ्र ही प्रदर्शन आरम्भ हो जायेगा, में उड़ीसा का क नृत्य शामिल किया गया है।

(ग) जी नहीं।

उड़ीसा की औद्योगिक बस्तियों में उद्योग

†१२. **श्री प्र० क० देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा की विभिन्न औद्योगिक बस्तियों म कौन-कौन से उद्योग स्थापित करने का विचार है ;

(ख) कौन-कौन से उद्योग गैर-सरकारी तौर पर स्थापित किये जायेंगे।

(ग) इन उद्योगों में कितने लोगों को रोज़गार मिल सकेगा; और

(घ) क्या इन औद्योगिक बस्तियों में उद्योग आरम्भ करने के लिये सरकार गैर-सरकारी उद्योगपतियों को ऋण देगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). उड़ीसा में केवल कटक में बनाई गई बस्ती में कार्य आरम्भ हुआ है। अन्य बस्तियों में अभी इमारतें बनना शुरू नहीं हुई हैं। कटक की बस्ती में आरम्भ किये गये उद्योगों की एक सूची सभा-पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६]** १,२,११ और १६ के अतिरिक्त शेष सभी उद्योग गैर सरकारी तौर पर शुरू किये गये हैं।

(ग) इस समय ठीक-ठीक तो कुछ नहीं कहा जा सकता परन्तु अनुमान है कि जब औद्योगिक बस्ती तैयार हो जायेगी तो वहां ५०० व्यक्तियों को रोज़गार मिलेगा।

(घ) योजना के अन्तर्गत उदारता से ऋण देकर और क्रयविक्रय के आधार पर मशीनें देकर, जैसा कि अन्य स्थानों पर किया जा रहा है, सहायता की जायेगी।

इस्पात और सीमेंट के स्थान पर प्रयुक्त होने वाली वस्तुयें

†१३. **श्री दी० च० शर्मा** : **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री १ सितम्बर १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा इमारतों के निर्माण की परियोजनाओं में इस्पात और सीमेंट के स्थान पर अन्य वस्तुओं के प्रयोग में क्या प्रगति हुई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : अभी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि ऐसे मामलों में कुछ समय बाद परिणामों का पता चलता है। केन्द्रीय और राज्य सरकारों के निर्माण कार्य के अभिकरणों से अब पूछा जायेगा कि राष्ट्रीय भवन निर्माण संघ की सिफारिशें कहां तक कार्यान्वित की गई हैं और उनसे क्या परिणाम प्राप्त ए हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

गोश्रा से विस्थापित व्यक्ति

†१४. **श्री दी० चं० शर्मा:** क्या **प्रधान मंत्री** २७ अगस्त, १९५८ के तारांकित **प्रश्न संख्या** ६०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोश्रा से श्राने वाले किन्हीं श्रौर विस्थापित व्यक्तियों ने भी भारत सरकार से कोई सहायता मांगी है ; श्रौर

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) श्रौर (ख). जी, हां। चार व्यक्तियों से श्रावेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। तीन श्रावेदन पत्र वित्तीय सहायता के लिये है श्रौर एक उचित कामकाज दिलाने के सहायता के लिये हैं। इन प्रार्थनाश्रों पर विचार किया जा रहा है।

विदेशों से भारत भेजे जाने वाले धन सम्बन्धी विवरण[1]

†१५. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** १२ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १२१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विदेशों में सेवा करने वाले भारतीय कर्मचारियों द्वारा भारत को भेजे गये धन सम्बन्धी विवरण भेजने की प्रथा को समाप्त करने के सम्बन्ध में कोई श्रन्तिम निर्णय कर लिया गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: विदेशों में सेवा करने वाले भारतीय कर्मचारियों द्वारा भारत को भेजे जाने वाले धन के सम्बन्ध में विवरण भेजने की प्रथा को समाप्त कर देने का निर्णय कर दिया गया है।

श्राकाशवाणी का विकास कार्यक्रम

†१६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **सूचना श्रौर प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण श्राकाशवाणी के विकास कार्यक्रम में कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी, ; श्रौर

(ग) इस कटौती से किन किन महत्वपूर्ण योजनाश्रों पर श्रसर पड़ेगा ?

†**सूचना श्रौर प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) जी, हां।

(ख) लगभग १ करोड़ रुपयों की।

(ग) इससे निम्नलिखित महत्वपूर्ण योजनाश्रों पर श्रसर पड़ा है :—

१. श्रान्तरिक सेवाश्रों के लिये दिल्ली में १०० किलोवाट शार्ट वेव का एक ट्रांसमीटर लगाना।

२. शिमला में १० किलोवाट शार्ट वेव का एक ट्रांसमीटर लगाना।

३. मराठवाड़ा विदर्भ में १० किलोवाट शार्ट वेव का एक ट्रांसमीटर लगाना।

४. मद्रास में एक श्रॉडिटोरियम का निर्माण।

५. कलकत्ता में एक श्रॉडिटोरियम का निर्माण।

६. चलती फिरती रिकार्डिंग गाड़ियों में सभी प्रकार की सुविधाएं संभरित करना।

---

†मूल श्रंग्रेजी में

[1]Remittance statements

७. टेलीवीज़न केन्द्र, बम्बई ।

८. चलती फिरती प्रसारण (स्टूडियो) गाड़ियों की पूरी संख्या में व्यवस्था करना और जिन की व्यवस्था की जा रही हैं उनमें हर प्रकार की सुविधायें प्रदान करना ।

९. राजकोट में स्थायी रिसीविंग सेंटर स्थापित करना ।

१०. धरवार में स्थायी रिसीविंग सेन्टर स्थापित करना ।

११. बम्बई के स्थायी स्टूडियो में पूरी पूरी सुविधाएं प्रदान करना ।

औद्योगिक विस्तार केन्द्र

१७. श्री पद्म देव : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बारह औद्योगिक विस्तार केन्द्रों में, जो वर्ष १९५८–५९ में स्थापित होने वाले थे, काम प्रारम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो वे कहां-कहां स्थापित किये गये हैं , और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०]**

चीनी के बर्तनों का आयात

१८. श्री पद्म देव : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८ में अब तक भारत में चीनी के बर्तनों का कितना आयात हुआ है, और

(ख) चीनी के बर्तनों के आयात को पूर्णत : बन्द करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जनवरी से अगस्त १९५८ तक भारत में चीनी के बर्तनों का कितना आयात हुआ तथा उनका क्या मूल्य है, इसका एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २१]**

(ख) जुलाई, १९५७ से चीनी के बर्तनों का आयात करने के लिये कोटा नहीं दिया जाता है । प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में प्रस्तुत विवरण में जो आयात दिखाया गया है, वह या तो पहले की लाइसेंस अवधियों में दिये गये कोटों का माल है या पर्यटकों को ठहराने वाले होटलों को दिये गये विशेष लाइसेंसों के अधीन मंगाया गया माल है ।

हथकरघा विकास योजना

†१९. श्री केशव : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा १९५६, १९५७ और १९५८ में मैसूर राज्य में सूती, रेशमी और ऊनी कपड़े के सम्बन्ध में हथकरघे के विकास कार्यक्रमों के लिये कितनी कितनी राशि निर्धारित की गयी थी ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) मैसूर राज्य में उक्त राशियों में से कितनी राशि खर्च की है और उक्त वर्षों में उपरोक्त वस्तुओं में से प्रत्येक मद के लिये निर्धारित राशियों में से कितनी-कितनी राशि व्यपगत हो गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) और (ख). लोक सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १२]**

व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार

†२०. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार (गैट) का १३वां अधिवेशन अक्तूबर, १९५८ में जनेवा में हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसमें भारत के भी कोई प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे ; और

(ग) क्या उस अधिवेशन में विश्व व्यापार को बढ़ाने के लिये परिमाण सम्बन्धी प्रतिबन्धों को समाप्त करने और प्रशुल्क में और अधिक कमी करने के बारे में किन-किन उपायों के बारे में निर्णय हुआ है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार (गैट) का १३वां अधिवेशन १६ अक्तूबर, १९५८ को आरम्भ हुआ है और लगभग ६ सप्ताह तक चलेगा । इसलिये प्रशुल्क में और अधिक कमी करने और परिमाण सम्बन्धी प्रतिबन्धों को समाप्त करने के बारे में अन्तिम रूप से किये जाने वाले निर्णय अथवा उनकी सिफारिशें अधिवेशन की समाप्ति अर्थात् इस मास के अन्त अथवा दिसम्बर, १९५९ के प्रथम सप्ताह से पूर्व उपलब्ध नहीं हो सकेंगी ।

नारियल जटा उद्योग सम्बन्धी प्रलेखीय चलचित्र

†२२. **श्री रा० चं० माझी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा उद्योग की विभिन्न प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालने वाला एक प्रलेखीय चलचित्र तैयार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसका खर्च नारियल जटा बोर्ड ने किया है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) नारियल जटा उद्योग के सम्बन्ध में कोई अलग प्रलेखीय चलचित्र तैयार नहीं किया गया है । पर हां, इस विषय को तीन प्रलेखीय चलचित्रों-अर्थात् "ट्री आफ वैल्थ", "सांग आफ साउथ" और "केरल" में सम्मिलित कर लिया गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मलाया में भारतीय श्रमिक

†२३. { **श्री रघुनाथ सिंह :**
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष अभी तक मलाया फेडरेशन से कितने भारतीयों को भारत वापिस भेज दिया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि अक्तूबर, १९५८ में ११ सौ भारतीयों को भारत वापिस भेज दिया गया था ; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) संभवतः माननीय सदस्य उन भारतीय श्रमिकों के सम्बन्ध में पूछ रहे हैं ; जो कि भारतीय उत्प्रवास अधिनियम, १९२२के अधीन बागानों में काम करने के लिये मलाया चले गये थे और जो वृद्ध अथवा निर्धन होने पर, अपनी नौकरी की शर्तों के अनुसार, जिन्हें भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया था, मलाया सरकार के खर्च पर भारत वापिस आते हैं । उस प्रकार के भारतीय श्रमिकों, जिन्हें जनवरी, १९५८ और अक्तूबर, १९५८ के बीच भारत भेजा गया था, की संख्या २००३ है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) सरकार की ओर से कोई कार्यवाही करने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी

†२४. { **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **निर्माण, आवास, और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी में किस प्रकार का काम हो रहा है और उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) मेसर्स बसाखा सिंह वैलैनबर्ग लिमिटेड के साथ सरकार ने जो समझौता इस फैक्टरी को चलाने के लिये किया था उसके असफल हो जाने से सरकार को कितनी हानि हुई है ;

(ग) जो काम अब चालू किया गया है उसमें लगे सामान, औजार इत्यादि की क्या कीमत है ; और

(घ) इस काम की भविष्य की क्या संभावनायें हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा): (क) इस समय फैक्टरी निम्नलिखित वस्तुएं बना रही है :—

(१) प्रीस्ट्रेस्ड कांक्रीट विभाग

ट्रांसमिशन पोल्स, सड़कों पर लगाने के बिजली खम्बे, इन्डस्ट्रियल हेवी बीम्स प्रीस्ट्रेस्ड कांक्रीट कड़ियों और प्रीकास्ट आर० सी० सी० स्लैब समेत प्रीकास्ट छतें, फेन्सिंग पोल, वाईब्रेटेड सीमेंट कांक्रीट पाइप और पैवमेन्ट फ्लैग

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) लकड़ी-कार्य विभाग

दरवाज़े, खिड़कियां और अन्य सादा फ़र्नीचर ।

(३) फ़ोम कांक्रीट विभाग

वातानुकूलित इमारतों तथा शीत-संग्रहण-सयन्त्रों के लिये फ़ोम कांक्रीट और हल्की कांक्रीट के ताप निरोधक ब्लाक[1] तथा इमारतों में लगाने के लिये पार्टीशन ब्लाक ।

१-४-५३ से १५-८-५८ तक फैक्टरी गैर-सरकारी नियन्त्रण में रही और उसके उत्पादन का मूल्य केवल ३७ लाख रुपये था । सरकार द्वारा नियन्त्रण में लिये जाने के बाद उत्पादन निम्न प्रकार रहा :—

१६-८-५५ से ३१-७-५६ तक .	२९.८४ लाख रुपये
१-८-५६ से ३१-७-५७ तक .	३८.२३ लाख रुपये
१-८-५७ से ३१-७-५८ तक . . .	३९ लाख रुपये (लगभग)

३१-७-५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में फैक्टरी को ३८,९७१.५७ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ जब कि उससे पिछले वर्ष का लाभ ५,८१३.८१ रुपये था । ३१-७-५८ को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखे अभी तैयार नहीं हुये हैं ।

(ख) १-४-५३ से १५-८-५८ तक की अवधि में फैक्टरी को १४,७०,८७६ रुपये का कुल घाटा हुआ जिसमें से सरकार को ५ लाख रुपये का घाटा उठाना पड़ा । इस घाटे में ४,१२,८७९ रुपये की वह रकम भी शामिल है जो कि फैक्टरी सरकार से ली गई स्थिर सम्पत्ति के किराये के रूप में सरकार को देती । बाकी ९,७०,८७६ रुपये का घाटा मैसर्स बसाखा सिंह वालेनबर्ग लिमिटेड ने उठाया ।

(ग) १६-८-५५ को, जब सरकार ने फैक्टरी वापस ली, उस समय फैक्टरी के पास किराये पर ४५.५० लाख रुपये की सरकारी परिसंपत थी । फैक्टरी सरकार को इस परिसंपत पर पट्टा-राशि दे रही है ।

उत्पादन बढ़ाने व सुधारने के लिये कम्पनी अपने धन से धीरे धीरे फैक्टरी को बढ़ा रही है । इस तरह तीन प्रिस्ट्रेसिंग मेजें बनाई जा चुकी हैं और लकड़ी को प्रिज़र्व तथा सीज़न करने की मशीनों व सामान को भी मंगाया जा रहा है । १७,३०० वर्ग फुट का अतिरिक्त संग्रहण स्थान भी बना लिया गया है ।

(घ) १-८-५८ से चालू होने वाले वर्ष में लगभग ५७ लाख रुपये मूल्य की वस्तुओं के उत्पादन होने की आशा है ।

विस्थापित व्यक्तियों के लिये मार्गस्थ शिविर (ट्रांज़िट कैम्प)

†२५. **श्री त्रिवदि कुमार चौधरी** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्तियों के लिये पश्चिमी बंगाल में कितने मार्गस्थ शिविर (ट्रांज़िट कैम्प) हैं और उनमें कितने कितने व्यक्ति रह रहे हैं; और

(ख) सरकार ने इन शिविरों के निवासियों को दण्डकारण्य जैसी पुनर्वास योजनाओं के भविष्य के बारे में जानकारी देने के लिये क्या व्यवस्था की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Insulation blocks.

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शें० नास्कर)** : (क) पश्चिमी बंगाल में कोई भी मार्गस्थ शिविर (ट्रांज़िट कैम्प) नहीं है । पर हां, १ अक्तूबर, १९५८ को १२८ सामान्य शिविर थे जिनमें कुल १,८९,२३२ विस्थापित व्यक्ति थे । लोक सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें बताया गया है कि प्रत्येक शिविर (कैम्प) में लगभग कितने कितने व्यक्ति थे । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १३]**

(ख) दण्डकारण्य के सम्बन्ध में बंगला और अंग्रेजी में एक सविस्तार पुस्तिका निकाले जाने के अलावा १ नवम्बर, १९५८ को कलकत्ता में पश्चिमी बंगाल के कैम्प सुपरिन्टेन्डेन्टों और वहां के पुनर्वास तथा कल्याण सम्बन्धी कार्यों से सम्बद्ध अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें योजना की मुख्य मुख्य बातों पर प्रकाश डाला गया था । कैम्प सुपरिन्टेन्डेंटों से यह कहा गया था कि वे अपने अपने कैम्पों में रहने वाले व्यक्तियों को भी वे सभी बातें समझा दें । इस प्रयोजन के लिए एक प्रचार संगठन भी स्थापित किया जा रहा है ।

उड़ीसा की राज्य योजना

†२९. **श्री पाणिग्रही** : क्या योजना मंत्री २२ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने उड़ीसा सरकार द्वारा द्वितीय पंच वर्षीय योजना के शेष वर्षों के लिए वित्तीय संसाधनों के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये प्राक्कलनों पर विचार कर लिया है; और

(ख) क्या योजना आयोग ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को कोई सुझाव दिये हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). जी, हां । उड़ीसा सरकार द्वारा भेजे गये प्राक्कलनों पर योजना आयोग और राज्य सरकार में अक्तूबर मास में बातचीत हुई थी । इस बातचीत में अतिरिक्त संसाधनों को बढ़ाने के लिये विभिन्न उपायों पर विचार किया गया था । वे उपाय हैं--सुधार शुल्कों का अनुमान लगाना और उनकी वसूली करना, कृषि योग्य भूमि को अन्य कार्यों के लिये इस्तेमाल करने पर विशेष शुल्क लगाना, कर-प्रशासन में सुधार करना और अल्प बचत आन्दोलन को तेज़ी से चलाना, आदि ।

साइकिल निर्माण उद्योग

†२७. **श्री राम कृष्ण** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में साईकिल निर्माण उद्योग की कैसी स्थिति है;

(घ) क्या कच्ची सामग्री की उपलब्धि न होने के कारण इस उद्योग के कार्य में कुछ कठिनाइयां आ रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस उद्योग की सहायता करने के लिए क्या क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १९६०-६१ के लिए १२.५ लाख साइकिल तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इस के लिए सरकार ने बड़े पैमाने के क्षेत्र में १,३७७,५०० साइकिलें तैयार करने की क्षमता वाले २४ यूनिट, और छोटे पैमाने के क्षेत्र में ३५३,००० साइकिलें तैयार करने की क्षमता वाले ७८ यूनिट स्थापित करने की योजना स्वीकार कर दी थी । इस समय बड़े पैमाने के क्षेत्र में २० यूनिट काम कर

---

†मूल अंग्रेजी में

रहे हैं और १९५८ के प्रथम छः वर्षों में उन्होंने ४८३,५४४ साइकिलों का निर्माण किया है। उसी अवधि में छोटे पैमाने के क्षेत्र में ८१,३५२ साइकिलें तैयार की गयी थीं।

(ख) और (ग). इस उद्योग के मार्ग में कोई भी कठिनाई नहीं है। वास्तव में, कच्चा सामान आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा आवंटित करते समय इस उद्योग को प्राथमिकता भी दी गयी है। १९५८-५९ की प्रथम तिमाही से छोटे पैमाने के क्षेत्र में निर्माण करने वालों को बांटने के लिये राज्यों को ४,५०० टन इस्पात का अतिरिक्त कोटा आवंटित किया गया है। इन कार्यवाहियों से इस उद्योग में पर्याप्त प्रगति हुई है और इन से इस का उत्पादन १९५७ की अपेक्षा २५ प्रतिशत बढ़ गया है।

रुई

†२८. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा कपड़ा मिलों को कितनी रुई संभरित की जा रही है और किस दर पर संभरित की जा रही है;

(ख) क्या यह सम्भरण मिल मालिकों की प्रार्थना पर किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन शर्तों पर ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (ग). मिलों को रुई सरकार द्वारा संभरित नहीं की जा रही है। भारतीय रुई के वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है। मिलें जितनी रुई चाहें उतनी खरीद सकती हैं। जहां तक विदेशी रुई का सम्बन्ध है, मिलें उतनी मात्रा में रुई खरीद सकती हैं जितना कि कोटा कपड़ा आयुक्त, बम्बई द्वारा उन्हें आवंटित किया गया हो।

पंजाब में केन्द्रीय योजनायें

†२९ { **श्री राम कृष्ण** :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **योजना** मंत्री ४ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में पंजाब में प्रारम्भ की गयी केन्द्रीय योजनाओं के लिए आवंटित की गयी राशि के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित कर ली गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसके व्योरे क्या हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अभी तक प्राप्त होने वाली जानकारी निहित है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १४]**

मैंगनीज अयस्क खानों का बन्द होना

†३०. **श्री पाणिग्रही** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ३० जून, १९५८ तक बन्द होने वाली मैंगनीज़ अयस्क मिलों में से कोई मिल अब खुल गयी है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) किन किन प्रान्तों में ये मिलें अभी तक बन्द हैं;

(ग) इन मिलों के बन्द रहने के कारण कितने मजदूरों को बेरोजगार होना पड़ा; और

(घ) देश में मैंगनीज की कुल कितनी खानें काम कर रही हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

प्रधान मंत्री की भूटान यात्रा

३१. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री नवल प्रभाकर

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री ने हाल ही में भूटान की जो यात्रा की थी उसमें उन्हें कितने दिन लगे;

(ख) उन्हें कितने मील मोटर, घोड़े, खच्चर व याक पर और पैदल चलना पड़ा;

(ग) उन्होंने किन किन स्थानों व संस्थाओं का निरीक्षण किया; और

(घ) उनकी इस यात्रा पर भारत सरकार का कुल कितना धन व्यय हुआ ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): जो सूचना मांगी गई है, वह इस प्रकार है :

(क) १६ सितम्बर से २ अक्तूबर १९५८ तक ;

(ख) दोनों तरफ करीब १२३ मील मोटर कार से और ७० मील घोड़े, खच्चर या याक पर ;

(ग) जिन-जिन स्थानों और संस्थाओं में वे गये थे, उनके नाम ये हैं :
गंगतोक, छांगू, शेरबथांग, याटुंग, रिनछेनगांग, चरिथांग, हा ज़ोंग और पारो ।
कारग्यू मठ (मोनेस्ट्री), पारो ज़ोंग, ल्हाखांग ।

(घ) राजकीय अतिथि होने के नाते, भूटान में इन पर जो खर्च हुआ, वह सब भूटान की सरकार ने किया । सामान्य नियमों के अन्तर्गत अधिकारियों के लिए जिस सफर-भत्ते की अनुमति है, उसके अतिरिक्त, उपहारों के लिए ६५,०८० रु०, आपातिक व्यय (कान्टिनजेंसीज) के लिए २,००० रुपये और सत्कार-व्यय (एन्टरटेनमेंट) के लिए, १,००० रुपये की भी मंजूरी दी गई थी ।

पुनर्वास उद्योग निगम

†३२ { **श्री राम कृष्ण** :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पश्चिमी बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए एक पुनर्वास उद्योग निगम स्थापित करने के सम्बन्ध में निर्णय किया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसके व्योरे क्या हैं; और

(ग) उस योजना की इस समय क्या स्थिति है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर):** (क) से (ग). जी, हां। व्योरे अभी तैयार किये जा रहे हैं।

मलयालम में प्रकाशित समाचार-पत्र

†३३. **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में मलयालम में कितने दैनिक और साप्ताहिक पत्र पत्रिकायें प्रकाशित हुई थीं;

(ख) प्रत्येक पत्र के ग्राहकों की कितनी संख्या थी ; और

(ग) प्रत्येक पत्र को १९५७-५८ में कितना अखबारी कागज आवंटित किया गया था ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क)

दैनिक पत्र २८ (जिनमें ८ द्विभाषी पत्र भी सम्मिलित हैं) ।

साप्ताहिक पत्र ३५ (जिनमें ११ द्विभाषी और १ बहुभाषी पत्र सम्मिलित है) ।

(ख) यह जानकारी समाचार पत्र तथा पुस्तक पंजीयन अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रैस रजिस्ट्रार से प्राप्त की जा सकती है।

(ग) १९५७-५८ में इस प्रकार से अखबारी कागज़ आवंटित नहीं किया गया था । हां, १९५७-५८ (अक्तूबर-मार्च) अनुज्ञापन अवधि में प्रत्येक समाचार-पत्र को दिये जाने के लिये अखबारी कागज का कोटा, आयात किये गये कागज़ की पिछली खपत और पृष्ठ क्षेत्र के आधार पर १२ महीनों के लिये फैलाया गया था । १५ प्रतिशत कटौती करके और १-१०-१९५७ को कुल स्टाक और लाइसेंसों के अन्तर्गत अपेक्षित आयात को घटा कर शेष मात्रा के लिये खपत या पृष्ठ क्षेत्र के आधार पर लाइसेन्स दिये गये थे। समाचार-पत्रों को इस बात की भी अनुमति थी कि वे अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिये नेपा मिल से भी कागज़ खरीद सकते हैं।

विकास योजनाओं का प्रचार

३४. **श्री विभूति मिश्र :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को अपनी अनेक विकास योजनायें कार्यान्वित करने में जो सफलता प्राप्त हुई है उस का जनता में प्रचार करने के लिये सरकार ने अब तक अर्थात् १५ नवम्बर, १९५८ तक कौन से तरीके अपनाये; और

(ख) सामान्य जनता ने इन योजनाओं को किस हद तक पसन्द किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) भिन्न भिन्न विकास योजनाओं का प्रचार कार्य मुख्यतः राज्य सरकारें करती हैं। केन्द्रीय सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय अखिल भारतीय पंच-वर्षीय योजना तथा उसकी प्रमुख योजनाओं के आम प्रचार कार्य का काम करता है। इसका भी ध्यान रखा जाता है कि केन्द्रीय प्रचार विभाग राज्य के प्रचार विभागों से पूरी तरह से मिल कर कार्य करे। इसके लिये इस मंत्रालय ने एक व्यापक मिला-जुला कार्यक्रम तैयार कर रखा है जिसकी खास खास बातें विवरण में हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) मोटे तौर पर इस प्रचार कार्य पर अच्छा प्रभाव पड़ा है । योजना के सम्बन्ध में लोगों में जागृति बढ़ रही है । अगर वर्तमान योजनाओं को काफी हद तक बढ़ाया जाये तो लोगों में बड़े पैमाने पर जागृति पैदा की जा सकती है । इसके लिये और काफी खर्च की जरूरत होगी जो कि प्राप्त नहीं है ।

केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

†३५. **श्री तंगामणि : क्या निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के विभिन्न डिवीज़नों तथा सब-डिवीजनों में प्रत्येक कोटि के नियन्त्रित स्थानों में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ; और

(ख) इस समय प्रत्येक कोटि में कितने स्थायी स्थान हैं ?

† **निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: (क) तथा (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

†३६. **श्री वोडयार** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना की काट छांट का मैसूर पर कोई असर पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका विशेष रूप से किस किस परियोजना पर असर पड़ेगा ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)**: (क) और (ख). इस सत्र में संसद् में एक पत्र प्रस्तुत किया जायेगा जिसमें यह जानकारी निहित होगी कि द्वितीय योजना के कुल व्यय में क्या क्या परिवर्तन किया गया है और उसका प्रत्येक राज्य के खर्च पर क्या क्या असर पड़ेगा । उस पत्र में इस सम्बन्ध में भी जानकारी होगी कि उसका किन किन परियोजनाओं पर असर पड़ेगा ।

निर्यात सम्बन्धी बातचीत

†३७. **श्री अरबिन्दु घोषाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५७ तथा १९५८ में विदेशों में स्थित भारतीय राजदूतावासों के द्वारा निर्यात व्यापार के सम्बन्ध में कोई बातचीत की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितने निर्यात व्यापार के लिये बातचीत की गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) भारतीय निर्यात-कर्ताओं की ओर से निर्यात व्यापार के बारे में बातचीत करना भारतीय राजदूतावासों का काम नहीं है । जहां भी सम्भव हो, हमारे वाणिज्यिक प्रतिनिधि स्थानीय सम्पर्क स्थापित करने और वहां की बाजारी हालत के बारे में जानकारी प्रदान करने में भारतीय व्यापारियों की सहायता करते हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारतीय व्यापार केन्द्र

†३८. **श्री अरबिन्दु घोषाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ और १९५८ में विदेशों में कितने कितने भारतीय व्यापार केन्द्र और शो रूम थे;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या विश्व मार्केट के लिये इतने केन्द्र पर्याप्त हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इनकी संख्या के बढ़ाने के लिये क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) १९५७–५८ के अन्त में २६ और ३१–१०–५८ को २८ केन्द्र।

(ख) और (ग). ये विश्व के बहुत से बाज़ारों का काम चला लेते हैं। इन शो रूमों के अतिरिक्त जिन क्षेत्रों में इस प्रकार के केन्द्र नहीं हैं वहां प्रदर्शनियों के द्वारा वाणिज्यिक प्रचार भी किया जाता है। कुछ और शो रूम स्थापित करने के सम्बन्ध में भी कार्यवाही की जा रही है।

भारत में औषधियां

†३९. **श्री अरबिन्दु घोषाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय भारत में निम्नलिखित औषधियां तैयार की जाती हैं :—

(१) सोडियम सैलिसिलेट

(२) एस्पिरीन

(३) पेनेसिलीन

(४) मैथिल सैलिसिलेट

(५) पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड तथा उसके साल्ट

(६) डायमिनो डाइफेनिल सल्फोन ; और

(ख) यदि हां, तो उनका निर्माण करने वाली कम्पनियों के क्या क्या नाम हैं; और वहां पर प्रति मास कितनी कितनी मात्रा में उनका निर्माण होता है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी, हां।

(ख) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा है जिसमें बताया गया है कि उनका निर्माण करने वाली कितनी फैक्टरियां हैं और उनमें कितनी कितनी मात्रा में निर्माण होता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १९]**

श्री सामी वेंकटाचलम् चेट्टी का निधन

†**अध्यक्ष महोदय**: मुझे लोक-सभा को श्री सामी वेंकटाचलम चेट्टी के दुखद निधन की सूचना देनी है जिनका देहावसान मद्रास में हुआ है।

श्री सामी वेंकटाचलम् चेट्टी भूतपूर्व केन्द्रीय विधान सभा के १९३४ से १९३८ तक सदस्य थे। उसके पूर्व वह मद्रास विधान सभा में कांग्रेस की ओर से विरोधी दल के नेता थे। यहां की भूतपूर्व विधान सभा के वह एक महत्वपूर्ण सदस्य थे।

मुझे विश्वास है कि श्री चेट्टी के सन्तप्त परिवार को सम्वेदना भेजने में सभा मेरा साथ देगी।

माननीय सदस्य शोक प्रकट करने के लिये एक मिनट तक मौन खड़े रहें

इसके पश्चात् सदस्य एक मिनट तक मौन खड़े रहे

---

†मूल अंग्रेजी में

स्थगन प्रस्ताव

पाण्डेचेरी में स्थिति

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे कई स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिन्हें मैं एक-एक करके लूंगा ।

पहला स्थगन प्रस्ताव श्री तंगामणि का है और पाण्डेचेरी में चीफ कमिश्नर द्वारा मन्त्रिपरिषद् बनाने से इंकार करने पर पाण्डेचेरी की निर्वाचित विधान सभा के विघटन तथा तत्पश्चात् वहां उत्पन्न स्थिति के बारे में है ।

†**श्री तंगामणि (मदुरै)** : गत सत्र में भी मैंने यह प्रश्न उठाया था । उस समय प्रधान मंत्री ने बताया था कि विरोधी दल और क्षुब्ध कांग्रेसियों का कोई समूह नहीं बन सका था क्योंकि कुछ सदस्य कभी किसी दल में और कभी किसी दल में सम्मिलित हो रहे थे । तत्पश्चात् २७ अक्तूबर को चीफ कमिश्नर श्री एल० आर० एस० सिंह ने विधान सभा को भंग कर दिया और इसका कारण उन्होंने यह बताया कि २५ अगस्त, १९५८ को हुआ सभापति का चुनाव तथा उसकी मान्यता संदिग्ध है ।

मेरा निवेदन है कि ३१ अक्तूबर को आय-व्ययक सत्र शुरू होने वाला था और चीफ कमिश्नर ने सदस्यों को आह्वान पत्र भेज दिये थे । इस बीच कांग्रेस दल के सदस्यों में वार्ता चल रही थी और क्षुब्ध दल के सभापति उसमें उपस्थित थे । अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में विरोधी सदस्यों ने अपना एक दल बना लिया था । उसी महीने की २८ तारीख को विधान सभा के सदस्यों को चीफ कमिश्नर का तार मिला जिसमें उनको सूचित किया गया था कि ३१ अगस्त को बैठक नहीं होगी और विधान सभा को भंग किया जा रहा है, अतः मैं जानना चाहता हूं कि किन परिस्थितियों के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी और अब पाण्डेचेरी में आगामी सामान्य निर्वाचन कब होगा?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं नहीं समझता कि पाण्डेचेरी की स्थिति स्थगन प्रस्ताव का विषय कैसे हो सकता है । यह बात स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकती और चाहे कुछ भी हो । यह बात भी मेरी समझ में नहीं आई कि माननीय सदस्य ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक की बात कैसे इस सम्बन्ध में उठाई । इस विषय का इन बातों से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक के पूर्व ही ये कठिनाइयां हमें नजर आई थीं । एक बैठक हो रही थी । सभापति ने बैठक स्थगित कर दी । सभापति तथा कुछ सदस्य उठ कर च े गये । जो लोग रह गये थे उन्होंने कहा कि वे बैठक को जारी रखेंगे । उन्होंने दूसरा सभापति चुन लिया और बैठक को जारी रखा । यह मामला हमारे सामने आया और हमने विधि पदाधिकारियों द्वारा उसका परीक्षण कराया । विधि पदाधिकारियों ने बताया कि बैठकों की सामान्य विधि के अधीन जब सभापति ने बैठक स्थगित कर दी थी तो बैठक की अग्रेतर कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती थी और इस कारण, बाद की सारी कार्यवाही गैर-कानूनी है । इसी कारण यह गलतफहमी पैदा हुई ।

दूसरे, यह विधान सभा—जिसे परिषद् कहा जाता है—मंत्रणादात्री थी । वास्तविक अधिकार तो चीफ कमिश्नर को ही प्राप्त थे । हां, परिषद् के परामर्श को स्वीकार करने की परिपाटी हमने बना ली थी । पर चूंकि उस समय इस परिषद् की निरन्तरता में कोई स्थायित्व नहीं था अतः यह निश्चय

†मूल अंग्रेजी में

किया गया कि सब से अच्छा यह होगा कि नये निर्वाचन किये जायें। इस कारण उसको भंग कर दिया गया और अब नये निर्वाचन होने वाले हैं। मैं समझता हूं कि यही रास्ता अच्छा है क्योंकि यह बात अच्छी नहीं थी कि समूहों के बीच संघर्ष हो।

अतः मैं नहीं समझता कि कैसे यह विषय स्थगन प्रस्ताव का विषय हो सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रधान मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य को ध्यान में रखते हुये मैं यह आवश्यक नहीं समझता कि इस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति दूं।

पाकिस्तान से सम्बन्ध

†**अध्यक्ष महोदय**: मुझे अन्य कई स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें भी प्राप्त हुई हैं जो इस सम्बन्ध में हैं: "पाकिस्तान के प्रेसीडेण्ट द्वारा दी गयी युद्ध की धमकी से भारत की शान्ति को खतरा, पाकिस्तानी सैनिकों तथा नागरिकों द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र में निरन्तर आक्रमण"; "सहायक भारतीय उच्च आयोग, ढाका के कार्यालय के एकाउण्टेन्ट, श्री के० सी० अय्यर के साथ किया गया दुर्व्यवहार", अमरीका द्वारा पाकिस्तान को लगातार शस्त्र देते रहना और भारत की सुरक्षा को खतरा (श्री डांगे)। श्री गोरे ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जो इस सम्बन्ध में है : पूर्वी सीमा पर पाकिस्तानी पदाधिकारियों तथा पाकिस्तानी सेना की विरोधी गतिविधियां। राजा महेन्द्रप्रताप का स्थगन प्रस्ताव इस सम्बन्ध में है; पाकिस्तान के डिक्टेटर ने कहा है कि काश्मीर के प्रश्न पर पाकिस्तान भारत से युद्ध करने को तैयार है। श्री खाडिलकर का स्थगन प्रस्ताव "भारतीय राज्य क्षेत्र में बलपूर्वक पाकिस्तानी सेनाओं का प्रवेश व आक्रमण" के सम्बन्ध में है।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : मेरा स्थगन प्रस्ताव एक निश्चित मामले के बारे में है।

†**अध्यक्ष महोदय** : उनके स्थगन प्रस्ताव में एक दृष्टान्त दिया गया है जबकि अन्य प्रस्तावों में सामान्य मामलों का वर्णन है। मैं जानना चाहता हूं कि वास्तव में स्थिति क्या है।

†**श्री श्री अ० डांगे** : (बम्बई नगर——मध्य) : चर्चा की मांग करने के पीछे हमारा यह उद्देश्य नहीं है कि हम पाकिस्तान के विरुद्ध घृणा का प्रचार करें और इस बात से भी हमारा कोई मतलब नहीं कि वहां कैसी सरकार है। जैसा कि हमारे प्रधान मन्त्री ने कहा कि वहां मार्शल-ला प्रशासन लागू होना हम सब के लिए चिन्ता का विषय है। दूसरी बात यह है कि अमरीका पाकिस्तान को लगातार शस्त्रास्त्र देता जा रहा है और पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध की धमकी भी दी है। ऐसी स्थिति में यदि माननीय प्रधान मन्त्री को स्थगन प्रस्ताव रुचिकर न हो तो हम इस विषय पर चर्चा करने के लिए कोई एक दिन निश्चित कर लें।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान में होने वाले दो परिवर्तनों के बाद भी भारत सरकार ने पाकिस्तान की सरकार को मान्यता कैसे दे दी जबकि वर्तमान पाकिस्तान सरकार ने यह आश्वासन नहीं दिया है कि वह दैनिक प्रशासन में सभी पुराने वचनों तथा करारों का पालन करेगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मान्यता देने या मान्यता न देने का प्रश्न हमारे सामने नहीं है। हम पाकिस्तान के वर्तमान भाग्य निर्माताओं के साथ अपना व्यवहार निबाह रहे हैं। इस मामले पर मैंने काफी विचार किया है पर मैं इस निर्णय पर नहीं पहुंच सका कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ है उसकी न्यायपूर्ण व्याख्या क्या हो सकती है। हमारा व्यवहार सामान्य और व्यवहारिक है कि जो भी कोई प्राधिकारी हो उससे व्यवहार बनाये रखो और मैं समझता हूं कि अन्य सरकारों ने भी ऐसा ही किया है।

---

†मल अंग्रेजी

पिछले सप्ताहों में पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है उसके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को जो चिन्ता है उसे मैं समझता हूं। पर मैं नहीं समझता कि इस बात पर स्थगन प्रस्ताव कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है। मेरा विचार है कि आगामी तीन या चार दिनों में मैं सभा के सामने इन सब बातों के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दूं पर मैं सभा को बता देना चाहता हूं कि मैं जो कुछ भी वक्तव्य दूंगा उसमें शायद कोई नवीन बात नहीं होगी। वह तो केवल तथ्यों का कथन होगा। फिर भी मैं सभा में एक वक्तव्य दूंगा। यदि सभा, इन विशेष बातों पर नहीं बल्कि वैदेशिक कार्य या सामान्य प्रश्न पर वाद-विवाद चाहती है तो हम उसके लिए तैयार हैं। पर स्थगन प्रस्ताव के रूप में इस प्रश्न पर विचार करना कठिन होगा।

एकाउण्टेन्ट श्री अय्यर का मामला एक अकेला और अलग मामला है। पर कभी-कभी अकेले मामले बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस सम्बन्ध में मैं अधिक कुछ न कहूंगा क्योंकि इस सम्बन्ध में हम जानकारी इकट्ठी करने का प्रयत्न कर रहे हैं और पाकिस्तान सरकार को भी हम इस विषय में लिख चुके हैं। उपरिदर्शी रूप से यह बहुत ही आपत्तिजनक बात थी।

†**श्री हेमबरुआ :** इसी प्रकार की अन्य घटनायें भी हुई हैं। ढाका रेलवे प्लेटफार्म पर भारतीय उच्च आयोग के दो अन्य कर्मचारियों के सामान को लूट लिया गया था।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** पिछले दो, तीन या चार सप्ताहों में ऐसी अनेक घटनायें हुई हैं, जो अलग अलग चाहे बहुत महत्वपूर्ण न हों पर उन सब को एक साथ देखने पर यह एक गम्भीर रवैये की प्रतीक मालूम होती है। अतः मेरा सुझाव है कि यदि आप सहमत हों तो पाकिस्तान में हुई घटनाओं के सम्बन्ध में मैं एक वक्तव्य दूं और उसके बाद सभा एक निर्णय करे कि उनके बारे में हमारा क्या रवैया हो।

†**श्री हेमबरुआ** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमने पाकिस्तान की नई सरकार से यह मांग की है कि वह नेहरू-नून करार तथा भारत-पाकिस्तान के बीच हुये सभी करारों का पालन करे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : पाकिस्तान की वर्तमान सरकार ने हम से तो नहीं, लेकिन सामान्य रूप से यह वादा किया है कि वह पूर्ववर्ती सभी करारों का पालन करेगी। अतः मैं जरूरी नहीं समझता कि मैं उनसे विशेष रूप से इन करारों के बारे में पूछूं कि क्या वे इनका पालन करेंगे या नहीं। एक तो, हम मान लेते हैं कि सरकार सभी करारों को मानने को तैयार है; दूसरे, पाकिस्तान की सरकार ने इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य भी दे दिया है।

†**श्री गोरे** (पूना) : मेरा निवेदन है कि प्रधान मन्त्री का वक्तव्य ही काफी नहीं होगा क्योंकि जनता के हृदय में अनेक प्रकार के भय व शंकायें हैं। अतः उचित होगा कि माननीय सदस्यों को अपने दृष्टिकोण प्रकट करने का अवसर दिया जाये और उसके बाद प्रधान मन्त्री अपना वक्तव्य दें।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस समय प्रश्न यह है कि इस विषय के महत्व तथा प्रधान मन्त्री द्वारा दिये जाने वाले वक्तव्य के आश्वासन के बाद भी क्या स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दी जाये। प्रधान मन्त्री के वक्तव्य के बाद सदस्य कह सकते हैं कि वे केवल वक्तव्य से सन्तुष्ट नहीं हैं और चर्चा होनी चाहिए। अतः वक्तव्य के बाद हम इस विषय पर विचार करेंगे।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू:** कुछ स्थगन प्रस्तावों के शब्दों से ऐसा पता लगता है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसे बहुत अतिरंजित बना कर प्रस्तुत किया गया है। उदाहरण के लिए सेनाओं का जोर-शोर से इधर-उधर भेजे जाने के बारे में कहा गया है। मुझे सेनाओं के आने-जाने के बारे में कुछ भी पता नहीं है। आज या कल के समाचार-पत्र में मदनपुर में आक्रमण का समाचार छपा है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

ठीक है, कुछ लोग हमारी सीमा के भीतर १० या २० गज आकर बैठ गये थे। उनसे कहा गया कि उनको वहां से भगा दिया जायेगा। शाम को वे लोग लौट गये। यह छोटी-छोटी बातें हैं इनको बहुत महत्व देना गलती होगी। हां, यह जरूर है कि बार-बार ऐसी छोटी-छोटी बातें होना एक बड़ी गम्भीर बात बन जाती है और इसी की हमें चिन्ता हैं। मैं इस मामले पर चर्चा करने के विरोध में नहीं हूं। पर मैं समझता हूं कि मैं सभी तथ्यों को सभा के सामने एक वक्तव्य में रख दूं उसके बाद सभा निर्णय करे कि हमें इस सम्बन्ध में क्या करना चाहिए।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** (मथुरा) : मेरा निवेदन है कि पाकिस्तान के डिक्टेटरों से हमें काफी खतरा है। भारत पर किसी भी दिन आक्रमण हो सकता है। अतः हमें अफगानिस्तान और ईरान के साथ सन्धि करना चाहिये ताकि यदि पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करे तो अफगानिस्तान व ईरान भारत का साथ दें। इस प्रयोजन के लिये मैं काबुल और तेहरान जाने के लिये तैयार हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए मैं पाकिस्तान सम्बन्धी स्थगन प्रस्तावों की अनुमति नहीं दे सकता।

†बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बन्द होने तथा लाठीचार्ज आदि के सम्बन्ध में भी एक स्थगन प्रस्ताव है। मैं ने उस की अनुमति नहीं दी है पर अनियत दिन वाले प्रस्ताव के रूप में उसे गृहीत कर लिया गया है। इस प्रस्ताव के लिये मैंने शिक्षा मंत्री से एक दिन निर्धारित करने की प्रार्थना की है। उस दिन माननीय सदस्यों को अवसर दिया जायेगा।

†**श्री ब्रज राज सिंह** (फिरोजाबाद) : पहले यह निश्चित किया गया था कि १७ नवम्बर को विश्वविद्यालय खुल जायेगा। पर अब पता लगा है कि अभी विश्वविद्यालय नहीं खुल रहा है। यह महत्वपूर्ण विषय है अतः इस पर जल्दी ही चर्चा की जानी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने शिक्षा मंत्री को सूचना दे दी है। आशा है कि वह शीघ्र ही कोई दिन निर्धारित करेंगे।

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर) : यदि चर्चा में विलम्ब किया गया तो स्थिति और भी खराब हो जायेगी।

†**अध्यक्ष महोदय**: माननीय मंत्री।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : आप कोई भी समय निर्धारित कर दें हम चर्चा के के लिये तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा कि क्या इस सप्ताह में कोई समुचित समय चर्चा के लिये रखा जा सकता है।

एक अन्य माननीय सदस्य ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जो कि बम्बई और मैसूर के बीच सीमा विवाद के कारण एक व्यक्ति द्वारा किये गये सत्याग्रह के सम्बन्ध में है। मैं नहीं समझता कि इस विषय पर यहां चर्चा कैसे की जा सकती है। दोनों राज्यों के माननीय सदस्य यहां हैं यदि वे संसद् के इस निर्णय से सहमत नहीं हैं तो वे अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। अतः मैं स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे सकता।

†**श्री नाथपाई** (राजापुर) : जहां यह सत्याग्रह हो रहा है उसी नगर का मैं रहने वाला हूं। चूंकि संसद् के अधिनियम के परिणामस्वरूप यह हो रहा है इसी कारण यह हमारे ध्यान देने की बात है। दूसरे विधेयक को पारित करते समय आश्वासन दिया गया था कि क्षेत्रीय परिषदें उपयुक्त

†मूल अंग्रेजी में

समय पर इन बातों पर विचार करेगी पर वैसा नहीं किया गया। इसी कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। बम्बई के मुख्य मंत्री का भी इस सम्बन्ध में यही मत हैं। अतः सत्याग्रह इसी कारण हो रहा है कि १९२२ से जनता को जो आश्वासन दिये जाते रहे हैं, उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा है। वैसे तो देश की जनता लोकतंत्र के सम्वर्द्धन में सहयोग दे रही है पर सरकार सदैव ही जनता की मांग की अवहेलना करती आई है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्य चाहें तो इस सम्बन्ध में संकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्य मार्ग भी हैं। यदि क्षेत्रीय परिषदों द्वारा इस पर विचार करने का आश्वासन दिया गया था तो माननीय सदस्य सरकार पर जोर डाल सकते हैं।

मैं स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे सकता।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

श्रमजीवी पत्रकार (वेतन दरों का निर्धारण) नियमों में संशोधन

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : मैं श्रमजीवी पत्रकार (वेतन दरों का निर्धारण) नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १० अक्तूबर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९४६ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० ९८०/५८]

समवाय अधिनियम के अधीन निकाली जाने वाली अधिसूचना

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : मैं समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६२० की उप-धारा (२) के अन्तर्गत समवाय अधिनियम की धारा ६२० की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निकाली जाने वाली अधिसूचना के प्रारूप की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० ९८१/५८]

कृषि प्रशासन समिति का प्रतिवेदन

†**सहकार मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : मैं, श्री अ० प्र० जैन की ओर से, कृषि प्रशासन समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० ९८२/५८]

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण अध्यादेश

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं संविधान के अनुच्छेद १२३ (२) (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान-सभा (गठन और कार्यवाही) मान्यीकरण अध्यादेश, १९५८ (१९५८ का संख्या ७) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० ९८३/५८]

चाय नियमों में संशोधन

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं चाय अधिनियम, १९५३ की धारा ४९ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत चाय नियम, १९५४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १३ सितम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७९९ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० ९८४/५८]

---

†मूल अंग्रेजी में

काफी नियमों में संशोधन

†**श्री कानूनगो** : मैं काफी अधिनियम, १९४२ की धारा ४८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत काफी नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १ नवम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०२४ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तास्कालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० ९८५/५८]

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग नियमों में संशोधन

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा २६ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग नियम, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २५ अक्तूबर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १००२ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० ९८६/५८]

भारतीय आय-कर अधिनियम की धारा ५६-क के अधीन उन्मुक्त की गयी संस्थाओं की सूची

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : मैं वित्त विधेयक पर चर्चा के समय १८ अप्रैल, १९५३ को दिये गये एक आश्वासन के अनुसरण में उन व्यापारिक संस्थाओं की एक सूची, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, १९२२ की धारा ५६-क के अन्तर्गत १९५७-५८ में मुक्ति दी गई है, सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० ९८७/५८]

कर्मचारी भविष्य निधि योजना में संशोधन

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि योजना, १९५२ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) जी० एस० आर० संख्या ९७०, दिनांक १८ अक्तूबर, १९५८ ।

(दो) जी० एस० आर० संख्या १०४४, दिनांक १ नवम्बर, १९५८ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० ९८८/५८]

विधि आयोग के प्रतिवेदन

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) सामान की बिक्री एक्ट, १९३० पर विधि आयोग की आठवीं रिपोर्ट ।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० ९८९/५८]

(दो) विशिष्ट अनुतोष एक्ट, १८७७ पर विधि आयोग की नवीं रिपोर्ट ।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० ९९०/५८]

---

†मूल अंग्रेजी में

(तीन) संविदा एक्ट, १८७२ पर विधि आयोग की तेरहवीं रिपोर्ट ।

[पुस्तकालय में रखी गयी--देखिये संख्या एल० टी० ९९१/५८]

दिल्ली निर्वाचक गण (सदस्यों का निर्वाचन) नियमों में संशोधन

†**श्री हजारनवीस** : मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा २८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिल्ली निर्वाचक-गण (सदस्यों का निर्वाचन) नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २४ सितम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८९९ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्ताकल में रखी गयी--देखिये संख्या एल० टी० ९९२/५८]

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह हिन्दू विवाह पंजीयन नियम

†**श्री हजारनवीस** : मैं हिन्दू विवाह अधिनियम, १९५५ की धारा ८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह हिन्दू विवाह पंजीयन नियम, १९५८ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी --देखिये संख्या एल० टी० ९९३/५८]

औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) नियमों में संशोधन

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : मैं औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, १९५५ की धारा १९ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २० सितम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८२८ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी--देखिये संख्या एल० टी० ९९४/५८]

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**डा० ब गोपाल रेड्डी** : मैं केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २७ सितम्बर, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ८४४ ।

(दो) दिनांक २८ सितम्बर, १९५८ की अधिसूचना जी० एस० आर० संख्या ८५७ ।

(तीन) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, १९४४ में आगे और संशोधन करने वाली दिनांक २८ सितम्बर, १९५८ की अधिसूचना जी० एस० आर० संख्या ८५८ ।

(चार) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, १९४४ में आगे और संशोधन करने वाली दिनांक २८ सितम्बर, १९५८ की अधिसूचना जी० एस० आर० संख्या ८६१ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(पांच) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, १९४४ में आगे और संशोधन करने वाली दिनांक ११ अक्तूबर, १९५८ की अधिसूचना जी० एस० आर० संख्या ९०७ ।

(छ:) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, १९४४ में आगे और संशोधन करने वाली दिनांक ११ अक्तूबर, १९५८ की अधिसूचना जी० एस० आर० संख्या ९०८ ।

(सात) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम १९४४ में आगे और संशोधन करने वाली दिनांक ११ अक्तूबर, १९५८ की अधिसूचना जी० एस० आर० संख्या ९०९ ।

[पुस्तकालय में रखी गई—देखिये संख्या एल० टी० ९९५/५८]

समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : मैं समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उपधारा (४) के अन्तर्गत निकाली गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) जी० एस० आर० संख्या ८७३, दिनांक ४ अक्तूबर, १९५८ ।

(२) जी० एस० आर० संख्या ८७४, दिनांक ४ अक्तूबर, १९५८ ।

(३) जी० एस० आर० संख्या ८७५, दिनांक ४ अक्तूबर, १९५८ जिसमें सीमा शुल्क प्रत्याहृत (अलबस्तर चीज़ें) नियम, १९५८ दिये हुए हैं ।

[पुस्तकालय में रखी गई—देखिये संख्या एल० टी० ९९६/५८]

सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रत्याहृत (पाइपरेजीन शर्बत) नियम

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : मैं समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम १८७८ की धारा ४३-ख की उपधारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क प्रत्याहृत (पाइपरेज़ीन शर्बत) नियम, १९५८ की एक प्रति जो दिनांक ४ अक्तूबर, १९५८ की अधिसूचना जी० एस० आर० संख्या ८७६ में प्रकाशित हुए थे, सभा-पटल पर रखता हूं :

[पुस्तकालय में रखी गई—देखिये संख्या एल० टी० ९९७/५८]

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : मैं समुद्र सीमा-शुल्क आधनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उपधारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूं :

(१) सीमा-शुल्क प्रत्याहृत (पोटेशियम साइट्रेट) नियम, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २७ सितम्बर, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ८४१ ।

(२) जी० एस० आर० संख्या १०१४, दिनांक १ नवम्बर, १९५८ ।

[पुस्तकालय में रखी गई—देखिये संख्या एल० टी० ९९८/५८]

---

†मल अंग्रेजी में

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उपधारा (४) तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूं :

(१) सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क प्रत्याहृत (चर्बी वाले अम्ल) नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २७ सितम्बर, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ८४२ ।

(२) सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क प्रत्याहृत (मोटरगाड़ी) नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २७ सितम्बर, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ८४३ ।

(३) दिनांक १ नवम्बर, १९५८ की अधिसूचना जी० एस० आर० संख्या १०१५ जिसमें सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क प्रत्याहृत (बिस्कुट) नियम, १९५८ दिये गये हैं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी --देखिये संख्या एल० टी० ९९९/५८]

पुनर्वास वित्त प्रशासन का प्रतिवेदन

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं पुनर्वास वित्त प्रशासन अधिनियम १९४८ की धारा १८ की उपधारा (२) के अन्तर्गत ३० जून, १९५८ को समाप्त होने वाली छमाही के लिए पुनर्वास वित्त प्रशासन के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई--देखिये संख्या एल० टी० १०००/५८]

प्रक्रिया नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिया गया निदेश

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिण्डा) : मैं लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेश संख्या ११५-ख की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

†**सचिव** : श्रीमान्, मैं २२ सितम्बर, १९५८ को लोक सभा में दी गयी सूचना के बाद गत सत्र में दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त विनियोग (संख्या ४) विधेयक सभा-पटल पर रखता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

२२ सितम्बर, १९५८ को लोक सभा में दी गयी सूचना के बाद गत सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किय गये तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नालखित पन्द्रह विधेयकों की प्रतियां राज्य सभा के सचिव द्वारा विधिवत प्रमाणित रूप में सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) अखिल भारतीय सेवा (संशोधन) विधेयक, १९५८;

(२) दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९५८;

(३) सशस्त्र बल (आसाम तथा मनीपुर) विशेष शक्तियां ावधेयक, १९५८;

(४) श्रमजीवी पत्रकार (वेतन दरों का निर्धारण) विधेयक, १९५८;

(५) चीनी निर्यात संवर्धन विधेयक, १९५८;

(६) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १८५८;

(७) मनीपुर और त्रिपुरा (विधियों का निरसन) विधेयक, १९५८;

(८) भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९५८;

(९) राजघाट समाधि (संशोधन) विधेयक;

(१०) औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय संशोधन विधेयक, १९५८;

(११) समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक, १९५८;

(१२) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक, १९५८;

(१३) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (पद, उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार) विधेयक, १९५८;

(१४) व्यापार तथा पण्य चिह्न विधेयक, १९५८; और

(१५) वाणिज्यिक नौवहन विधेयक, १९५८ ।

गुड़गांव में विमान बल के सिगनल केन्द्र में अग्नि दुर्घटना

†प्रति रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : सरकार को बड़े दुःख के साथ सभा को सूचित करना पड़ रहा है कि २९ अक्टबर, १९५८ की रात को ११ बज कर ४० मिनट पर विमान-बल के सिगनल्स केन्द्र के गुड़गांव स्थित ट्रांसमिटिंग केन्द्र में आग लग गई थी । दमकलों ने ३० अक्टूबर, १९५८ की सुबह के ४ बजे तक आग बुझाने में सफलता प्राप्त कर ली थी । केन्द्र में रखे हुए ट्रांसमीटरों और केन्द्र की इमारत को आग से बड़ा नुकसान पहुंचा है ।

अच्छी चीज यह रही कि इसका शिकार कोई भी व्यक्ति नहीं बना ।

दुर्घटना की जांच के लिए एक जांच-न्यायालय बैठाया गया है । उस न्यायालय की उपपत्रियां प्राप्त होने से पहले, अग्नि-कांड का सही-सही कारण या उससे होने वाली हानि का ठीक ठीक विवरण बताना सम्भव नहीं होगा । वह बाद में गलत भी निकल सकता है ।

फिर भी, केन्द्र की संचार सेवा दूसरे ही दिन ठीक कर ली गई थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

समिति के लिये निर्वाचन

केन्द्रीय नरतत्व-विज्ञान सलाहकार बोर्ड

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के दिनांक १५ मार्च, १९५८ के संकल्प संख्या एफ० ८–२६/५७–सी–१ तथा वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय के दिनांक २४ अक्तूबर, १९५८ के संकल्प संख्या एफ० २३–३/५८–एस० यू० आर०–३ द्वारा संशोधित शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के दिनांक ९ अक्तूबर, १९५७ के संकल्प संख्या एफ० ८–२६/५७–सी–१ के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय नरतत्व विज्ञान सलाहकार बोर्ड में तीन वर्ष की अवधि के लिये सदस्य के रूप में काम करने के लिये (दिसम्बर १९५७ में निर्वाचित लोक-सभा के एक सदस्य के अतिरिक्त) अपने में से एक और सदस्य चुनें।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ ।

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय बढ़ाये जाने के बारे में प्रस्ताव

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : मैं आपकी अनुमति से, प्रस्ताव में थोड़ा परिवर्तन करना चाहता हूं, अर्थात् उसमें २४ नवम्बर के स्थान पर २६ नवम्बर रखना चाहता हूं। मैं प्रस्ताव करता हू :

"कि दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक, १९५८ सम्बंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये नियत समय २७ नवम्बर, १९५८ तक बढ़ा दिया जाये ।"

शायद मैं उसे इससे पहले ही उपस्थापित कर दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ ।

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री दातार द्वारा २५ सितम्बर, १९५८ को प्रस्तुत किये गये इस प्रस्ताव पर चर्चा जारी रखेगी कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम १९५४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर (पाली) : पिछले सत्र में मुझ से पहले वक्ता ने एक बड़ा विचित्र सा सुझाव दिया था कि भाग 'क' और भाग 'ख' राज्यों में काम कर चुकने वाले न्यायाधीशों को निवृत्ति-वेतन की गणना के मामले में समानता नहीं दी जानी चाहिये। उनके साथ विभेद किया जाना चाहिये। भाग 'ख' राज्यों में काम करने वाले न्यायाधीशों की सेवा के कुल समय का केवल आधा ही निवृत्ति-वेतन की गणना के समय लेखा जाना चाहिये।

माननीय वक्ता ने अपने इस सुझाव के पूरे नतीजों को नहीं देखा है। वे यह भूल जाते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की श्रेणी में सम्मिलित होने के बाद इस प्रकार न्यायाधीशों में विभेद नहीं किया जा सकता।

इस प्रकार न्यायाधीशों की दो श्रेणियां बना देने से उनके पद के सम्मान, उसकी गरिमा और उनकी कार्य दक्षता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों के बारे में हम जो भी चर्चा करते हैं उसका मात्र उद्देश्य यही होता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निर्भयता को सुनिश्चित बनाया जाये। इसी लिये हम उन शर्तों इत्यादि को अधिक से अधिक उदार बनाते हैं। लेकिन आज हमारी न्यायपालिका की हालत बिगड़ती जा रही है। इससे सभी को चिन्ता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और यहां तक कि विधि आयोग तक के सदस्यों ने भी इस पर चिन्ता प्रकट की है। न्यायाधिपति, श्री छागला जैसे जिम्मेदार और सम्माननीय व्यक्ति ने भी, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति का अपना पद छोड़ते समय, कहा था कि राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकार न्यायालयों की प्रतिष्ठा और क्षेत्राधिकार को सदा ही स्वतंत्र नहीं रहने देते। यह एक बड़ी गम्भीर चीज़ है और सरकार को इसकी ओर उचित ध्यान देना चाहिये। साथ ही, मैं इस बात को भी नहीं मानता कि न्यायाधीशों के प्रशासकीय पदों पर या राजदूतावास सम्बंधी पदों पर नियुक्त किये जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये। असाधारण परिस्थितियों में यह भी किया जा सकता है।

मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री की यह बात पूरी तरह से मानता हूं कि हमें अपने देश के न्यायाधीशों पर विश्वास करना चाहिये। यह भी सही है कि हमें अपने देश की प्रतिभा का यथासम्भव सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिये। हमने इसी लिये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अतिव्यस्कता की आयु ६० वर्ष और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की ६५ वर्ष रखी है। हमें अपने देश के न्यायाधीशों पर विश्वास तो है, लेकिन वे भी आखिर इन्सान ही होते हैं। हमें ऐसे प्रलोभन नहीं दिखाने चाहियें जिससे कि वे अपनी कर्तव्यपरायणता से डिग जायें। तभी हम उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने में मदद दे सकते हैं। इसीलिये मैं कहता हूं कि जहां तक हो सके न्यायाधीशों को साधारणतया किसी भी कार्यपालक पद या राजदूतावास सम्बंधी पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिये।

एक माननीय सदस्य ने कहा था कि न्यायाधीशों के वेतन और निवृत्ति वेतन पर्याप्त नहीं हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूं। न्यायाधीशों के वेतनों के सम्बंध में विचार करते समय हमें अपने देश के समूचे वेतन-ढांचे को भी तो ध्यान में रखना चाहिये। दूसरी चीज़ यह है कि हमें इस सम्बंध में चर्चा करते समय दलगत दृष्टिकोण से विचार नहीं करना चाहिये।

एक माननीय सदस्य ने बताया था कि एक किसी राज्य में ८–१० वकीलों से उच्च न्यायालय का पद ग्रहण करने के लिये कहा गया था, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया था। माननीय गृह-कार्य

†मूल अंग्रेज़ी में

मंत्री को उस मामले का विवरण बताना चाहिये कि वह किस श्रेणी का राज्य था और उस समय वहां न्यायाधीशों के वेतन कितने-कितने थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय को यह सम्माननीय पद ऐसे किसी भी व्यक्ति को देने की बात नहीं करनी चाहिये, जो उसे ठुकरा दे। इससे पद की प्रतिष्ठा पर आंच आती है। विधि जीवी संघ को भी चाहिये कि ऐसे पदों को न ठुकराने की प्रथा बनाये।

विधिजीवी संघ को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये हमारा देश ग़रीब है और हम अभी इस पद के लिये ४,००० या ५,००० रुपयों से अधिक नहीं दे सकते, और यह काफ़ी पर्याप्त भी है। इस पद की प्रतिष्ठा को देखते हुए, इसे ठुकराने या स्वीकार करने का फैसला सिर्फ़ वेतन को देखकर ही नहीं, बल्कि देश की आवश्यकताओं को देखते हुए ही किया जाना चाहिये।

मैं सरकार के इस दृष्टिकोण का पूरा समर्थन करता हूं कि भाग 'क' श्रेणी और भाग 'ख' श्रेणी के राज्यों के न्यायाधीशों में कोई विभेद नहीं करना चाहिये। मैं सिर्फ़ यही चाहता हूं कि सरकार अपने दृष्टिकोण को और अधिक स्पष्टता से प्रकट करदे। और, अब तो हमारे देश में एक ही श्रेणी के राज्य रह गये हैं, इसलिये अब ऐसा कोई विभेद करना अनुचित और असंगत होगा।

†**श्री फ्रेंक एन्थनी** (नाम निर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : मुझे यह देखकर बड़ा दुख होता है कि सरकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सीमित करने पर तुली हुई है। इसी कारण जनता का विश्वास भी न्यायपालिका पर से धीरे-धीरे उठता जा रहा है। सरकार ऐसे विधान बनाती जा रही है कि जिनसे न्यायपालिका को कार्यपालिका के आश्रित बनना पड़े।

मैं ने, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक पर बोलते हुए, कहा था कि निवृत्ति-प्राप्त न्यायाधीशों को कार्यपालक पद देने से वर्तमान न्यायाधीशों में यह भावना पैदा होती है कि उन्हें अपने कार्य-काल में सरकार को खुश ही रखना चाहिये। न्यायाधीश स्वयं महसूस कर रहे हैं कि इससे न्यायपालिका में बड़ी ग़लत मनोवृत्तियां घर करने लगती हैं।

मैं तो समझता हूं कि सरकार भी यह अच्छी तरह जानती है।

देश स्वतंत्र होने से पहले, हम बड़ी निष्ठा से इस सिद्धान्त को मानते थ कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक ही रखना चाहिये। निर्देशक तत्वों में भी इस सिद्धान्त को स्थान दिया गया है। लेकिन अब सरकार इस सिद्धान्त को धता बता रही है।

मैं इसके लिये न्यायपालिका को जरा भी दोष नहीं देना चाहता, लेकिन यह बिल्कुल सही है कि सरकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सीमित करती जा रही है।

इसका प्रमाण है इस विधेयक का खण्ड २३ क। इस खण्ड में व्यवस्था की गई है कि उच्च न्यायालय के विश्रामावकाश या विश्रामावकाशों की अवधि या अवधियां समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विश्रामावकाशों में इस प्रकार हस्तक्षेप करना गलत है और इसका प्रभाव बहुत बुरा पड़ेगा। न्यायाधीशों का विश्रामावकाश घटाने से भी उच्च न्यायालयों की समस्या का हल नहीं होगा। यदि आप उनका विश्रामावकाश बिल्कुल ही खत्म

---

†मूल अंग्रेज़ी में

कर दें, तो भी उच्च न्यायालयों में जितने मुकदमे विचाराधीन पड़े हैं उनको नहीं निबटाया जा सकेगा। उच्च न्यायलयों में अभी लगभग १५ हज़ार से अधिक मुकदमे अनिर्णीत पड़े हैं।

न्यायाधीशों का कार्य बड़ा बौद्धिक होता है। वे दस बज से चार बजे शाम तक यही काम करते हैं। उनके लिये विश्राम बहुत ज़रूरी है। यदि वे विश्राम नहीं पायेंगे, थके हुए होंगे तो वे न्याय की भलीभांति रक्षा नहीं कर सकेंगे।

इस खण्ड द्वारा न्यायाधीशों से एक परोक्ष प से कहा जा रहा है कि यदि वे सरकार की इच्छा के विरुद्ध चलेंगे तो उनका विश्रामावकाश कम कर दिया जायेगा। यह खुला हस्तक्षेप है। मैं इस प्रकार की व्यवस्था का समर्थन नहीं कर सकता। मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता कि न्यायाधीशों को कार्यपालक अधिकारियों की दया पर निर्भर रहना पड़े। यदि आपको उनके विश्रामावकाश की अवधि कम ही करनी है, तो यह स्पष्ट व्यवस्था कीजिये कि सभी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को समान रूप से कम, मान लीजिये छः सप्ताह का, विश्रामावकाश मिलेगा। सभी के लिये विश्रामावकाश का समय एक समान रहना चाहिये।

यदि हम उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों पर काम का बोझ इतना अधिक बढ़ा देंगे, तो वे उसमें अपना दिमाग नहीं लगायेंगे और इससे न्याय की रक्षा नहीं हो सकेगी।

इस विधेयक से न्यायपालिका की स्वतत्रंता सीमित हो जायेगी और न्यायपालिका इसे पसन्द नहीं करेगी।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार): ऐंथनी साहब की तरह जजेज़ के बारे में मुझे जो कुछ अर्ज़ करना था वह मैंने उस वक्त अर्ज़ कर दिया था जब कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ का बिल आया था और अब मैं उसको दुहराना नहीं चाहता। लेकिन म सैक्शन २३ ए० (धारा २३ क) के बारे में, जिसका हवाला दिया गया है, मैं अदब से चन्द बातें अर्ज़ करना चाहता हूं।

मैं तो यह यक़ीन नहीं रखता कि हमारी गवर्नमेंट किसी तरह से भी जूडीशियरी (न्यायपालिका) के इंडिपेंडेंस (स्वतंत्रता) को कम करना चाहती है। और न मैं यह यक़ीन रखता हूं कि कोई भी गवर्नमेंट जो कि कांस्टीट्यूशन की परवाह रखती है वह अपने दिल में इस किस्म का ख्याल भी ला सकती है। लेकिन इस में शक नहीं है कि जब कभी लेजिसलेशन लाया जाता है तो हम गवर्नमेंट को बतलाते हैं कि कांस्टीटयूशन के मुताबिक एग्जीक्यूटिव (कार्यपालिका) और जूडीशियरी के सेपेरेशन (पृथकत्व) के प्रिंसिपल को अमल में लाना चाहिये। लेकिन मैं पाता हूं कि गवर्नमेंट उस उसूल पर अमल नहीं करती क्योंकि उस पर अमल करना किसी कदर मुश्किल है। जो गवर्नमेंट यह चाहती है कि देश में गवर्नमेंट के काम स्मूथली चलें वह उसूलों की कम परवाह करती है। वह काम को स्मूथली (ठीक से) चलाने की ज्यादा परवाह करती है। इसी तरह से जब गवर्नमेंट के पास ये शिकायतें आती हैं कि हाई कोर्ट से जल्दी जस्टिस नहीं मिलती तो बिला इस मामले में प्रोव, किये हुए कि क्यों जस्टिस (न्याय) जल्दी नहीं मिलती, गवर्नमेंट की, तवजह इस बात की तरफ जाती है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां ज्यादा होती हैं। पिछली मर्तबा जब आनरेबिल होम मिनिस्टर साहब तक़रीर फरमा रहे थे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियों के मुताल्लिक फरमाया था कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद यह मान लिया है कि हम अपनी छुट्टी किसी कदर कम करेंगे और इस से हाउस के अन्दर जनरल

सैटिसफेक्शन था। हिन्दुस्तान के अन्दर बहुत से ऐसे लोग हैं जो यह समझते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में जो कंडीशन्स थीं वही कंडीशन्स अब जब कि जज हिन्दुस्तानी हैं कायम नहीं रहनी चाहिएं। इस वास्ते जब सुप्रीम कोर्ट की निस्बत यह कहा गया कि वह छुट्टियां कम करना चाहती है तो हाउस में जनरल सैटिसफैक्शन (संतोष) हुआ था। मैं अब भी यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर हाईकोर्ट के जज इस बात को मान लें कि वह वेकेशन्स को कम करना चाहते हैं तो मैं बहुत खुश हूंगा। मैं खुद चाहता हूं कि सब अफसरों को चाहे वे बड़े हों या छोटे, उन कायदों के मुताबिक जिन से कि वे गवर्न होते हैं वेकेशन्स मिलनी चाहिए, ज्यादा नहीं। लेकिन साथ ही मैं इसको भी मानने को तैयार हूं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की वैकेशन्स (विश्रामावकाश) के बारे में जो प्रिंसिपल है वह दूसरे डिपार्टमेंट्स से बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक हाईकोर्ट का जज कितना काम करता है इसका अन्दाजा एक लेमैन के लिए लगाना बहुत मुश्किल है। हाईकोर्ट के जज दस बजे से चार बजे तक अपनी कुर्सी पर बैठते हैं और एक मिनट भी इधर उधर देखे बगैर बराबर अपना काम करते रहते हैं और क्लाक की तरह दस बजे से चार बजे तक अपना काम करते रहते हैं। और इसके अलावा भी मैं समझता हूं कि कोई हाई कोर्ट जज वर्थ दी साल्ट नहीं होगा कि जो घर पर भी अपना काम न करता हो। मेरी चन्द जजों से वाकफियत है और मैं जानता हूं कि वे अपना बहुत सा काम अपने घरों पर करते हैं।

इसके अलावा कहा जाता है कि साहब ये जज लोग आम तौर पर सनीचर की छुट्टी भी कर देते हैं। लेकिन ऐसा कहने वाले यह नहीं जानते कि जो जज लोग बहस सुनते हैं उस पर जजमेंट (फैसला) किस वक्त लिखते हैं। आम तौर पर सैटरडेज़ को और छुट्टियों को जजमेंट लिखते हैं। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ के काम का तरीका और उनकी जिम्मेवारियां इतनी जबरदस्त हैं कि उनका मुकाबला दूसरे डिपार्टमेंट्स की छुट्टियों से करना मुनासिब नहीं होगा।

इसके अलावा मेरी नाकिस राय में अगर हम इस दफा २३ ए को यहां पास करेंगे तो हम अपने कांस्टीट्यूशन की भी खिलाफवर्जी करेंगे। कांस्टीट्यूशन में जहां हाईकोर्ट के जूरिसडिक्शन का जिक्र है वहां पर आर्टिकिल २२५ में जो लिखा है उसका सरीही मानी यह है कि जो कुछ ताकत, हुकूक, जिम्मेवारियां हाई कोर्ट की कांस्टीट्यूशन के अमल में आने के पेश्तर थीं वे इन टैक्ट (हस्त-क्षेप्य) रहेंगी और आयन्दा भी वे वही जूरिसडिक्शन एक्सरसाइज़ करेंगी। पेश्तर इसके हम दफा २३ ए को नाफिज करें हमको यह देखना चाहिये कि क्या कांस्टीट्यूशन के मुताबिक हाईकोर्ट का यह हक है कि वह कब अपनी छुट्टी करे और कितनी छुट्टी करे। मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि आर्टिकिल २२५ के मुताबिक तो यह हाईकोर्ट के जूरिसडिक्शन की चीज है कि वह खुद अपनी छुट्टियों का फैसला करे।

मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि जूडीशियरी और एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के दो टुकड़े हैं और हमारे कांस्टीट्यूशन में यह उसूल रखा गया है कि उन में से एक दूसरे के हकूक पर एनक्रोच (हस्तक्षेप) न करें। ऐसी हालत में एग्जीक्यूटिव को वह अख्तियार देना ठीक नहीं होगा कि वह जूडीशियरी की वेकेशन्स के बारे में फैसला करे। अगर आप समझते हैं कि जेर दफा २२५ हाईकोर्ट को अपनी छुट्टियों के बारे में फैसला करने का अख्तियार है तब तो यह मुनासिब नहीं होगा कि एग्जीक्यूटिव को यह अख्तियार दिया जाये। मैं मानता हूं कि प्रेसीडेंट साहब को यह अख्तियार दिया गया है। उनसे बड़ी पावर आज हमारे देश में कोई नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि हल लफ्ज के क्या मानी हैं इसके मानी, जैसा कि एंथनी

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

साहब ने फरमाया, सैक्रेटरी टू दी गवर्नमेंट ग्राफ इंडिया भी हो सकते हैं। प्रेसीडेंट के नाम सारी पावर्स एक्सरसाइज़ की जाती हैं। अगर इस में यह होता कि होम मिनिस्टर साहब इस पावर को एक्सरसाईज़ करेंगे तब भी हम समझते कि वह इस तरफ काफी तवज्जह देंगे। लेकिन इस के मानी यह हैं कि सेक्रेटरी गवर्नमेंट को जो तजवीज़ लिख कर भेज देगा वही प्रेसीडेंट के नाम से जारी होगी। मैं नहीं चाहता कि हाईकोर्ट के जज यह खयाल करें या पबलिक यह खयाल करे कि वे पावर्स जो हाई-कोर्ट के जजों को दी गयी थीं और जो कि इतने उम्दा तरीके से डिस्चार्ज की जा रहीं थीं, वे एग्जीक्यूटिव को दी जायें। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह मुनासिब नहीं होगा कि हाईकोर्ट इन पावर्स को इस्तेमाल न करे। और हाई-कोर्ट और जूडीशियरी के इंडिपेंडेंस के लिहाज से भी मैं समझता हूं कि यह पावर उनको ही होनी चाहिए। हम जानते हैं कि किस उम्दगी से और किस काबलियत से उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ को अभी तक डिस्चाजे किया है और ऐसी हालत में कोई वजह नहीं है कि हम उन से यह हक ले लें। हमारी पार्लियामेंट भी तो सावरिन, (पुर्ण प्रभुता सम्पन्न) है लेकिन ग्राप देखें कि हम कितनी छुट्टियां लेते हैं। भी काम होता है तो हम ज्यादा से ज्यादा काम करने को तैयार रहते हैं। फिर हम क्यों यह समझ लें कि हाईकोर्ट के जज ही इस मामले में कोताही करेंगे और ज्यादा छुट्टियां लेना चाहेंगे।

बल्कि असलियत तो यह है कि हाईकोर्ट में जो यह यूनिट ग्राफ वर्क का तरीका रखा गया है वह भी ठीक नहीं है। मैंने देखा है कि जिन अदालतों में यूनिट का हिसाब रखा जाता है वहां घास काटी जाती है। मैं समझता हूं कि अगर इस तरह का कायदा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ तो वहां पर न जस्टिस रहेगी और न इंटेग्रिटी रहेगी और न इम्पारशियेलिटी रहेगी। इस वास्ते मैं अदब से अर्ज करता हूं कि हाईकोर्ट के पास से इस अख्तियार को लेकर हम किसी दूसरे को न दें। लेकिन अगर फिर भी ग्राप समझते हैं कि ग्रार्टिकिल २२५ में हाईकोर्ट को वह वेकेशन का फैसला करने का हक नहीं है और ग्राप इस अख्तियार को किसी दूसरी ग्राथारिटी (प्राधिकार) को देना चाहते हैं तो मैं अदब से अर्ज करूंगा कि ग्राप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को यह अख्तियार दें। मैं यह तो समझ सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट देश की सारी हाईकोर्टस के वास्ते वेकेशन मुकर्रर कर दे। लेकिन मैं यह समझने से कासिर हूं कि यह पावर एग्जीक्यूटिव को दी जाये। अगर ऐसा किया गया तो जूडिशियरी पर यह इम्प्रेशन पड़ेगा कि उस से एक हायर ग्राथारिटी है जिसके सबमिशन में उसको रहना होगा। मुझे खुशी है कि मेरे दोस्त श्री केशव अय्यंगार ने दफ़ा २३ ए को हटाने के लिए एक अमेंडमेंट रखा है। मुझे उम्मीद है कि ग्रानरेबल मिनिस्टर साहब उस को कबूल फ़रमायेंगे।

इस में कोई शक नहीं है कि ग्रार्टिकल २२५ में वैकेशन्ज़ का ज़िक्र नहीं है, लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि वैकेशन्ज़ के मुताल्लिक अख़्तियारात भी उन्हीं पावर्ज़ का हिस्सा है। हम यह नहीं कह सकते कि चूंकि हाई कोर्ट ने उन पावर्स को इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए वे उस ग्रार्टिकल की ज़द में नहीं ग्रातीं। इस बिल में और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं इस वक्त उनमें नहीं जाना चाहता हूं और न ही मैं उन बातों को दोहराना चाहता हूं, जो कि दूसरे मेम्बर साहबान ने यहां पर कही हैं। लेकिन मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस हाउस को राइटली ऐंक्शस (उचित रूप में चिंतित) होना चाहिए कि कोई ऐसा काम न किया जाय, जिससे जुडिशरी को यह महसूस हो कि हम एग्ज़ेक्टिव को ऐसे अख़्तियारात दे रहे हैं, जिन को अब तक वे बरतते रहे हैं या वे ग्राईन्दा बरतेंगे। मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह केस ग्रार्टिकल २२५ में ग्राए या न ग्राए, मेरी गुज़ारिश है कि दफ़ा २३ ए को एनेक्ट न किया जाए। वैकेशन्ज का मामला हाईकोर्ट पर छोड़ दिया जाना चाहिए और

अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, तो कम से कम इस को सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस देश में सब से ऊंची जुडिशल अथारिटी सुप्रीम कोर्ट की है। कोर्टस के लिये वह जो भी इन्तज़ाम करती है, जो भी इन्टरप्रेटेशन करती है, वह आखिरी अथारिटी है। गवर्नमेंट को यह पावर नहीं दी जानी चाहिए।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** (मुकन्दपुरम) : श्रीमान् इस विधेयक के पारित करने का उद्देश्य न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों को अच्छा बनाना है और इस बात पर कोई भी आपत्ति नहीं कर सकता कि न्यायपालिका को स्वतन्त्र रखने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि न्यायधीशों का स्तर उच्च रखा जाय।

वाद-विवाद के दौरान मेरे मित्र ने यह कहा था कि न्यायाधीशों का वेतन देश की वित्तीय स्थिति का सामने रख कर निर्धारित किया जाय किन्तु मेरे राजस्थानी मित्र ने इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ा दिया है। हमने यह कभी नहीं कहा कि न्यायाधीशों के वेतन कम कर दिये जायें। उन्होंने यह भी कहा कि केरल में जो मंत्री कम वेतन ले रहे हैं वह उनकी राजनैतिक चाल है किन्तु मेरे विचार में माननीय मित्र का यह कहना ही एक चाल है।

मैं तो यही प्रार्थना करता हूं कि न्यायाधीशों का वेतन युक्तियुक्त होना चाहिये ताकि वे ठीक ढंग से काम कर सकें। हमारे देश के मजूरों का वेतन न्यायाधिकरणों ने २८ रुपये निर्धारित किया है। हम न्यायाधीशों का वेतन इससे एक सौ गुना अधिक रख सकते हैं।

इसी के साथ वादों के निपटारे का मामला भी हमारे समक्ष है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् और संविधान के लागू होने के बाद वादों का स्वरूप बदल गया है। अब लोग लेख्य याचिकायें प्रस्तुत करते हैं। हमें इस ओर भी तो ध्यान देना चाहिये कि वे मामले शीघ्र निपटाने जायें। मैं आपके समक्ष एसे कितने ही मामलों का उल्लेख कर सकता हूं जो न्यायालयों में तीन तीन वर्ष से लम्बित पड़े हुये हैं। मजदूर सेवायुक्त हुये उन्होंने याचिका प्रस्तुत की किन्तु निर्णय सालों तक न हो—मजदूरों का क्या बने? इस कारण सरकार को चाहिये कि वह न्यायालयों से कहे कि इस प्रकार के मामलों का निर्णय करने के लिये एक अलग न्यायाधीश नियुक्त किया जाये।

वास्तव में यदि मामलों के निपटारे में ही देरी होती रहेगी तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जायगा। अतः सरकार को कोई ऐसी योजना अवश्य ही बनानी चाहिये कि लम्बित मामलों का शीघ्रातिशीघ्र निपटारा हो जाये। सबसे पहले सरकार को मजदूरों के मामलों को निपटाने का प्रयास करना चाहिये।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

आज यदि आप जनता से अथवा वकीलों से यह पूछें कि क्या स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् न्यायपालिका का स्तर ऊंचा उठा है? तो मुझे विश्वास है कि सब यही कहेंगे कि नहीं। लोगों का विश्वास ही उठ रहा है और यह बात लोकतंत्र के लिये खतरनाक है। इस बात के लिये भी सरकार को कड़ी कार्यवाही करनी चाहियें।

न्यायाधीश नियुक्त करनें की रीति यद्यपि प्रशंसनीय है किन्तु सरकार वकीलों में से जो न्यायाधीश चुनती है व वास्तविक अर्थों में ही सर्वप्रिय तथा योग्य होने चाहियें। मैं इस बारे में

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नारायणन कहिमेनन]

एक सुझाव देना चाहता हूं। अब तो न्यायाधीश किसी वकील की सिफारिश कर देता है तथा राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। किन्तु मेरी प्रार्थना यह है कि मुख्य न्यायाधीश के साथ अन्य न्यायाधीशों की सिफारिश भी होनी चाहिये क्योंकि हो सकता है मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें कम देखा हो। एक व्यक्ति की राय एक ही तो होती है। मेरा यह तात्पर्य नहीं कि मैं किसी मुख्य-न्यायाधीश की ईमानदारी पर सन्देह करता हूं। गलती हो जाना संभव ही तो है। वास्तव में जनता तभी भरोसा करती है जब न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति का चुनाव भी बड़ी न्यायप्रियता से किया गया हो। यह सब से महत्वपूर्ण बात है। अतः नियुक्तियों के मामले में पूर्णतः सावधानी अपनाने की आवश्यकता है।

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : मैं अधिक लम्बा भाषण नहीं दूंगा। बहुत सी बातें विधेयक की व्याप्ति से कहीं बाहर की कही गई हैं। यदि मैं एक एक ऐसी बात का उत्तर देने लगूं तो व्यर्थ ही में वाद-विवाद लम्बा हो जायगा।

जहां तक सरकार के न्यायपालिका के प्रति सामान्य आचरण का सम्बन्ध है इस बात के बारे में सब सहमत हैं कि न्यायपालिका की स्वतन्त्रता बनी रहे। जहां तक मेरा अपना सम्बन्ध है मैंने सदैव यही प्रयास किया है कि न्यायाधीशों की सेवा की शर्तें अच्छी हों और उच्च-न्यायालयों का स्तर बढ़े। हम इस सिद्धान्त के बिना तो चल ही नहीं सकते कि न्यायपालिका स्वतन्त्र रहे तथा इस पर बाह्य प्रभाव न पड़े। इस विधेयक से भी न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों को अच्छा बनाया जाना अभिप्रेत है। भाग (ख) राज्यों के न्यायाधीश भाग (क) राज्यों के न्यायाधीशों से कम वेतन ले रहे थे और उनकी सेवा की शर्तें भी भाग (क) वाले न्यायाधीशों से कम अच्छी थीं। इस विधेयक से उन न्यायाधीशों को जिन्होंने भाग (ख) राज्यों में सेवा की भी लाभ पहुंचेगा। यह लाभ पुरानी सेवा से ही प्रभावी होगा। यदि सभा में यह विधेयक न आता तथा यह उपबन्ध इसमें न होते तो न्यायाधीशों के वेतन पर नियंत्रण करने वाले उपबन्धों का लाभ उन्हें प्राप्त न होता। अतः हम प्रत्येक ऐसा प्रयास करते रहे हैं कि न्यायाधीशों की स्थिति इतनी सुखद एवं सरल हो जाये कि वे अपने काम की ओर पूर्ण रूप से ध्यान दे सकें तथा एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें।

इन परिस्थितियों में यह बड़े दुख की बात है कि कोई ऐसी बात कही जाये कि हम न्यायाधीशों पर किसी प्रकार का प्रभाव डालना चाहते हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने हमारे न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षता और योग्यता की श्लाघा भी की है। मुझे न्यायपालिका पर गौरव है। हमें व्यक्तिगत बातों में कभी नहीं जाना चाहिये। हमें तो न्यायपालिका का मूल्यांकन सामूहिक रूप से करना है। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और वे प्रशंसा के पात्र हैं। इस कारण हम भी उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं रहे।

जिन लोगों ने यह कहा है कि हमें अपने न्यायाधीशों को सेवा निवृत्ति के पश्चात सेवा के अवसर नहीं देने चाहियें, वे मेरे विचार में गलती करते हैं। यह कहना कि वह न्याय निष्पक्ष भाव से नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें बाद में काम लेने की इच्छा होती है बड़ी अन्यायपूर्ण बात है। हमें न्यायाधीशों की ईमानदारी पर इस प्रकार से कभी भी सन्देह नहीं करना चाहिए। यह कहना कि वे सेवा निवृत्ति के बाद में प्रत्याशित किसी लालच के कारण अपने सेवा काल में न्याय नहीं करेंगे न तो हमारे लिये ही उचित है और न ही यह बात न्यायाधीशों के लिये न्यायपूर्ण है।

†मूल अंग्रेजी में

लोग हमें बार बार प्रशासकीय मामलों में न्यायपालिका प्रभावी जांच करने के लिये कहते हैं। यह जांचें तो न्यायाधीश ही कर सकते हैं और हमें कार्यपालिका में न्यायाधीश कहां से मिल सकते हैं। यदि हम उस प्रयोजन के लिये न्यायाधीश नियुक्त करें तो केवल न्यायपालिका पदाल में से ही उनकी नियुक्ति संभव है। अतः यह सारी आलोचना गलत है और हमारे न्यायाधीशों के प्रति अन्यायपूर्ण है।

एक बात अवकाश सम्बन्धी उपबन्ध के बारे में भी कही गई है। सभी जानते हैं कि उच्च न्यायालय का अर्थ यह नहीं होता कि वहां केवल मुख्य न्यायाधीश ही हो वहां दूसरे न्यायाधीश भी होते हैं। जब तक न्यायाधीशों में सहमति न हो तब तक निश्चय प्रभावपूर्ण नहीं होता। कभी कभी न्यायाधीशों में भी विभिन्न राय हो सकती हैं। इसलिये हम यह कल्पना नहीं कर सकते कि जो बात दूसरों को उचित लगे अथवा वांछनीय प्रतीत हो वह ही सब पसंद करते हैं। और उसे ही स्वीकार कर लिया जायेगा। हो सकता है कुछ न्यायाधीश अपने साथियों से सहमत न हों। जनता के हित की व्यवस्था तो इस रीति से की जा सकती है कि किसी के साथ कोई अन्याय न हो।

सभा में यह भी कहा गया है कि उच्च-न्यायालयों में बहुत से वाद अभी तक लम्बित पड़े हुये हैं। कुछ उच्च-न्यायालयों में तो लम्बित मामलों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। हम ने कुछ कार्यवाही की है और हम चाहते हैं कि इस वर्ष के अन्त तक वादों की संख्या कम हो जाये। अगले वर्ष की जनवरी तक उच्च-न्यायालयों में दो वर्ष से पुराने मामले न रहें। बहुत से उच्च-न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या कम हो गई है। और हमें आशा है कि हम अपना लक्ष्य पूरा कर लेंगे। किन्तु कुछ उच्च-न्यायालयों में स्थिति ठीक नहीं है हमने वहां के लिये कोई उपाय ढूंढ़ना है।

यह ठीक है कि उच्च-न्यायालय के न्यायाधीशों को अवकाश दिया जाना चाहिये---उन्हें आराम की आवश्यकता है ताकि वे ताजादम हों कर काम कर सकें। मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं। किन्तु लम्बित मामलों के भी तो ढेर लगे हुये हैं। और वे ढेर न्यूनाधिक रूप में अवकाश की अवधि के छोटा या बड़ा होने के आधार स्वरूप ही समझ लेने चाहियें। सामान्यतया इससे यही निष्कर्ष निकलता है। हम यह नहीं चाहते कि न्यायालयों को किसी कठिन स्थिति में डाला जाये किन्तु इस समय लागू नियम समान प्रकार के नहीं हैं। विभिन्न उच्च न्यायालयों में अवकाश की अवधि भी भिन्न है। जहां लम्बित बाद है वहां के अवकाश के बारे में तो हमें विचार करना ही है।

कई वक्ताओं ने यह कहा है कि यदि निपटारा शीघ्र न हो तो न्याय नहीं हो सकता। इस दिशा में भी हमें कुछ करना ही होगा। अवकाश के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारण के उपबन्ध का उपयोग इस रीति से कभी नहीं किया जायगा कि किसी भी उच्च-न्यायालय को उससे कोई हानि हो। माननीय सदस्यों ने एक उपनियम की तो पूरी अवहेलना ही कर दी है। वह यह है कि इस अधि-नियम के अधीन प्रत्येक आदेश सभा-पटल पर रखा जायेगा। राष्ट्रपति प्रत्येक आदेश यहां भेजेंगे और सभा उस पर वाद-विवाद कर सकेगी और कह सकेगी कि यह उचित नहीं है। इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह कहना कि उनकी छुट्टियों का निर्धारण राष्ट्रपति करेंगे इस कारण न्यायाधीश ठीक काम न करेंगे गलत है। आखिर कार्यपालिका को ही तो न्यायाधीशों के अवकाश, दैनिक भत्तों, यात्रा भत्तों, चिकित्सा सहायता आदि के लिये नियम बनाने पड़ते हैं। उन नियमों से तो यह नियम अधिक विवाद की गुंजाइश वाले हैं। दूसरे मामले, जिनका न्यायाधीशों के दैनिक जीवन से गहन सम्बन्ध है, अधिक महत्वपूर्ण हैं।

[पंडित गो० ब० पन्त]

इसलिये जो आशंकायें यहां रखी गई हैं व पर्याप्त मात्रा तक दूर हो जायेंगी। सभा-पटल पर रखे जाने के पश्चात् सभा उन पर ध्यान से विचार कर सकती है। किसी पर व्यर्थ में ही व्यंग्य करना तो उचित नहीं। किसी को भी इस बारे में कोई आशंका नहीं रखनी चाहिये।

न्यायधीशों को अवकाश अवश्य मिलेगा। अवकाश की अवधि भी युक्ति-युक्त होगी। किन्तु यह वांछनीय होगा कि उन्हें बताया जाय कि उनकी अवकाश अवधि कितनी हो। ऐसी तो भावना ही उत्पन्न नहीं होनी चाहिये कि न्यायाधीशों को किसी प्रकार से परेशान किया जायगा अथवा उनको कोई असुविधा होगी। हम न्यायाधीशों की गरिमा को बनाये रखना चाहते हैं और हमने उस बात का पूरा प्रमाण दिया है। हमने न्यायाधीशों से पूरा लाभ उठाया है। हमने उन्हें प्रशासकीय मामलों की जांचें सौंपी हैं। एक ओर यह कहना कि कार्यपालिका न्यायाधीशों से अधिक काम ले रही है और दूसरी ओर यह कहना कि यह ठीक नहीं है और फिर यह कहना कि इन उपबन्धों से न्यायपालिका की स्वतन्त्रता कम होगी ऐसे वक्तव्य हैं जो कि आपस में मेल नहीं खाते।

इस कारण मैं नहीं समझता कि इस मामले पर अधिक विचार किया जाना ठीक है। हम अवकाश की अवधि में अधिक कटौती नहीं करेंगे। मैं आपके समक्ष उपबन्ध ही पढ़कर सुना दूं। उसमें लिखा है :—

> 'अवकाश' का अर्थ है वह अवधि जिसे वर्ष के दौरान अवकाश घोषित किया जाये और वह घोषणा उच्चतम न्यायालय के नियमों के अन्तर्गत राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद की जाये।"

यदि आप संविधान के अनुच्छेदों को देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि राष्ट्रपति को बहुत से मामलों के बारे में परामर्श लेने का उपबन्ध है। अनुच्छेद १४५ में लिखा है:—

(१) संसद् द्वारा बनाई हुई किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय, समय समय पर, राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया के साधारण विनियमन के लिये नियम बना सकेगा तथा जिनके अन्तर्गत——

(क) उस न्यायालय में वृत्ति करने वाले व्यक्तियों के बारे में नियम ;

(ख) अपीलें सुनने के लिये प्रक्रिया के बारे में, तथा अपीलों सम्बन्धी अन्य विषयों के जिनके अन्तर्गत वह समय भी है जिस के भीतर अपीलें न्यायालय में दाखिल की जानी हैं, बारे में नियम ;

(ग) भाग ३ द्वारा दिये गये अधिकारों में से किसी की पूर्ति कराने के लिये उस न्यायालय में कार्यवाहियों के बारे में नियम ;

(घ) अनुच्छेद १३४ के खण्ड (१) के उपबन्ध (ग) के अधीन अपीलों के लिये जाने के बारे में नियम;

(ङ) उस न्यायालय द्वारा सुनाया गया कोई निर्णय अथवा दिया गया आदेश जिन शर्तों के अधीन रह कर पुनर्विलोकन किया जा सकेगा उन के बारे में, तथा ऐसे पुनर्विलोकन के लिये प्रक्रिया के बारे में, जिसके अन्तर्गत वह समय भी है जिस के भीतर ऐसे पुनर्विलोकन के लिये आवेदन-पत्र न्यायालय में दाखिल किये जाने हैं, नियम ;

(च) उस न्यायालय में किन्हीं कार्यवाहियों में के और तत्प्रासांगिक खर्चे के बारे में, तथा उसमें कार्यवाहियों के विषय में ली जाने वाली फीसों के बारे में, नियम ;

(छ) जामिन की मंजरी के बारे में नियम ;

(ज) कार्यवाहियों के रोकने के बारे में नियम ;

(झ) ऐसी अपील जो उस न्यायालय को तुच्छ या तंग करने वाली अथवा विलम्ब करने के प्रयोजन से की हुई प्रतीत होती है उसके संक्षेपतः निर्धारण के लिये उपबन्धन करने वाले नियम ;

(ञ) अनुच्छेद ३१७ के खण्ड (१) में निर्दिष्ट जांचों के लिये प्रक्रिया के बारे में नियम;

भी हैं ।

खैर यह न्यायापालिका सम्बन्धी विषय हैं किन्तु यह नियम भी तभी बनाये जा सकते हैं जबकि राष्ट्रपति की मंजूरी ले ली जाये । इस कारण जो यह व्यवस्था की जा रही है उसके बारे में तो कोई आपति की गुंजाइश ही नहीं है ।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में भी थोड़ा उल्लेख किया गया था । संविधान में प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है । जबसे मैं यहां आया हूं तब से कम से कम एक भी ऐसी नियुक्ति नहीं हुई जिस के बारे में भारत के मुख्य न्यायाधीश का अनुमोदन प्राप्त न किया गया हो और अधिकतर मामलों में राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों तथा मख्य मंत्रियों की पूर्ण सहमति प्राप्त की गई है । इस प्रकार नियुक्तियों के लिये हम पर किसी प्रकार का दोषारोप नहीं किया जा सकता । मैं मानता हूं कि केवल उन्हीं लोगों को नियुक्त किया जाये जो योग्य हों तथा ईमानदार हों किन्तु अब भी नियुक्तियां करते समय इन्हीं गुणों को सामने रखकर कार्य किया जाता है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि उच्च-न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, १९५४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम खंडवार विचार करेंगे । प्रश्न यह है :

"खंड २ से ६ सब विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ से ६ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड ७–(नई धारायें २३ क और २३ ख का रखा जाना)

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैंने उस तकरीर को सुना है जोकि आनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने इस बिल के बारे में दी है और उन दलाइल को भी सुना है जोकि उन्होंने दफा ७ की डिफेंस में दी हैं। पेशतर इसके कि मैं उन दलाइल पर आऊं मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि कोई भी यह नहीं चाहता है और न ही गवर्नमेंट यह चाहती है कि जजिज़ की इंडिपेंडेंस में, इटैग्रेटी में, प्रेस्टीज में या डिगनिटी में किसी भी तरह की कमी वाका हो । मैंने यह भी कहा था कि कोई भी यह नहीं चाहता है कि

---

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

कांस्टीट्यूशन के खिलाफ कोई काम किया जाये। लेकिन मैं ने शुभा ज़ाहिर किया था कि हम उसकी जो भावना है उसके खिलाफ तो नहीं जा रहे हैं।

आनरेबल मिनिस्टर साहब ने वैकेशंस (छुट्टियों) को कम करने के बारे में कुछ कहा है और साथ ही उन्होंने कांस्टीट्यूशन की कुछ दफाओं की ओर हमारा ध्यान दिलाया है। उन दफाओं में से एक दफा जिस की ओर उन्होंने हमारा ध्यान दिलाया है वह १४५ है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि दफा १४४ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चन्द रूल्स एप्लीकेबल (लागू) होने के बारे में हैं। जहां तक आर्टिकल १४५ का ताल्लुक है पेशतर इसके कि मैं उसके बारे मैं कुछ कहूं मैं आप का ध्यान आर्टिकल १३५ की तरफ दिलाना चाहता हूं। जब कांस्टीट्यूशन बनाया गया था उस वक्त जहां तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है उसके लिये खास क्वायद बनाये गये थे, खास आर्टिकल बनाये गये थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उस वक्त एग्ज़िस्टेंस (अस्तित्व) में नहीं थी। यहां तक कि कम्पलीट पावर्स भी डिफाइन की गई और रूल बनाने की पावर के ऊपर भी कुछ थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस (पाबन्दी) डाली गई और कुछ पावर्स भी उसको दी गई। जहां तक पार्लियामेंट का ताल्लुक है उसका एग्जेक्टिव (कार्यपालिका) और ज्यूडिशरी (न्यायपालिका) दोनों के ऊपर अधिकार है। तो जो पावर्स नाफिज़ की थीं वे एक नई कोर्ट के बनाने में की थीं। इस में यानी १३५ दफा में लिखा गया है कि फैड्रल कोर्ट की जो पावर्स हैं चन्द मामलात में वे कायम रहेंगी। लेकिन जब हाई कोर्ट का मामला आया तो हाई कोर्ट के वास्ते आर्टिकल २२५ बनाया गया। अब यह बताया जाता है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट की चन्द पावर्स के बारे में दफा १४५ हमारे पास मौजद है और उसके अन्तर्गत प्रेजीडेंट की एप्रूवल से ही कुछ रूल बन सकते हैं इसलिये एनालाजी (समता) के ज़रिये एक फर्स्ट इम्प्रेशन केस बनाया गया है और कहा गया है कि क्या हर्ज है अगर इस रूल को भी पास कर दिया जाये। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमेशा ही जब किसी एस्टेबलिश्ड आर्डर (पक्के आदेश) या किसी डेफिनिट रूल (निश्चित नियम) के खिलाफ कोई बात की जाती है तो इस किस्म की आर्गुमेंट ी जाती है। लेकिन मुझे यह आर्गुमेंट ज़रा भी अपील नहीं करती है। अगर कांस्टीट्यूशन यह कहती कि जो भी पावर्स हाई कोर्ट एन्ज्वाय करती है बिफोर दी कमेंसमेंट आफ दी कांस्टीट्यूशन (संविधान के लागू होने के पहिले उच्च न्यायालयों को जो भी शक्तियां दी गई थीं) या उन को यह पावर है कि वे अपनी वेकेशंस को मुकर्रर कर सकें, तो मैं समझता हूं कि शायद ही होम मिनिस्टर साहब ने इस तरह की दफा रखी होती। होम मिनिस्टर साहब की तकरीर से यह जाहिर था कि इस तरह की पावर्स हाई कोर्ट के पास रही हैं। इसके अलावा इसके बारे में रूल २३ में भी दर्ज है। इसलिये मैं प्रिज्यूम (मानता) करता हूं कि हाई कोर्ट्स में रूल बने हुए हैं इन रिगार्ड टू वैकेशंस (छुट्टियों के बारे में) और जब रूल्स बने हुए हैं उनके होते हुए अगर हमने इस सैक्शन को पास कर दिया तो वे सब के सब एब्रोगेट (रद्द) हो जायेंगे क्योंकि हम लिख रहे हैं कि उनको एब्रोगेट किया जाये। इस का साफ मतलब यह है कि जो पावर्स कांस्टीट्यूशन में हाई कोर्ट्स को दी गई हैं उनको हम इस दफा की रू से एब्रोगेट कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जब तक कांस्टीट्यूशन मौजूद है और कांस्टीट्यूशन में आर्टिकल २२५ मौजूद है कोई भी ताकत चाहे वह यह पार्लियामेंट ही क्यों न हो किसी तरह से भी बिना कांस्टीट्यूशन को एमेंड किये उन एहकामात के खिलाफ नहीं जा सकती और उनकी पावर्स के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती।

हमारे आनरेबल मिनिस्टर साहब ने कहा है कि यहां पर कहा गया है कि अगर ये पावर्स ले ली जायेंगी तो हाई कोर्ट्स अपनी इंडिपेंडेंस छोड़ देगी या जो ज़जिज हैं वे ईमानदारी के साथ इम्पार्शली (निष्पक्षता) फैसले नहीं करेंगे। आनरेबल मिनिस्टर साहब की यह अर्गुमेंट शायद किसी और मेम्बर की तकरीर के जवाब में हो तो हो मेरी तकरीर के जवाब में तो नहीं हो सकती। मुझे पूरा

भरोसा है कि अगर वैकेशंस को काट भी दिया गया तब भी जजिज ईमानदारी के साथ, अच्छी तरह से और इंसाफ के साथ फैसला करेंगे। मेरा ग्राउंड तो यह था कि जो चीज़ हम कांस्टीट्यूशन में कर चुके हैं उसके साथ हम को अखत्यार नहीं है कि हम खिलवाड़ करें। हमको यह अख्त्यार नहीं है कि इस बिल के ज़रिये इस तरह की पावर्स अब हम अपने हाथ में लें। आप कांस्टीट्यूशन को एमेंड कर दें और तब इन पावर्स को लें तब किसी को कोई एतराज़ नहीं हो सकता है और तब मैं समझूंगा कि आप इंसाफ कर रहे हैं। कांस्टीट्यूशन की मौजूदगी में यह सब बेसूद है। ये पावर्स अब तक हाई कोर्ट्स इस्तेमाल करती रही हैं, एंज्वाय करती रही हैं। कांस्टीट्यूशन के खिलाफ २३(ए) के नीचे हम उनके साथ खेलना शुरू कर रहे हैं। चाहे अच्छी वजूहात ही क्यों न हों मैं इस के खिलाफ हूं कि उनसे इन अखत्यारात को छीना जाये जो आज तक वे एंज्वाय करते आ रहे हैं।

सरकार जजिज़ पर भरोसा करती है, लोग भी भरोसा करते हैं और वे इस वैकेशन के इधर उधर होने से हरगिज़ अपने फराइज़ में कोताही नहीं करेंगे। गवर्नमेंट के पास क्या वजूहात हैं कि जिन पावर्स को वे १९५१ से इस्तेमाल करती आई हैं उनको अब उन से छीना जाय। यहां पर यह कहा गया है कि एरियर्स दूर करने में इससे मदद मिलेगी। ये जो एरियर्स हैं ये आज की पैदावार नहीं है। इस के लिये आपको दूसरे उपाय सोचने होंगे। आप जजों की तादाद बढ़ा सकते हैं, लोगों में प्रचार कर सकते हैं कि लोग ज्यादा मुकदमेबाजी न करें, और लोगों से यह भी कह सकते हैं कि मुकदमों का फैसला वे किसी दूसरे तरीके से कर लें। इसका क्या मतलब है कि जो एरियर्स को इस तरह से आप साफ कराना चाहते हैं कि जिस से उनकी पावर्स कम हो जायें। यह किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। मैंने अर्ज़ किया था कि अगर आर्टिकल २२५ न भी एप्लाई करता तब भी इंसाफ का यह तकाज़ा था, उसूल पर यह बात ठीक उतरती है कि हाई कोर्ट्स को ही यह पावर दी जाये कि वे अपनी वैकेशन का खुद फैसला करें। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से दूसरे डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी पावर्स अदा करते हैं और अपने अपने डिपार्टमेंट्स में एक तरह से सैल्फ सफिशेंट हैं, उसी तरह से ज्यूडिशरी को भी अपने फैसले खुद करने का हक़ होना चाहिये। आज आनरेबल होम मिनिस्टर साहब को सारे देश के लिये कानून बनाने के पूरे अखत्यार हैं लेकिन क्या वह कभी अपने अखत्यारात को एब्यूज़ करते हैं? क्या वह कभी किसी अफसर को नाजायज़ तौर पर ज्यादा तनख्वाह देते हैं या लौंव देते हैं? हम रोज़ देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट किसी की रियायत नहीं करती। पार्लियामेंट को अखत्यार है कि वह यह फैसला करे कि उसके मैम्बरों को क्या तनख्वाह मिले और वह यह फैसला भी कर सकती है कि हर एक को पांच हजार रुपया माहवार मिले। लेकिन क्या हमने कभी इस तरह का फैसला किया है या क्या कभी हम इस तरह का फैसला करने को तैयार हैं, कभी नहीं। अगर हाई कोर्ट्स में वैकेशन होगा तो क्या वे वैकेशन एन्ज्वाय करने के अपने अखत्यार का नाजायज़ फायदा उठा सकती हैं।

यहां पर यह भी आर्गूमेंट दी गई है कि मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में मुख्तलिफ रूल हैं। इस बारे में पहले तो मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि इसका फैसला करना गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होना चाहिये। गवर्नमेंट सजेशन दे कि वह नहीं चाहती कि इतनी वैकेशन हो उसके बाद वे खुद ही इसका फैसला कर सकते हैं। उसका जरूर असर होगा। पिछली मर्तबा दातार साहब ने कहा था कि सुप्रीमकोर्ट ने कबूल कर लिया है और वहां पर वैकेशन कम हो रहे हैं। अगर यह कहा जायगा कि गवर्नमेंट की यह राय है, होम मिनिस्टर साहब की यह राय है या हाउस की यह राय है कि वैकेशन कम हों, तो वे जरूर सही और ठीक फैसला करेंगे और अगर उन पर इस मामले को छोड़ा जायेगा तो भी वे वही फैसला करेंगे जो आप चाहते हैं।

लेकिन इसमें बड़ा फर्क है कि आप के सेक्रेटरी साहब यह हुक्म जारी करें कि फलां दिन की छुट्टी नहीं होगी और केवल इतने दिनों की छुट्टियां होंगी, इसमें और हाई कोर्ट्स के सजैशन और रैकमेंडेशन

[श्री कालिका सिंह]

अपने मित्र श्री फ्रैंक एन्थनी को मैंने स्वयं एक मर्तबा स्पीच के दौरान यह कहते हुए सुना था कि जब कि एक मेजिस्ट्रेट और एक मुंसिफ जो कि जुडिशियल पावर्स एक्सरसाइज़ (न्यायपालिका की शक्तियों का प्रयोग) करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ और उनमें कोई डिस्क्रिमनेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों ही जुडिशियल पावर्स एक्सरसाइज करते हैं और दोनों ही जस्टिस एडमिनिस्टर करने के लिए रिसपौंसिबिल हैं। आज जब हम अपने डिस्ट्रिक्ट जजेज, मजिस्ट्रेट्स और मुंसिफों को जो कि जुडिशियल पावर्स एक्सरसाइज़ (न्यायपालिका की शक्तियों का प्रयोग) करते हैं, देखते हैं तो पाते हैं कि उन्हें कोई छुट्टी ही नहीं है। उनके पास कोई अधिकार इस तरह का नहीं है कि वह अपनी छुट्टियां एनलार्ज कर लें या कम कर लें। मैंने हाईकोर्ट्स में छुट्टियों के मुताल्लिक एक सवाल पूछा था तो बतलाया गया था कि ९३ दिनों से लेकर ११० दिन की छुट्टियां अलावा ऐतवार के होती हैं जब कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ५० से ५३ दिन तक ही यह छुट्टियां महदूद रहती हैं।

अब पहले जब कि अंग्रेज़ जजेज होते थे तो दो, ढाई महीने का वैकेशन होना समझ में आ सकता था क्योंकि उनको इंग्लैंड जाना होता था और वह वैकेशन होम लीव की तरह से मानी जाती थी। वह जब साल भर काम करने के बाद समर वैकेशन में इंग्लैंड जाते थे तो उनको रास्ते में ही एक डेढ़ महीना लग जाया करता था और वह मुश्किल से अपने घर पर एक महीना रह पाते थे और मैं समझता हूं कि आज बदले हुए हालात में एक महीने का जजेज के लिए वैकेशन रक्खा जाने से इंडियन जजेज़ और इंग्लिश जजेज़ के बीच कोई डिस्क्रिमिनेशन (विभेद) नहीं किया जाता क्योंकि विदेशी जजों को घर पहुंचने में आने जाने में ही एक महीने का समय लग जाया करता था और वह दो ढाई महीने की उनको वैकेशन देना समझ में आने वाली बात थी लेकिन आज जब कि कोई भी अंग्रेज़ जजेज़ शायद यहां नहीं हैं तब हाईकोर्ट के जजेज़ में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजेज़, मजिस्ट्रेट्स और मुंसिफों में छुट्टी के सम्बन्ध में इस तरह का भेदभाव रखना उचित नहीं जंचता क्योंकि वे सब लोग यहां भारतवर्ष के रहने वाले हैं और किसी को भारत से बाहर नहीं जाना है और ऐसी हालत में यहां पर यह कहना कि हाईकोर्ट के जजेज़ की छुट्टियां दो महीने की होनी चाहियें और उन की एक महीने की, कुछ मुनासिब नहीं जंचता। १५, २० मई से हाईकोर्ट जजेज़ की १२, १५ जूलाई तक की छुट्टियां होने से जनता को बड़ा नुकसान और परेशानी का सामना करना होता है। ऐडिशनल जजेज़ बुलाकर पेंडिंग केसेज़ को डिस्पोज करने की जरूरत पड़ती है। अब हाईकोर्ट जजेज़ २० या २४ जितने हों वे तो इस छुट्टी पर जा भी सकते हैं लेकिन उनके साथ जो एक बड़ा भारी स्टाफ लगा होता है, क्लर्क्स एम्पलाईज़ और चपड़ासी वगैरह होते हैं वे भी बेकार हो जाते हैं और उनके पास कोई काम ही नहीं रहता है और इस तरह से पब्लिक एक्सचेकर का काफी नुक्सान होता है और पैसा व्यर्थ जाता है। इसलिए जहां तक इस राय का सवाल है कि हमारे हाईकोर्ट्स में छुट्टियां कम होनी चाहियें मेरी अपनी जाति राय यह है और प्रेसीडेंट की भी यही होनी चाहिए कि मौजूदा छुट्टियों में कुछ कमी की जानी चाहिये और मैं समझता हूं कि स्वयं हाईकोर्ट्स के लोग भी पब्लिक ओपिनियन का आदर करेंगे और जजेज़ की भी राय यही होगी कि हमको इतनी अधिक छुट्टियां नहीं मनानी चाहियें। क़ानून एक ऐसी चीज है कि जब तक रोज़ रोज़ हम उसकी स्टडी न करते रहें और काम न करते रहें, तब तक हम उसके साथ पूरी तौर से इंसाफ

नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है कि क़ानून कुछ आगे बढ़ जायें और हाईकोर्ट के जजेज पीछे रह जायें। इसलिए उनको एक महीने से अधिक की छुट्टी नहीं होनी चाहिए—

जहां तक हमें मालूम है प्रेसीडेंट जो भी छुट्टी के मुताल्लिक आर्डर देंगे, उसके पहले वे सुप्रीम कोर्ट से और हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस से कंसलटेशन कर लेंगे। आखिर पबलिक ओपीनियन को हमें इस विषय में नज़रअंदाज नहीं करना होगा और प्रेसीडेंट जिनके कि हाथों में हम वह अधिकार देने जा रहे हैं वे गवर्नमेंट आफ इंडिया के एक सिम्बल हैं और आपको उनके ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए कि वह जो कुछ देशहित में होगा उनको दृष्टि में रख कर आर्डर करेंगे। मैं कहता हूं कि आखिर आपको प्रेसीडेंट को यह अधिकार देने में क्या आपत्ति है? जब आपको प्रेसीडेंट के ऊपर विश्वास नहीं मालूम होता तो फिर हाईकोर्ट के जजेज के ऊपर विश्वास होना तो दूर की बात है।

इसलिए मैं समझता हूं कि क्लाज ७ के जरिए जो यह २३ए (१) और (२) जोड़े जा रहे हैं उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कि काबिले ऐतराज हो।

अब जहां तक संविधान को नज़रअंदाज करने की बात कही गई है और जिसकी कि ओर पंडित ठाकुर दास भार्गव ने इशारा किया है, मुझे तो संविधान की २२५ और १४५ धाराओं के पढ़ने से यह नहीं मालूम होता कि उनका उल्लंघन किया जा रहा है। अनुच्छेद २२५ में कहीं भी वैकेशन का नाम भी नहीं आता है। जो रूल्स हैं फार रुग्यूलेशन ऐंड सिटिंग उनमें भी यह चीज नहीं आती है कि वैकेशन के लिए हम कोई तरीका प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। इसलिए वह पावर ओपिन है और होनी भी चाहिए। पार्लियामेंट को वैकेशन को रेग्यूलेट करने का अख्तियार होना चाहिए पार्लियामेंट को यह काम जरूर करना चाहिए। आजकल एरियर्स बहुत जमा हो गये हैं। यहां पर एक सवाल पूछा गया था उसके जवाब में बतलाया गया था कि ४०० अपीलें दस बरस से ज्यादा पुरानी हैं, कहीं ९० हैं कहीं १०० हैं। इस तरह से हैं। तो यह जो एरियर जमा हो रहे हैं इनसे लिटि-गेंट्स को कितनी तकलीफ़ होती है इसका भी ख्याल रखना चाहिए। फैसलों में इतनी देर होती है कि लोग मर जाते हैं और उनके वारिस पैदा हो जाते हैं। भुवाल सन्यासी की तरह जो हार गया वह जीत जाता है इस देरी की वजह से। तो इसके लिए प्रेसीडेंट साहब को ख्याल करना चाहिए क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाएड। आजकल बहुत एरियर एकट्ठा हो गये हैं इन को साफ करना चाहिए। आजकल हाईकोर्टस का बहुत ज्यादा वक्त तो रिट्स की वजह से खर्च हो जाता है। हमारी तो वह राय है कि यह काम डिस्ट्रिक्ट की अदालतों को दिया जाये तो अच्छा होगा। हमारी राय में जिन केसेज़ में सिर्फ जुरमाने का सवाल है और सभा नहीं है, या जो पंचायतों के मामूली मामले हैं उनका रिट जिलों की अदालतों में फैसला किया जाना चाहिए। चार चार हजार रिट हाईकोर्ट में जाते हैं और उनको टाप प्रायरिटी देनी होती है। तो मैं समझता हूं कि यह जो काम हाई कोर्टों में जमा हो गया है इसमें जजों का कोई कुसूर नहीं है यह तो सिस्टम और कानून की खराबी है जिसकी वजह से यह काम जमा हो गया है। आज इस स्थिति पर विचार करने का समय आया है। इसमें यह जो क्लाज रखा गया है यह बहुत इन्नोसेंट क्लाज है। मैं तो चाहता था कि कुछ अच्छे अलफाज रखे गये होते जिनके मानी यह होते कि हम आज ही वैकेशन के बारे में कुछ फैसला कर रहे हैं। अभी तो होम मिनिस्टर साहब ने केवल संकेत दिया है कि उनका इरादा है कि वैकेशन यूनीफार्म तरीके से रखी जायें। अगर वह चीज़ हमारे सामने आती तो उसका हम स्वागत करते।

मैं इस क्लाज ७ को सपोर्ट करता हूं और चाहता हूं कि सदन भी इसको सपोर्ट करे।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** अधिकांश वही तर्क रखे गये हैं जो कि प्रस्ताव को विचार के लिये प्रस्तुत करते समय रखे गये थे। मुझे दुख है कि मेरे द्वारा कही गई बातों से उन सदस्यों की भ्रांति दूर नहीं हुई, जिन्होंने इस खंड पर भाषण दिये हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान का जिक्र किया है। उन्होंने खंड २२५ का एक अंश पढ़ा है लेकिन उन्होंने पूरा खंड नहीं पढ़ा है। मैं उनका ध्यान उसके प्रारम्भिक भाग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें कहा गया है कि :

> "इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, तथा इस संविधान द्वारा विधान-मंडल को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर समुचित विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी वर्तमान उच्चन्यायालय का क्षेत्राधिकार तथा उसमें प्रशासित विधि, तथा उस न्यायालय में न्याय-प्रशासन के सम्बन्ध में उस के न्यायाधीशों की अपनी-अपनी शक्तियां, जिनके अन्तर्गत न्यायालय के नियम बनाने की किसी शक्ति का तथा उस न्यायालय की बैठकों और उस के सदस्यों के अकेले या खंड-न्यायालयों में बैठने के विनियमन करने की शक्ति भी हैं, वैसी ही रहेंगी, जैसी इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले थीं :"

अर्थात यह सब समुचित विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधि के उपबन्धों के अधीन होगा। संसद ऐसी विधि पारित करने में समर्थ है। मुझे यह जान कर आश्चर्य हुआ कि उनकी कोटि के वकील को इस खंड की वैधता के बारे में संदेह हो सकता है। उन्होंने अन्य बातों का भी जिक्र किया तथापि वे उनके द्वारा कही गई बातों की पुनरुक्ति मात्र हैं।

श्री फ्रैंक एन्थानी द्वारा कही गई कुछ बातों को सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ है। उन्होंने यह कहा कि यदि हम छुट्टियों की अवधि कम कर दें, या न्यायाधीश को यह ज्ञात होगा कि उसकी छुट्टियों में कमी की जायेगी तो वे ऐसी याचिकायें स्वीकार नहीं करेगा जिन्हें वह अन्यथा स्वीकार करता। वे मामलों का शीघ्र निपटारा करेंगे जिससे मामला ऊपर न जाने पाये तथा वे मामले तथा आवेदन-पत्रों के गुणावगुणों की परवाह नहीं करेंगे। मेरे विचार से हमारे न्यायाधीश इस धातु के नहीं बने हैं। यह बहुत शोचनीय बात है। इससे यह मत प्रगट होता है कि हमारे न्यायाधीश न्याय से अधिक अपने आराम व सुविधाओं की चिन्ता करते हैं। मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। यदि उनकी कर्त्तव्यपरायणता तथा सच्चरियता के सम्बन्ध में हमारा यह अनुमान हो तो उनकी प्रतिष्ठा तथा सम्मान के सम्बन्ध में हमारी सभी बातें मिथ्य हो जाती हैं।

उन्होंने यह भी कहा है कि छुट्टियां कम करने से बकाया मामलों की समस्या समाप्त नहीं हो जायेगी। मैंने भी यह दावा कभी नहीं किया है। लेकिन यदि देश के सारे न्यायाधीश एक दिन अधिक काम करेंगे तो वे इतना काम कर सकते हैं जितना एक उच्च-न्यायालय का न्यायाधीश लगभग एक पूरे वर्ष में करता है। इसलिये एक दिन अधिक कार्य

---

†मूल अंग्रेजी में

करने से एक तो कर दाताओं के व्यय की बचत होगी दूसरे निपटारे वाले मामलों की संख्या कम होगी। जितना ही मामलों का अधिक निपटारा होगा उतना ही बकाया रहे मामलों में कमी होगी। मेरे विचार से श्री फ्रैंक एन्थानी इस बात से सहमत होंगे कि एक दिन अधिक कार्य होने से ज्यादा काम होगा और उसी अनुपात में बकाया रहे मामलों में कमी होगी।

हम केवल इसी बात पर निर्भर नहीं हैं। हम चाहे कितने ही परिवर्तनों का सुझाव दें तथापि हम सेवा की आवश्यकतायें और काम के प्रकार को अपने ध्यान में रखते हैं तथा हम यथाशक्ति उन्हें असंतुष्ट होने का अवसर नहीं देंगे। हमने सदैव न्यायपालिका की स्वतंत्रता की कद्र करते हुए उसके साथ बहुत अच्छे और सुचारू सम्बन्ध रखने का प्रयत्न किया है। इसके बाद भी हम अपना यह प्रयत्न जारी रखेंगे।

श्री नारायणन् कुट्टि मेनन ने भूतपूर्व भाग ख राज्यों के न्यायाधीशों की ज्येष्ठता का जिक्र किया है। राज्य पुनर्गठन के समय इस प्रश्न का निपटारा कर दिया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश का यह मत था --और हम भी उसके मत से सहमत थे--कि यदि किसी राज्य के विलीनीकरण के पश्चात् भाग क राज्य में नियुक्त किया जाय तो मुख्य न्यायाधीश होने पर उसे उस उच्च-न्यायालय के सभी अवर न्यायाधीशों से ज्येष्ठता मिलेगी। यदि वह भाग ख राज्य का अवर न्यायाधीश था तो उसको भाग क राज्य के न्यायाधीशों के पश्चात् रखा जायेगा। भाग ख राज्यों के न्यायाधीशों को नियमनानुसार अल्प वेतन मिलता था। उनकी सेवा शर्तें भी भाग क के न्यायाधीशों की तुलना में अच्छी नहीं थी। अन्यथा इस विधेयक को प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं होती।

इसलिये मुख्य न्यायाधीशों को, भाग 'ख' राज्यों में न्यायाधीश के पद पर उनकी नियुक्ति की तारीख से भाग 'क' राज्यों में उनकी नियुक्ति के बाद उन्हें पूर्ववर्तिता दी गई और भाग 'ख' राज्यों के अवर न्यायाधीशों को भाग 'क' राज्यों के अवर न्यायाधीशों के पश्चात् रखा गया। कारण यह था कि भाग 'क' राज्यों में काम करने वाले न्यायाधीशों का वेतन अधिक था। उनकी पेंशन अधिक थी और उनकी सेवा शर्तें भी भिन्न थीं।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि इससे सामान्य पद्धति पर आघात होगा मैं सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि हमें कई सामान्य बातों का निपटारा करना होता है तथापि वे न्यायाधीशों की सुविधाओं पर बहुत प्रभाव डालती हैं। कार्यपालिका को उनकी चिकित्सा सेवाओं, यात्रा भत्ता, ठहरने का भत्ता, छुट्टी तथा छुट्टी की मंजूरी इत्यादि बातें तय करनी होती हैं। तथापि किसी ने आज तक यह नहीं कहा कि कार्यपालिका के द्वारा ये शक्तियां रखे जाने से न्यायाधीशों की स्वतंत्रता या काम में कोई आघात होता है। प्रत्येक मामले को संसद् की जांच और नियंत्रण के अधीन रखा गया है। देश के किसी व्यक्ति या संस्था के लिये इससे बड़ा और प्रभावशाली कौन सा परिमाण रखा जा सकता है--यह संसद् पर आक्षेप करना है। पंडित ठाकुर दास भार्गव बहुत सचेत व्यक्ति हैं कोई भी बात उनकी निगाह से नहीं बच सकती है। व प्रत्येक आदेश की जांच कर सकते हैं। यदि वे कोई गलती महसूस करते हैं तो वे हमें सही मार्ग बता सकते हैं। हम अपनी दुर्बलताएं अनुभव करते हैं तथापि उन पर तथा फ्रैंक एन्थनी प्रभृति सदस्यों पर निर्भर रह कर हम यह आशा करते हैं कि इस खंड से किसी को हानि नहीं होने पायेगी।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ७ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ७ विधेयक में जोड़ दिया गया। खंड ८, ९, १० और १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

चाय (सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क में परिवर्तन) विधेयक

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि चाय पर सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क में परिवर्तन करने के प्रयोजन से भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ में अग्रेत्तर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मैं इस विषय पर विस्तृत भाषण नहीं देना चाहता हूं क्योंकि विधेयक के पुरस्थापन के समय मेरे माननीय सहयोगी ने इस संशोधन का औचित्य बताते हुये लम्बा वक्तव्य दिया था। वह २८ सितम्बर से लागू हो गया है। हमने दो महीनों के अन्दर इसका अनुसमर्थन करना है। इसे इस महीने की २८ तारीख से पूर्व इस सभा, और राज्य सभा से पारित होने के पश्चात् राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करनी है।

सरकार आम चाय पर रियायत देना चाहती है। सरकार के पास बहुत समय पूर्व से इस उद्योग के अभ्यावेदन आये हुये हैं और सरकार बहुत समय से इस पर ध्यान दे रही है।

इस संशोधन विधेयक के द्वारा सरकार आम चाय पर कुछ रियायतें देगी, जिससे वह अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता करने में समर्थ हो। कई अन्य देश भी ब्रिटेन को चाय दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि यह चाय वहां आने वाली अन्य देशों की चाय का सरलता से मुकाबला कर सके।

इस समय सभी प्रकार की चाय पर एकरूप सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क लिया जाता है। लेकिन इस विधेयक से आम चाय, निचले दर्जे की चाय और बढ़िया चाय में अन्तर किया जायेगा। और आम चाय पर १० नये पैसे प्रति पौंड रियायत मिलेगी। सभी प्रकार की चाय पर निर्यात के समय ३८ नये पैसे शुल्क लगता है। अब निर्यात के समय सभी प्रकार की चाय में २६ नये पैसे प्रति पौंड शुल्क लगेगा और खंड १ की हरी चाय पर बागानों पर २ नये पैसे उत्पादन शुल्क लगेगा। ऐसी चाय पर कुल २८ नये पैसे कर लगेगा जब कि आज तक ३८ पैसे कर लगता था। आम चाय पर १० नये पैसे प्रति पौंड की रियायत होगी।

---

†मूल अंग्रजी में

चाय का कुल उत्पादन जो ७० करोड़ पौंड है उसमें ग्राम चाय २५ करोड़ पौंड होती है। हम विदेशों को ४६ करोड़ पौंड निर्यात करते हैं। ग्राम चाय को अन्य देशों की ग्राम चाय से मुकाबला करने में समर्थ होना चाहिये। हमें विश्वास है १० नये पैसे प्रति पौंड की रियायत से इस उद्योग को पर्याप्त लाभ होगा। इस रियायत से सरकार को १.५८ करोड़ की हानि होगी। इस संबंध में उद्योग से भी परामर्श लिया गया था और वे इस संशोधन में निहित सिद्धांत से सहमत थे। मैं आशा करता हूं कि सभा इस विधेयक पर जो २८ सितम्बर से लागू हो चुका है अपनी सहमती प्रदान करेगी जिससे हमारा चाय उद्योग विदेशों में अधिक चाय निर्यात करने में समर्थ होगा।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाय।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। श्री त्रिदिब चौधरी ने एक संशोधन दिया है कि विधेयक को ३१ दिसम्बर तक राय जानने के लिये परिचालित किया जाये। मेरे विचार में यह बिलम्बकारी प्रस्ताव है और इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, परन्तु फिर भी वह इस पर बोल सकते हैं।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** (बरहामपुर) : मुझे यह प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुये कोई विशेष प्रसन्नता नहीं हो रही क्योंकि जिस सहायता की काफी दिनों से आवश्यकता अनुभव हो रही थी वह उपलब्ध हो गयी है, फिर भी कई एक ऐसी बातें हैं जिनकी ओर सरकार समुचित ध्यान नहीं दे रही, इसीलिये इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की मुझे आवश्यकता प्रतीत हुई।

मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, सामान्य चाय की समस्याओं की ही चर्चा करूंगा। यह समस्या केवल उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित है, जहां कि चाय का उत्पादन होता है। आसाम, बंगाल और केरल के चाय पैदा करने वाले क्षेत्र विशेष रूप में इसके अन्तर्गत आते हैं, और इस दिशा में सब से बड़ी समस्या जो निर्यात की दृष्टि से सामने आती है वह यह है कि अधिक से अधिक देशों में चाय का उत्पादन होने लगा है, और हालात के अनुसार विदेशी चाय की मंडी में हमें काफी मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय चाय पर उत्पादन शुल्क लग जाने के कारण कई एक देशों ने अपने सामान्य चाय के उत्पादन में काफी तेजी से वृद्धि की है। १९६० तक अन्य देश भी चाय के उत्पादन में काफी आगे निकल जायेंगे और संसार भर से चाय की मंडी हमारे हाथ से निकल जायेगी जो कि एक बड़ी गम्भीर समस्या है।

मुख्यतः हमारी चाय का निर्यात ब्रिटेन में होता है परन्तु वहां भी गत तीन वर्षों में अर्थात् १९५५ से १९५७ तक यह ६५.९ प्रतिशत से कम होकर ५८.१ प्रतिशत रह गया है और अन्य देशों का इस दिशा में अंश ४ से बढ़ कर १५ प्रतिशत तक पहुंच गया है। अतः यह मांग की गयी थी कि उत्पादन शुल्क में कमी की जाये। इसके लिये चाय उत्पादन क्षेत्रों को तीन भागों में विभाजित करके क्षेत्र १, २ और ३ में क्रमशः उत्पादन शुल्क १०, ८ और २ नया पैसा प्रति पौंड कम कर दिया गया है। परन्तु मांग यह थी कि यह कमी २५ नये पैसों तक होनी चाहिये। मंत्री महोदय ने कहा है कि इस मामले में उद्योग वालों से परामर्श कर लिया था, परन्तु यह बात कुछ जचती नहीं। उन लोगों ने तो यह भी कहा था कि यदि सम्भव हो तो उत्पादन शुल्क को कतई समाप्त कर दिया जाय। यह ठीक है कि सरकार इस मांग को पूर्णतः स्वीकार कर १७, १८ करोड़ की राशि का बलिदान नहीं कर सकती, परन्तु छूट भी १.५ करोड़ से कुछ ही अधिक है। इससे मंडियों में चाय की स्थिति को मजबूत करना असम्भव है। अतः मैं इस पर जोर दूंगा कि सारी समस्या का पुनः परीक्षण किया जाय, चाय उत्पादकों का परामर्श लिया जाय और कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान

†मूल अंग्रेजी में

[श्री त्रिदिब कुमार चौधरी]

रखा जाय, और सोच विचार कर कोई मार्ग निकाला जाय। यह समस्या केवल चाय की संसार भर की खोई मंडियों को प्राप्त करने की ही नहीं है प्रत्युत हजारों कर्मचारियों के रोजगार का भी प्रश्न है। हमारी समस्या सचमुच बड़ी विचित्र है।

कुछ वर्ष पूर्व कोई बेकारी का प्रश्न नहीं था, परन्तु अब चाय कर्मचारियों में बेकारी का जोर उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। भारतीय बागान जांच समिति ने इस समस्या के कुछ पहलुओं का परीक्षण किया था। आज स्थिति ऐसी है कि चाय उद्योग के हित में सरकार को चाय उद्योग-पतियों तथा कर्मचारियों से परामर्श करना चाहिये। सब को एक साथ बैठ कर कोई हल निकालना चाहिये अन्यथा हालात अच्छे नहीं हैं।

मालिकों का कहना है कि अन्य देशों के मुकाबले में हमारे यहां लागत अधिक होती है और वेतन भी अधिक देने पड़ते हैं, और इसी कारण मुकाबले में हम पीछे रह जाते हैं। मैं इस युक्ति से सहमत नहीं हूं, फिर भी मेरा यह मत है कि सभी पक्षों को मिल कर इस उद्योग के बचाव का कोई मार्ग निकालना चाहिये। मेरे विचार में उत्पादन शुल्क और निर्यात शुल्क में छूट की गुंजाइश निकल सकती है। हम अधिक लाभ को प्रबन्ध की दिशा में लगाने की व्यवस्था कर सकते हैं। वैसे भी सामान्यत: ७० से ७५ प्रतिशत तक यह उद्योग, विदेशियों के हाथ में है और मैं जानता हूं कई एक छोटी अवस्था के युवकों को ही ब्रिटेन से मंगवा कर उन्हें १०, १५ हजार प्रति मास तक वेतन दिया जाता रहा है।

मैं इस बात पर जोर ूंगा कि सरकार, मालिक और कर्मचारियों को बड़े बलिदान की भावना से इस मामले पर विचार कर कोई हल निकालना चाहिये ताकि संसार की मंडी में भारतीय चाय की गिर रही स्थिति को मजबूत किया जा सके।

†श्री पुन्नूस (अम्बल पुजा) : इस संशोधन विधेयक के संबंध में मैं एक दो बातें कहना चाहता हूं। यद्यपि मैं इस मत का हूं कि जो भी छूट उपलब्ध हुई है उसका गम्भीरतापूर्वक परीक्षण किया जाना चाहिये, परन्तु फिर भी मैं इसे एक अपूर्ण विधान ही समझता हूं। चाय उद्योग की जो स्थिति है उस के अनुसार बड़े महत्वपूर्ण पग उठाने की आवश्यकता है और इस दिशा में कुछ आधारभूत विधानों की आवश्यकता होगी। बागान जांच समिति ने कुछ सिफारिशें की थीं परन्तु पता नहीं उनका क्या हुआ। आज की स्थिति में वर्तमान छूट से स्थिति में कोई प्रभावशाली परिवर्तन की आशा नहीं। हमें प्रत्येक बात के लिये चाय उत्पादकों के ही आश्रय पर नहीं रहना चाहिये। मैं यह नहीं मानता कि उद्योग को कोई संकट का सामना करना पड़ रहा है। मेरे मित्र इन लोगों के निरन्तर प्रचार से प्रभावित हो गये हैं।

मुख्य प्रश्न यह है कि भारतीय चाय उद्योग में अधिकतर विदेशी पूंजी का प्रभुत्व रहा है। जिन लोगों के समवाय आसाम और केरल में चाय का कार्य कर रहे हैं उन्हीं लोगों ने पूर्वी अफ्रीका तथा कई एक अन्य स्थानों में भी चाय का काम चालू कर दिया है। यही वे लोग हैं जो 'मुकाबला', 'मुकाबला' चिल्लाकर छूट की मांग कर रहे हैं। छूट देने के मैं विराध में नहीं हूं, परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर बागान जांच समिति की सिफारिशों का क्या हुआ।

उत्पादकों को छूट दीजिये परन्तु इस बात का भी ध्यान रखिए कि सामान्य जनता को इसका कुछ लाभ होता है अथवा नहीं। क्या जनता को सस्ते दामों पर चाय उपलब्ध होती है? क्या

†मूल अंग्रेजी में

ये लोग कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखते हैं। इन सब बातों का तो ध्यान रखना ही होगा। उत्पादक तो काफी भारी मुनाफे कमाये जाये और कर्मचारियों को कुछ भी न मिले। हमारी अर्थ-व्यवस्था में चाय उद्योग का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है और इसके लिये कुछ करना चाहिये। अतः सरकार को छूट देने से पूर्व कर्मचारियों की अवस्था की भी कुछ सुध ले लेनी चाहिये। कर्मचारी को तो अपने अल्प वेतन पर ही सन्तुष्ट होना पड़ता है। उन्हें तो लाभांश भी देने से इन्कार कर दिया गया है, हालांकि कई एक समवायों ने गत दस वर्षों में ३०० से ४०० प्रतिशत तक मुनाफा कमाया है। भारत सरकार को इस दिशा में समुचित पग उठाना चाहिये। केवल भावुकता में ही इस मामले को नहीं छोड़ देना चाहिये। कर्मचारियों का भी ध्यान रखा जाना चाहिये। उनकी उपेक्षा करना देश के हित के विपरीत है। इसके साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि इस मामले में किसी एक को एकाधिकार न देकर स्वयं राज्य व्यापार निगम को भारतीय चाय के व्यवसाय के लिये समुचित विदेशी मंडियों की तलाश करनी चाहिये ? यह अपूर्ण विधान ठीक नहीं, हमें गम्भीरता से इस प्रश्न पर विचार कर इस उद्योग के पुनर्गठन की व्यवस्था करनी चाहिये।

लागत का जो प्रश्न है, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि कर्मचारियों की संख्या कम कर दी गयी है और वेतनों में कोई वृद्धि नहीं की गयी। केरल के एक समवाय ने ३, ४, और ५ हजार रुपया मासिक वेतन लेने वाले कर्मचारियों को एक वर्ष में १३ मास का वेतन लाभांश के रूप में दिया है। और फिर कहा जाता है कि हमें छूट दी जाये, हम घाटे में जा रहे हैं। हमें इससे बिलकुल प्रभावित नहीं होना चाहिये। कठिनाइयां तो हैं परन्तु मेरा मत यह है कि यदि भारत सरकार ठीक व्यवस्था करे तो चाय उद्योग अपने पांव पर खड़ा हो सकता है। उसे इन उत्पादकों को कह देना चाहिये कि आपने काफी लाभ उठाया है अब आपको हमारे हालात के अनुसार चलना चाहिये। मेरा विश्वास है कि यह जो संकट की बात की जा रही है उसका हमारा देश अच्छी तरह सामना कर सकता है और यह चाय उद्योग हमारे लोगों के लिये समृद्धि का साधन बन सकता है।

†**श्री हेडा** (निज़ामाबाद) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। हमारा देश चाय उद्योग में सब से पुराना है और यह बात भी ठीक ही है कि इस उद्योग की समृद्धि और प्रगति का आधार विदेशी पूंजी हो रही है। आज भी स्थिति वैसी ही है जो कि वर्तमान अवस्था में ठीक नहीं कही जा सकती। अब भी इस पर विदेशी नियन्त्रण पूरी तरह हटा नहीं। यही बात है, जहां कि सरकार को कठिनाई है, परन्तु मझे पता है कि हालात में सुधार हो रहा है। हमें ठीक ढंग से चाय के निर्यात की व्यवस्था कर विदेशी विनिमय प्राप्त करना चाहिये। यद्यपि सामान्य चाय की कोई परिभाषा नहीं की गयी फिर भी मेरे विचार में इससे मतलब उसी चाय का है जो लग-भग २ रुपये, ७५ पैसे में उपलब्ध होती है। यह कभी किसी क्षेत्र से उपलब्ध होती है और कभी किसी से। इसके लिये छट देना आवश्यक है परन्तु हमें इसकी लागत इत्यादि के सम्बन्ध में कुछ पता नहीं। मालिक लोग जो जानकारी प्रस्तुत करते हैं उन्हें मैं अधिकृत नहीं मानता। इसके लिये सरकार को ही अपने सूत्रों का प्रयोग करना चाहिये और फिर उसका अन्य देशों से मुकाबला करना चाहिये। यह भी देखना चाहिये कि विदेशों में और विशेषत: अफ्रीकी देशों के मुकाबले में हमें किस प्रकार का संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि यह बात बड़े महत्व की है कि भारतीय चाय का निर्यात कम होता जा रहा है। इस समस्या के सभी जटिल अंगों पर पूरे अध्ययन के साथ विचार किया जाना चाहिये। इसके साथ ही इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिये कि ये समवाय अपने बीजकों से कम वसूली करने की काला बाजारी आरम्भ न कर

---

†मूल अंग्रेजी में

दे। इससे हमें काफी हानि होने की सम्भावना होगी और विदेशी विनिमय की प्राप्ति के लिये भी रुकावट खड़ी हो जायेगी। अतः हमें काफी सतर्क रहने की आवश्यकता है।

अन्त में, मेरा कहना यह है कि कुछ विदेशी समवाय, जो भारत में चाय उद्योग पर आधिपत्य रखते हैं, विदेशों में भी इस कार्य को करने लगे हैं। विशेषकर पूर्वी अफ्रीकी देशों में उन्होंने चाय बागान की व्यवस्था की है। १०, १५ वर्षों तक वहां सफल हो कर वे अपनी सारी पूंजी वहीं ले जायेंगे। यह अच्छा है सरकार ने बीजों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। हमें पूर्ण रूप से सतर्क रहन की आवश्यकता है ताकि हमारे ऊपर यह आरोप न लगाया जाय कि अन्य देशों में हम स्वयं ही अपने प्रतियोगी पैदा कर रहे हैं।

†**श्री बर्मन** (कूच-बिहार-सुरक्षित अनसूचित जातियां) : इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य शुल्क इत्यादि में परिवर्तन करना है। इस सम्बन्ध में जब तक सरकार सारे कारणों को स्पष्ट नहीं करती, तब तक पूरी समस्या समझ में नहीं आ सकती। सरकार ने जो छूट दी है उस पर उसकी आलोचना की गयी है, और जिनका इससे सम्बन्ध है, वे भी इससे सन्तुष्ट नहीं हैं। सरकार को निर्यात शुल्क से लगभग १८ करोड़ रुपया उपलब्ध होता है और उसमें से १ १/२ करोड़ रुपये की छूट दी जा रही है। परन्तु इससे उद्योग की कठिनाईयां हल नहीं हो सकती। अतः मेरा निवेदन है कि सारी स्थिति को सविस्तार हमारे समक्ष रखा जाय ताकि हम किसी परिणाम पर पहुंच सकें।

यह ठीक है कि इस प्रकार की छूट दे कर सरकार को कुछ राजस्व की हानि होगी। परन्तु मेरा निवेदन है कि यदि उद्योग की मांगें उचित हों तो, वर्तमान अवस्था में जब कि हमारे समक्ष विदेशी विनिमय का संकट है, हमें इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। हमें इस बात को खोज निकालना चाहिये कि हमारे लिये लाभदायक रास्ता कौन सा है। यह बात तो सरकार ने भी मानी है कि हमारे हाथ से चाय मंडी निकल रही है, और उसी का हल निकालने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत हो रहा है और हमें यह सोचना है कि हमारे हित में कौन सी बात है।

दूसरे विश्व युद्ध के समय सामान्य चाय का उत्पादन काफी हुआ था और इसकी मांग भी बहुत थी। परन्तु इन्डोनेशिया के इस क्षेत्र में आ जाने पर स्थिति डावांडोल हो गयी और मुकाबला अधिक हो गया। कर्मचारियों को इतने पैसे दिये नहीं जाते कि वे ठीक ढंग से अच्छी प्रकार से पत्तों को तोड़ कर अच्छी चाय बनायें। इस के साथ लंका में भी सारे साल चाय की फसल होती है। परन्तु कई स्थानों पर चाय की फसल कुछ मास ही होती है और वेतन वर्ष भर ही देना होता है। इसके अतिरिक्त उत्पादन शुल्क भी है। इस लिये अब समय है सरकार सारी बातों की ओर ध्यान दे ताकि चाय के निर्यात को प्रोत्साहन मिले और हम विदेशी विनिमय प्राप्त कर सकें।

†**श्री विमल घोष** (बैरकपुर) : भारतीय चाय उद्योग की वर्तमान कठिनाई के दो कारण हैं। प्रथम बात मांग और सम्भरण की है। इस दिशा में १९३३ में भी एक अन्तर्राष्ट्रीय करार हुआ था। अब भी इसके लिये एक प्रतिनिधि मंडल लंका गया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस सम्बन्ध म अपनी कोई राय बनाई है? एक यह भी

---

†मूल अंग्रेजी में

ढंग है कि खपत बढ़ाई जाय और इसके लिये देश और विदेश की मंडियों में प्रयत्न किये जा सकते हैं और हम इसके लिये प्रचार तो कर ही रहे हैं ।

हमारे देश की आन्तरिक खपत लगभग २५०० लाख पौंड की है, परन्तु उसका मूल्य बढ़ा हुआ है । इसका कारण कुछ अन्य बातों का प्रभाव भी है । चाय मालिकों ने कहा है कि यदि आसाम रोड कर अथवा पश्चिमी बंगाल प्रवेश कर हटा लिये जायें तो चाय सस्ती मिल सकती है । क्या सरकार ने इस दिशा में कुछ विचार किया है । दूसरी बात यह है कि यह जो छूट उद्योग को दी जा रही है इससे जहाजों में माल भेजने वालों को ही लाभ होगा ।

(श्री बर्मन पीठासीन हुये)

उद्योग को इससे कुछ लाभ नहीं होगा । मैं यह भी सरकार से जानना चाहता हूं कि इस छूट से कुछ लाभ हुआ दिखाई पड़ा है या नहीं । क्या इससे हमारे निर्यात को कुछ लाभ हुआ ? यदि हुआ है तो किस सीमा तक ? जो कुछ हमें मालिकों के प्रकाशित साहित्य से पता चलता है वह तो यह है कि इस दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हो रही । ऐसी स्थिति में तो इस छूट का कोई विशेष लाभ नहीं होगा और सरकार को भी राजस्व की हानि उठानी पड़ेगी । अच्छा रास्ता यही है कि इस बात का पूरा पता किया जाय कि इस उद्योग की अवस्था कैसे सुधर सकती है । लागत व्यय का प्रश्न, प्रबन्ध व्यवस्था और कर्मचारियों की स्थिति अथवा अन्य सभी प्रकार की सुविधाओं की बातों पर सविस्तार विचार किया जाना चाहिये । यह विधेयक इसके लिये सन्तोष जनक सिद्ध नहीं होगा । न ही इससे चाय उद्योग को कुछ लाभ पहुंचेगा । छूट के बावजूद निर्यात को भी कुछ प्रोत्साहन प्राप्त नहीं हो सकेगा । मुझे प्रसन्नता होगी यदि मंत्री महोदय मुझे यह बता सकें कि किस सीमा तक इससे उद्योग तथा निर्यात को लाभ पहुंचा है ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश): सभापति महोदय मुझे इस विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों के विवरण को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि इतना छोटा विवरण अभी तक हमारे सामने नहीं आया है । मैं आपके इस कथन से पूर्णतया सहमत हूं कि सरकार का यह कर्त्तव्य है कि हमें बताये कि इस विधेयक से चाय उद्योग को क्या सहायता मिलेगी । परन्तु माननीय मंत्री महोदय ने अभी तक इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला ।

विधेयक के उद्देश्य में यही दिया है कि सरकार का विचार साधारण चाय को कुछ सहायता देने का है जिससे विदेशी बाजार में अन्य देशों के साथ प्रतिद्वन्दिता की जा सके । परन्तु यदि माननीय मंत्री विभिन्न नगरों के स्टाक एक्सचेंजो को देखें तो, उन्हें ज्ञात होगा कि इस सहायता से चाय उद्योग को कोई लाभ नहीं हुआ है । क्योंकि जो सहायता दी गई है वह बहुत थोड़ी है ।

मैं सभा के सामने एक तथ्य प्रस्तुत करता हूं गत सत्र में हमने चीनी निर्यात को बढ़ाने के लिये एक विधेयक पारित किया था जिसमें एक मन पर १३ रुपये की सहायता की व्यवस्था रखी गई थी । चाय उद्योग को दी गई सहायता इसकी तुलना में बहुत कम है ।

मैं चाहता हूं कि सरकार मेरी निम्न तीन बातों का उत्तर स्पष्ट रूप में दे । एक तो यह कि १० नये पैसे प्रति पाउन्ड की सहायता किस आधार पर दी गई है । दूसरे क्या उन्होंने चाय उद्योग का परामर्श लिया है और क्या वह इतनी सहायता से सन्तुष्ट ह । तथा तीसरे क्या इस सहायता से विश्व

†मूल अंग्रेजी में

बाजार में हम अपनी स्थिति बनाये रखने में सफल होंगे। मैं सभा को चेतावनी दे देना चाहता हूं कि, चाय एक ऐसा उद्योग है जिसको अधिक सहायता देकर हम विश्व में अपना सिक्का जमाये रख सकते हैं। यदि एक बार चाय का बाजार हमारे हाथ से निकला तो अधिक सहायता देकर भी उसको दुबारा हथियाना कठिन हो जायेगा।

सरकार को आशा है कि १० नयै पैसे प्रति पौंड की सहायता के द्वारा उसको लगभग १।। करोड़ रुपये की हानि होगी। मैं बताना चाहता हूं कि २५ नयै पैसे की सहायता से सरकार को ३ करोड़ रुपये से अधिक की हानि नहीं होगी और इसके अतिरिक्त विदेशी विनिमय के द्वारा जो हानि होगी वह भी पूरी करली जायेगी। इस समय हमारे सामने महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि विश्व में चाय उद्योग में हमारा जो एकाधिपत्य है उसको बनाये रखा जाये। मेरी माननीय मंत्री से अपील है कि इस पर ध्यान रखें और यदि आवश्यक समझें तो चाय उद्योग को और सहायता देने की व्यवस्था करें।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसार) : इस वर्ष आय-व्ययक पर चर्चा के समय कितने ही सदस्यों ने कहा था कि चाय उद्योग को कुछ सहायता दी जानी चाहिये जिस पर सरकार ने आश्वासन दिया था कि कुछ सहायता दी जायेगी। अब लगभग १/२ महीने पहले सरकार ने १० नये पैसे की सहायता दी है। परन्तु इस १/२ महीने पर दृष्टि डालने पर पता लगता है कि जो सहायता दी गई है वह पर्याप्त नहीं है। मुझे खेद है कि माननीय मंत्री महोदय ने हमें १/२ महीमे के परिणामों को नहीं बताया है ?

२७ सितम्बर को श्री भगत ने बताया था कि चाय क्षेत्रों को तीन खंडों में बांटा जा रहा है। इसका जिक्र डा० गोपाल रेड्डी ने भी अपने भाषण में किया है। परन्तु हमें अभी तक नहीं बताया गया है कि यह खंड कौन कौन से होंगे तथा इन तीनों विभिन्न खंडों में क्या क्या मूल्य रहेंगे। इस संबंध में संसद् सदस्यों को बताया जाना चाहिये।

पांच छः वर्ष पहले चाय उद्योग की बुरी दशा होने पर सरकार ने कुछ सहायता दी थी। आज फिर उसकी दशा खराब सुनते हैं। सरकार को इस संबंध में पूरी जांच करानी चाहिये कि समय समय पर चाय उद्योग में कठिनाई क्यों आती है। चीनी विधेयक के समय भी यह मांग की गई थी कि मामला प्रशुल्क आयोग को भेजा जाना चाहिये तथा माननीय मंत्री महोदय ने इस बात को स्वीकार किया था। जिन सदस्यों ने वाद-विवद में भाग लिया है उन सभी ने यह कहा है कि बहुत थोड़ी सहायता दी गई है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री अपने भाषण में बतायेंगे कि इस सहायता के द्वारा चाय उद्योग को किस प्रकार लाभ होने वाला है।

२७ सितम्बर को बताया गया था कि हानि लगभग १ करोड़ रुपये की होगी परन्तु आज बताया गया कि यह लगभग १.५८ करोड़ रुपये की होगी। मैं समझता हूं कि इस थोड़ी सी राशि से चाय उद्योग को कोई लाभ नहीं होने वाला है। इस सम्बन्ध में सरकार ने बताया है कि अधिसूचना द्वारा और सहायता की व्यवस्था की जा सकती है। मेरे विचार से सरकार को इस सम्बन्ध में पहले से ही अधिक सहायता की व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री बिमल घोष ने अन्तर्राष्ट्रीय चाय समझौते के सम्बन्ध में कहा। हाल में ही चाय के भारतीय उत्पादकों का एक शिष्ट मंडल लंका गया था तथा लंका और भारत के उत्पादकों ने

†मूल अंग्रेजी में

समझौता किया था कि एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौता होना चाहिये। परन्तु ये दो देश ही अब चाय का उत्पादन नहीं करते हैं। अब इंडोनेशिया तथा पाकिस्तान में भी चाय का उत्पादन होता है। और इसीलिये अब ऐसा समझौता नहीं हो सकता है। अब तो सरकार को चाय के बढ़ते हुये मूल्यों पर रोक लगानी चाहिये जिससे विश्व को कम मूल्यों पर चाय देकर अन्य देशों से प्रतिद्वन्दिता की जा सके।

मेरे कुछ मित्रों ने बताया कि चाय उद्योग पर विदेशियों का नियंत्रण है। कुछ हद तक यह बात सही भी है क्योंकि अधिकांशतः उत्पादक अंग्रेज है और जो कुल ६६ प्रतिशत निर्यात होता है उसमें से ५० प्रतिशत ब्रिटेन को ही जाता है। इसलिये यह बड़ा नाजुक मामला है। हमारे सामने विदेशी प्रबन्ध का प्रश्न नहीं है अपितु विदेशी मुद्रा लेने का प्रश्न है और यदि ब्रिटिश बाजार बन्द हो जायेगा तो ऐसा बाजार हमें दुबारा नहीं मिलेगा।

कुछ वर्ष पूर्व एक नीति सम्बन्धी निर्णय किया गया था कि चाय की नीलामी लन्दन के बजाये कलकत्ते में की जाये। इस समय कलकत्ते में थोड़ा सा नीलाम किया जाता है तथा अधिकांशतः नीलाम लन्दन में होता है। मैं यही बताना चाहता हूं कि नीलाम कलकत्ते में कराने के सम्बन्ध में शीघ्रता से कार्यवाही की जानी चाहिये।

आज फुटकर बिक्री पर से फर्मों ने एकाधिपत्य जमा रखा है। सरकार को प्रयत्न करना चाहिये कि उनका यह एकाधिपत्य समाप्त हो जाये। कुछ वर्ष पूर्व सरकार ने बागान जांच आयोग की नियुक्ति की थी। जिसने एक लम्बा प्रतिवेदन दिया परन्तु सरकार ने उनकी सभी सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया है। सरकार को आयोग की सिफारिशों पर पुनः विचार करना चाहिये क्योंकि जो सहायता दी जा रही है वह आयोग की सिफारिश में बताई गई सहायता से कम है।

मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री हमें बतायेंगे कि इन १/२ महीनों में सहायता से निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा है।

†**श्री न० टं० घोष** (कूच बिहार) : भारत में सबसे पहले १८६६ में चाय उद्योग का प्रारम्भ हुआ था। इस आयोग पर बहुत दिनों तक अंग्रेजों का एकाधिपत्य रहा। ऊपरी आसाम, जिसको ब्रह्मपुत्र की घाटी भी कहा जाता है, में सबसे बढ़िया किस्म की चाय उगती है तथा जिसको साधारण चाय कहा जाता है वह तराई, कचार, त्रिपुरा तथा केरल में उगाई जाती है। साधारण चाय अधिक मूल्य पर नहीं बिकती है।

१८६६ से १९३३ तक चाय उद्योग को पांच बार कठिनाई का सामना करना पड़ा जिसके पश्चात् चाय उत्पादकों ने इस पर विचार किया कि इस उद्योग को स्थायी किस प्रकार बनाया जाये। भारतीय चाय उत्पादक संस्था जलपाईगुरी ने सबसे पहले यह विचार प्रस्तुत किया कि चाय के निर्यात पर नियंत्रण किया जाये तथा नये बाग लगाने पर रोक लगाई जाये। जिसके परिणामस्वरूप १९३३ में अन्तर्राष्ट्रीय समझौता हुआ जो ३१ मार्च १९५५ को समाप्त हो गया। सरकार ने इस समझौते की समाप्ति पर निर्यात शुल्क लगाया जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका में चाय की खेती १९३९ में ४१,२८२ एकड़ भूमि से बढ़कर १९५७ में ८५,००० एकड़ भूमि हो गई। मोजामबिक में १९३७ में २००० एकड़ भूमि में चाय होती थी जो १९५६ में ३०,२५० एकड़ हो गई। बेल्जियन कांगो में अब ११,००० एकड़ भूमि में चाय होती है। ईरान में चाय उगाने की भूमि बढ़ा दी गई है ? रूस में १,८३,००० एकड़ भूमि में चाय होती है। यह सब निर्यात

†मूल अंग्रेजी में

शुल्क बढ़ जाने के कारण हुआ कि जो देश भारत से चाय खरीदते थे उन्होंने स्वयं बड़े पैमाने पर चाय उगाना आरम्भ कर दिया ।

कई वक्ताओं ने कहा कि हमारे चाय के अधिकांश बागान अंग्रेजों के हाथ में हैं। परन्तु उन्हें इसका भी तो ध्यान रखना चाहिये कि यही अंग्रेज ही तो सबसे अधिक चाय पीते हैं। इसके अतिरिक्त इन चाय समवायों में सबसे अधिक अंश भारतीयों के हैं। और इस प्रकार लाभ भारत को ही अधिक मिलता है। सरकार को इसलिये ऐसा प्रयत्न करना चाहिये जिससे चाय का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार हमारे हाथों से न छिन जाये। निर्यात उन्नति परिषद् को ऐसा प्रयत्न करना चाहिये जिससे साधारण चाय का निर्यात बढ़ सके। परन्तु प्रश्न यही उठता है कि किस प्रकार निर्यात बढ़ाया जाये। ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका में उत्पादन व्यय भारत की तुलना में बहुत कम है और इस-लिये मेरे विचार से इस सहायता से कोई लाभ होने की संभावना मुझे नजर नहीं आती है। मैं तो समझता हूं कि हमें निर्यात शुल्क को एकदम हटा देना चाहिये और इसीलिये इस सम्बन्ध में मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है कि छः महीने तक शुल्क समाप्त कर दिया जाये। अन्त राष्ट्रीय बाजार में साधारण चाय को लाने के लिये हमें स पर से नि ति शुल्क एक दम हटा देना चाहिये।

पहले वर्षों में हमने जितना निर्यात किया है इस शुल्क को समाप्त करके हम ५०० लाख पौंड चाय का अधिक निर्यात कर सकते हैं और शल्क हटाने से जो हानि होगी उसको पूरा कर सकते हैं। मेरे विचार से हमें हानि को पूरा करके अतिरिक्त आय हो जायगी।

जितना मझे मालूम है १६५७ में कुल आय १८ करोड़ रुपये थी। मान लीजिये शुल्क समाप्त कर देने पर उद्योग को ६ करोड़ रुपये की हानि होती है तो सरकार को इस हानि पर ध्यान न देकर भविष्य में होने वाले लाभ पर ध्यान देना चाहिये। मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिय। जो सहायता की गई है वह बकार ही सिद्ध हुई है।

चीनी उद्योग को बचाया जा चका है। और हमें चाय उद्योग को बचाना चाहिये। निर्यात उन्नति परिषद् तथा बागान जांच आयोग ने इसको स्वीकार कर लिया है कि साधारण चाय के निर्यात में बड़ी कठिनाई हो रही है। मैं तो यही चाहता हूं कि हमें कम से कम छः महीने के लिये निर्यात शुल्क को एक दम हटा कर उसके परिणाम देखने चाहिये कि सरकार को कितनी हानि होती है अथवा लाभ होता है। मेरा मंत्री महोदय से अनरोध है वह आवश्यक कठोर कदम उठायें और समस्या को पूरी तरह सुलझाने के तरीके को अपनायें।

श्री हेमराज (कांगड़ा) : सभापति महोदय, जो विधेयक अभी वित्त मंत्रालय की ओर से सदन के सामने पेश है उसका हर एक सदस्य ने स्वागत किया है और मैं भी उसमें शामिल होता हूं। लेकिन जैसा कि बहुत सारे माननीय सदस्यों ने हाउस में कहा है, मैं भी समझता हूं कि यह बहुत अच्छा होता अगर माननीय मंत्री महोदय यह बतला देते कि इसको जो डेढ़ महीना लगे हुये हुआ है उससे कितनी आमदनी हुई है। उससे यह पता चल जाता कि आप हमें टी इंडस्ट्री के लिये जो रियायत दे रहे हैं उससे किस कदर फायदा होता है या होने वाला है। मुझ से पहले बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि टी का हमारा सबसे बड़ा मारकेट इंगलिस्तान था। जो फिगर शाया हुये हैं उनसे तो यही पता चलता है कि हमारी जो इगलिस्तान में चाय की मारकेट थी उसको आहिस्ता आहिस्ता सीलोन ले रहा है। उसकी कुछ वजूहात हो सकती है लेकिन में इस वक्त उन वजूहात में नहीं जाना चाहता।

मुझ से पहले माननीय सदस्य ने एक वजह दी। दूसरी तरफ से और माननीय सदस्य कहते हैं कि जिस वक्त इंडस्ट्री को बहुत आमदनी होती है तो उसके मुकाबले में मजदूरों को कुछ नहीं मिलता। कुछ भी हो। इस बात को हमें तसलीम करना पड़ेगा कि यह जो चाय का उद्योग है यह हिन्दुस्तान के लिये एक निहायत ही मुफीद उद्योग है इस लिहाज से कि इसके निर्यात से जो आमदनी होती है वह सबसे ज्यादा है।

जो टी की परिभाषा की गयी है उसके मुताल्लिक कुछ ऐतराज हुआ था। मैं नहीं कह सकता कि उसकी क्या परिभाषा होनी चाहिये। लेकिन मैं खास तौर पर उस हिस्से के बारे में कहना चाहता हूं जिसको कि पंजाब या हिमाचल का पहाड़ी इलका कहते हैं। वहां जो चाय होती है उसके मुताल्लिक मैं कुछ कहना चाहता हूं। कामन टी मेरी राय में उसे कहा जाना चाहिये जिसे आम आदमी इस्तेमाल में लाते हों। शायद इससे मतलब काली चाय से है। पर हमारे हिस्से में जो ग्रीन टी होती है वह उन हिस्सों को जाती है जहां के लोग बहुत गरीब होते हैं। उसका मारकेट अफगानिस्तान में है या लेह और लद्दाख में है या चीनी तुरकिस्तान में था।

पहले पहले यह जो हमारी चाय थी यह एक काटेज इंडस्ट्री थी। इसमें मशीनरी का इस्तेमाल नहीं होता था और उस पर एक्साइज़ ड्यूटी भी बराये नाम यानी एक आना थी। प्लान्टेशन इन्क्वायरी कमीशन ने रीकमेंडेशन की थी कि कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश का इलाका पिछड़ा हुआ है और वहां पर चाय बनाने का जो तरीका इस्तेमाल में लाया जाता है, वह बहुत पुराना है, जिस की वजह से वहां की ग्रीन चाय वर्ल्ड मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकती, इस लिये उस पर से ड्यूटी माफ कर दी जाय। मैं मंत्री महोदय के नोटिस में कमीशन की रीकमेंडेशन के ये शब्द लाना चाहता हूं :--

> "हमारा विचार है कि प्रति पाउंड एक आना शुल्क को बढ़ाकर ३ आना करने से छोटे उत्पादकों की आर्थिक कठिनाई बढ़ जायेगी। यद्यपि उनकी संख्या अधिक है परन्तु चाय का कुल उत्पादन कम ही है। विशेषतः कांगड़ा में घटिया किस्म की चाय का उत्पादन हो पाता है और उस पर इतना शुल्क लगाना ज्यादा होगा।"

इस विधेयक का मैं स्वागत करता हूं और मंत्री महोदय का ध्यान मैं इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि इस चाय की मार्केट अफगानिस्तान में थी, जो कि अब बन्द हो चुकी है। इस समय भी कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश की बीस, पच्चीस लाख पौंड चाय अमृतसर की मार्केट में बन्द पड़ी है और बिकती नहीं है। इसका नतीजा यह है कि जिन स्माल टी ग्रोअर्ज का गुजारा इस चाय पर था, वे तबाहहाल हो गये हैं। इस लिये मैं अर्ज करूंगा कि इस इलाके के लोगों का खास तौर पर ख्याल रख कर ग्रीन टी पर छूट दे दें और उसकी पहली पोजीशन को कायम रखें। उस पर तीन चार आने की जो एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है, उस को उड़ा दिया जाय।

इसके बाद मैं एक और बात आप की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। इंडस्ट्री से जो आय होती है, उस से उस इंडस्ट्री की प्रगति और विकास भी किया जाना चाहिये। हमारे यहां टी इंडस्ट्री पर इस उद्देश्य से खर्च नहीं होता है और अगर होता है, तो बहुत थोड़ा होता है। मैं सैंट्रल गवर्नमेंट से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारा इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है, अनडेवेल्पड है। यहां के प्लांटेशन हमारे लोगों ने नहीं बल्कि अंग्रेजों ने लगाये थे? उनके पास पैसा था और हर एक चीज थी। इसलिये वे बेहतरीन चाय तैयार कर लेते थे। अगर सैंट्रल गवर्नमेंट इसमें सहायता करे, तो यह चाय भी उतनी ही अच्छी बन सकती है। आज यह कहा जाता है कि अब ग्रीन चाय का

जमाना नहीं है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर इसको प्रोत्साहन दिया जाय, तो यह चाय भी अच्छी बन सकती है और बाहर एक्सपोर्ट के लिये जा सकती है।

आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि टी इंडस्ट्री में एक साइकिल सा होता है। कभी उस में घाटा पड़ता है और कभी उसकी प्रगति होती है और वृद्धि होती है। इस लिये मेरा सुझाव है कि एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौंसिल और टैरिफ कमीशन की मारफ़त गाहे-ब-गाहे इस की जांच होती रहनी चाहिये, ताकि जिस समय हमारी यह इंडस्ट्री नीचे की तरफ जाने लगे, तो गवनमेंट आगे बढ़ कर उसको सहारा दे दे और इस तरह इस बड़े फारेन एक्सचेंज अर्नर की तरक्की की जाय।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : सभापति महोदय चाय हमारे देश से पर्याप्त मात्रा में निर्यात की जाती है और यदि इसके निर्यात में कमी आये तो हमें मामले की जांच करनी चाहिये। वर्तमान विधेयक के द्वारा जो सहायता दी गई है उसका यही उद्देश्य है कि चाय का विश्व बाजार हमारे हाथ से न निकल जाये। इस सम्बन्ध में मैं दो बातें कहना चाहता हूं। पहली तो यह है कि वित्त मंत्रालय निर्यात शुल्क में कमी करके जो निर्यात बढ़ाना चाहता है क्या उससे निर्यात बढ़ जायेगा। दूसरे, हाल में ही मैं आसाम गया था, उस समय इत्तफाक से हवाई जहाज में मेरे पास चाय बागान के एक उच्चाधिकारी बैठे। उनसे बातचीत से पता चला कि हमारे विरूद्ध सुनियोजित कार्यक्रम बनाया गया है कि भारत से धन निकाल कर अन्य देश में चाय के बाग बनाये जायें। इससे स्पष्ट हो जाता है चाय बागान के विदेशी मालिक योजनानुसार चाय में लगी अपनी पूंजी को अन्य देश में चाय बागान बनाने में लगा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारी बढ़िया किस्म की चाय अफ्रीका की घटिया किस्म की चाय के मूल्य कम होने पर उतने मूल्य पर नहीं बिकेगी जितने पर बिकनी चाहिये। इस प्रकार स्पष्टतया हम को पता लग जाता है कि जो सहायता दी गई है उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। मेरा सुझाव है कि माननीय वित्त मंत्री को चाय के सम्बन्ध में समस्त आंकड़े सभा को बताने चाहियें जिससे हमको सही स्थिति का पता लग सके।

प्रति पौंड १० नये पैसे की सहायता दी गई है। परन्तु तीनों विभिन्न खंडों में इसकी गणना करने पर इसके आंकड़े अलग अलग मालूम होते हैं। प्रथम खंड में १० नये पैसे दूसरे खंड में ८ नये पैसे तथा तीसरे खंड में २ नये पैसे होते हैं। मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री इस पर प्रकाश डालेंगे।

अन्तिम बात मैं चाय के नीलाम के बारे में कहना चाहता हूं। सरकार को प्रयत्न करना चाहिये कि चाय का नीलाम कलकत्ते में होने लगे। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि गोदामों की कठिनाई है। परन्तु यह कठिनाई तो दूर की जानी चाहिये। ऐसा हो जाने पर लन्दन वासी जो चाय के मूल्य हम पर थोपते हैं वह न थोप सकें।

यह तो ठीक है कि उनके पास सारे आंकड़े होने के कारण वह स्थिति को भली प्रकार समझते हैं परन्तु फिर भी मेरा विचार है कि शुल्कों में परिवर्तन करने वाला एक दूसरा विधेयक भी शीघ्र ही उनको प्रस्तुत करना होगा। और इस प्रकार बार बार सहायता देना मैं समस्या का ठीक हल नहीं समझता है। हमें तो ऐसा तरीका अपनाना चाहिये जिससे चाय का मूल्य विश्व के लिये हम निर्धारित करें।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : जिन माननीय सदस्यों ने वाद विवाद में भाग लिया है उनमें से अधिकांश सदस्यों ने यही कहा है कि यह सहायता अपर्याप्त है। मेरा भी यही मत है तथा मेरा

†मूल अंग्रेजी में

माननीय मंत्री से अनुरोध है कि माननीय सदस्यों द्वारा बताये गये तथ्यों पर विचार करें। बाजार को हथियाना बड़ा कठिन काम है तथा एक बार बाजार यदि हाथ से निकल जाये तो उसको पुन. हथियाना असंभव होता है। मैं इसीलिये बताना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर विचार करें और सहायता को बढ़ा दें।

कितने ही सदस्यों ने बताया कि देश में इस उद्योग में लगी पूंजी विदेशों में जा रही है। यह बात सही है परन्तु इसका क्या कारण है। मुझे तो इसका कारण यही मालम होता है कि वर्तमान चाय की दशा तथा परिस्थितियां उन्हें इसके लिये बाध्य कर रही हैं। मुझे पता लगा है कि उटकमंड, नीलगिरी तथा केरल में कुछ विदेशी अपने चाय बागान को बेचना चाहते हैं, जिसका अर्थ मूद्रा कि उस समय जब हमें विदेशी पूंजी की आवश्यकता है उसे खो रहे हैं। आज चाय बागानों में विदेशी अपनी पूंजी दक्षिणी अफ्रीका में लगा रहे हैं। इस प्रकार हमसे वही लोग प्रतिद्वन्द्विता कर रहे हैं जो कभी हमारे थे अथवा हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि यह राष्ट्रीय समस्या है और हमें संभव हो तो समस्य निर्यात शुल्क हटा देना चाहिये। यह ठीक है कि योजना को पूरा करने के लिये हमें प्रत्येक रुपया चाहिये परन्तु साथ ही साथ उद्योगों में हानि भी तो नहीं होनी चाहये। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री इस पर विचार करें।

कार्य मंत्रणा समिति

इकत्तीसवां प्रतिवेदन

†**श्री रान** (बुल्डाना) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का इकतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

†**सभापति महोदय** : सभा कल ११ म० पू० तक के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात् सभा मंगलवार, १८ नवम्बर, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१६	आकाशवाणी का विकास कार्यक्रम	३८–३६
१७	औद्योगिक विस्तार केन्द्र	३६
१८	चीनी के बर्तनों का आयात	३६
१६	हथकरघा विकास योजना	३५–४०
२०	व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार	४०
२२	नारियल जटा उद्योग सम्बन्धी प्रलेखीय चलचित्र	४०
२३	मलाया में भारतीय श्रमिक	४१
२४	हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी . . .	४१–४२
२५	विस्थापित व्यक्तियों के लिये मार्गस्थ शिविर (ट्रांज़िट कैम्प)	४२–४३
२६	उड़ीसा की राज्य योजना	४३
२७	साइकिल निर्माण उद्योग .	४३–४४
२८	रुई . .	४४
२६	पंजाब में केन्द्रीय योजनायें	४४
३०	मैंगनीज़ अयस्क खानों का बन्द होना	४४–४५
३१	प्रधान मंत्री की भूटान यात्रा .	४५
३२	पुनर्वास उद्योग निगम . .	४५–४६
३३	मलयालम में प्रकाशित समाचार पत्र	४६
३४	विकास योजनाओं का प्रचार	४६–४७
३५	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	४७
३६	द्वितीय पंजवर्षीय योजना	४७
३७	निर्यात सम्बन्धी बातचीत	४७
३८	भारतीय व्यापार केन्द्र	४७–४८
३६	भारत में औषधियां	४८
निधन सम्बन्धी उल्लेख		४८

अध्यक्ष महोदय ने श्री सामी वेंकटाचलम् चेट्टी के, जो पुरानी केन्द्रीय विधान-सभा के सदस्य थे, निधन का उल्लेख किया ।

इस के पश्चात् सदस्य मृतात्मा के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिये एक मिनट तक मौन खड़े रहे ।

विषय		पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव		४९—५३

अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों को, जिनकी सूचना उनके आगे बताये गये सदस्यों ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी :—

(१) पांडिचेरी की निर्वाचित सभा के विघटन से उत्पन्न स्थिति	श्री तंगामणि द्वारा सूचना दी गई ।
(२) निम्नलिखित बातों से उत्पन्न स्थिति :—	निम्नलिखित सदस्यों द्वारा सूचनायें दी गईं :—
(क) पाकिस्तान के राष्ट्रपति के कथित वक्तव्य	श्री उत्तमराव ल० पाटिल और राजा महेन्द्र प्रताप
(ख) पाकिस्तान को अमरीका द्वारा शस्त्रास्त्र देते रहना	श्री श्रीपाद अमृत डांगे और श्री अ० क० गोपालन
(ग) आसाम सीमा पर भारतीय क्षेत्र पर पाकिस्तानी सेनाओं के आक्रमण	श्री नारायण गणेश गोरे और श्री खाडिलकर
(३) सहायक भारतीय उच्च आयोग, ढाका के कार्यालय के एक कर्मचारी तथा उस की पत्नी के साथ पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स के कुछ आदमियों द्वारा किया गया कथित दुर्व्यवहार ।	श्री हेम बरूआ द्वारा सूचना दी गई ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र	५३—५७

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :—

(१) श्रमजीवी पत्रकार (मजूरी की दरों का निर्धारण) नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १० अकतूबर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९४९ की एक प्रति ।

(२) समवाय अधिनियम १९५६ की धारा ६२० की उपधारा (२) के अन्तर्गत समवाय अधिनियम की धारा ६२० की उपधारा (१) के अन्तर्गत निकाली जाने वाली अधिसूचना के प्रारूप की एक प्रति ।

(३) कृषि प्रशासन समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(४) संविधान के अनुच्छेद १२३ (२) (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा (गठन और कार्यवाही) मान्यता देना अध्यादेश, १९५८ (१९५८ का संख्या ७) की एक प्रति ।

विषय **पृष्ठ**

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

(५) चाय अधिनियम, १९५३ की धारा ४९ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत चाय नियम, १९५४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १३ सितम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७९९ की एक प्रति ।

(६) काफी अधिनियम, १९४२ की धारा ४८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत काफी नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १ नवम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०२४ की एक प्रति ।

(७) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा २६ की उपधारा (३) के अन्तर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २५ अक्तुबर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १००२ की एक प्रति ।

(८) वित्त विधेयक पर चर्चा के समय १८ अप्रैल, १९५३ को दिये गये एक आश्वासन के अनुसरण में उन व्यापारिक संस्थाओं की एक सूची जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, १९२२ की धारा ५६—क के अन्तर्गत १९५७-५८ में छूट दी गयी है ।

(९) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि योजना १९५२ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० संख्या ९७०, दिनांक १८ अक्तूबर, १९५८ ।

(दो) जी० एस० आर० संख्या १०४४, दिनांक १ नवम्बर, १९५८ ।

(१०) निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति :—

(एक) सामान की बिक्री अधिनियम, १९३० पर विधि आयोग का आठवां प्रतिवेदन ।

(दो) विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, १८७७ पर विधि आयोग का नवां प्रतिवेदन ।

(तीन) संविदा अधिनियम, १८७२ पर विधि आयोग का तेरहवां प्रतिवेदन ।

(११) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा २८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिल्ली निर्वाचन-भाग (सदस्यों का निर्वाचन) नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २४ सितम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८९९ की एक प्रति ।

विषय **पृष्ठ**

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

(१२) हिन्दू विवाह अधिनियम, १९५५ की धारा ८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह हिन्दू विवाह रजिस्ट्रेशन नियम, १९५८ की एक प्रति ।

(१३) औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, १९५५ की धारा १९ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २० सितम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८२८ की एक प्रति ।

(१४) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ।

(एक) केन्द्रीय उत्पादन-शुक नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २७ सितम्बर, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ८४४ ।

(दो) दिनांक २८ सितम्बर, १९५८ की अधिसूचना जी० एस० आर० संख्या ८५७ ।

(तीन) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, १९४४ में आगे और संशोधन करने वाली दिनांक २८ सितम्बर, १९५८ की अधिसूचना जी० एस० आर० संख्या ८५८ ।

(चार) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, १९४४ में आगे और संशोधन करने वाली दिनांक २८ सितम्बर, १९५८ की अधिसूचना जी० एस० आर० संख्या ८६१ ।

(पांच) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, १९४४ में आगे और संशोधन करने वाली दिनांक ११ अक्तूबर, १९५८ की अधिसूचना जी० एस० आर० संख्या ९०७ ।

(छै) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, १९४४ में आगे और संशोधन करने वाली दिनांक ११ अक्तूबर, १९५८ की अधिसूचना जी० एस० आर० संख्या ९०८ ।

(सात) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, १९४४ में आगे और संशोधन करने वाली दिनांक ११ अक्तूबर, १९५८ की अधिसूचना जी० एस० आर० संख्या ९०९ ।

(१५) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उपधारा (४) के अन्तर्गत निकाली गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(१) जी० एस० आर० संख्या ७८३, दिनांक ४ अक्तूबर, १९५८

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

(२) जी० एस० आर० संख्या ८७४, दिनांक ४ अक्तूबर, १९५८ ।

(३) जी० एस० आर० संख्या ८७५ दिनांक ४ अक्तूबर, १९५८ जिसमें सीमा शुल्क प्रत्याहृत (अलबस्तर चीजें) नियम, १९५८ दिये हुए हैं ।

(१६) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उपधारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क प्रत्याहृत (पाइपरेज़ीन शर्बत) नियम, १९५८ की एक प्रति जो दिनांक ४ अक्तूबर, १९५८ की अधिसूचना जी० एस० आर० संख्या ८७६ में प्रकाशित हुये थे ।

(१७) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उपधारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(१) सीमा-शुल्क प्रत्याहृत (पोटाशियम साइट्रेट) नियम, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २७ सितम्बर, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ८४१ ।

(२) जी० एस० आर० संख्या १०१४, दिनांक १ नवम्बर, १९५८ ।

(१८) समूद्र सीमा-शुल्क अधिनियिम, १८७८ की उपधारा ४३-ख की उपधारा (४) तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(१) सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क प्रत्याहृत (चर्बी वाले अम्ल) नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २७ सितम्बर, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ८४२ ।

(२) सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क प्रत्याहृत (मोटर-गाड़ी) नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २७ सितम्बर, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ८४३ ।

(३) दिनांक १ नवम्बर, १९५८ की अधिसूचना जी० एस० आर० संख्या १०१५ जिसमें सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क प्रत्याहृत (बिस्कुट) नियम, १९५८ दिये गये हैं ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः) विषय पृष्ठ

(१९) पुनर्वास वित्त प्रशासन अधिनियम, १९४८ की धारा १८ की उपधारा (२) के अन्तर्गत ३० जून, १९५८ को समाप्त होने वाली छमाही के लिये पुनर्वास वित्त प्रशासन के प्रतिवेदन की एक प्रति ।

६. प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा दिया गया निदेश—सभा पटल पर रखा गया . . . ५७

निदेश संख्या ११५–ख की एक प्रति सभा पटल पर रखी गई

७. विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ५७–५८

(१) सचिव ने गत सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये तथा २२ सितम्बर, १९५८ को सभा को दी गई अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९५८ को सभा पटल पर रखा ।

(२) सचिव ने गत सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये तथा २२ सितम्बर, १९५८ को सभा को दी गई अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त राज्य-सभा के सचिव से विधिवत् प्रमाणित निम्नलिखित विधेयकों की प्रतियां भी सभा-पटल पर रखीं :—

(१) अखिल भारतीय सेवा (संशोधन) विधेयक, १९५८ ।

(२) दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९५८ ।

(३) सशस्त्र बल (आसाम और मनीपुर) विशेष शक्तियां विधेयक, १९५८ ।

(४) श्रमजीवी पत्रकार (वेतन दरों का निर्धारण) विधेयक, १९५८ ।

(५) चीनी निर्यात संवर्धन बिल १९५८ ।

(६) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८ ।

(७) मनीपुर और त्रिपुरा (विधियों का निरसन) विधेयक, १९५८ ।

(८) भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) वि येक, १९५८ ।

(९) राजघाट समाधि (संशोधन) विधेयक, १९५८ ।

(१०) औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय संशोधन विधेयक, १९५८ ।

(११) समुद्र सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक, १९५८ ।

(१२) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक, १९५८ ।

(१३) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (पद, उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार) विधेयक, १९५८ ।

(१४) व्यापार तथा पण्य चिन्ह विधेयक, १९५८ ।

(१५) वाणिज्यिक नौवहन विधेयक, १९५८ ।

विषय	पृष्ठ
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) ने गुड़गांव विमान बल के सिगनल्स केन्द्र में अग्नि दुर्घटना के बारे में एक वक्तव्य दिया ।	५८
समिति के लिये निर्वाचन	५९
वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य-मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) ने केन्द्रीय नरतत्व विज्ञान सलाहकार बोर्ड में सदस्य के रूप में काम करने के लिये लोक-सभा के सदस्यों में से एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना	५९
दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक, १९५८ सम्बन्धी संयुक्त समिति के उपस्थापन के लिये नियत समय २७ नवम्बर, १९५८ तक बढ़ा दिया गया ।	
विधेयक पारित—	
उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा समाप्त हुई । खण्डवार चर्चा के पश्चात् विधेयक पारित किया गया	५९—७८
विधेयक विचाराधीन—	
राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) ने चाय (सीमा-शुल्क और उत्पादन-शुल्क में परिवर्तन) विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया —चर्चा समाप्त नहीं हुई	७८—८९
कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित—	
इकत्तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया . .	८९
मंगलवार, १८ नवम्बर, १९५८ के लिये कार्यावलि—	
चाय (सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क में परिवर्तन) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर और आगे चर्चा तथा उसका पारित किया जाना तथा संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श) नियमों के रूपभेद के बारे में प्रस्तावों पर और आगे चर्चा ।	